



NOTICE INVITING TENDER

Reserve Bank of India, Agartala invites e-tender for “**Deployment of Trained Fire fighting staff for providing fire safety services at RBI Office Premises located in Agartala**”. This is an Open Tender. Only those firms who are registered on CPP portal will be able to take part in the tendering process. The tender document for viewing / download will be available from 02.00 p.m. onwards on **September 25, 2026** on the CPP Portal at <https://etenders.gov.in/eprocure/app> and the website of the RBI at <https://www.rbi.org.in> under the menu “Tenders”.

Intending tenderers shall pay a sum of **₹58000/- (Rupees Fifty-eight Thousand Only)** as earnest money to be **paid through NEFT/Net banking only** to Reserve Bank of India, Agartala. The duly filled in tender documents shall be uploaded on Central Public Procurement (CPP) website <https://etenders.gov.in/eprocure/app>. All Pre-Qualification (PQ) papers shall be uploaded only on CPP portal and same will be downloaded at the opening of first e-cover i.e., Part I of the tender for examination by the Bank.

E-Tender No.	RBI/Agartala/HRMD/26-27/1
E-Tender Name	Annual Service Contract for deployment of Trained Firefighting staff for providing Fire safety services at Reserve Bank of India (RBI) Office Premises located in Agartala
a) Estimated cost (Including GST)	₹29,00,000/- (Rupees Twenty-nine Lakhs only)
b) Mode of e-tender	e-Procurement System (Online Part I - Technical Bid and Part II - Price Bid) through https://etenders.gov.in/eprocure/app
c) Type of e-tender	Open (Two-Bid System)
d) Date of NIT available to parties to download	From 2:00 PM on September 25, 2026
e) Date, time and venue of Pre-bid meeting	Offline: September 30, 2026 , at 03:00 PM Venue: Reserve Bank of India, 2nd Floor, Jackson Gate Building, Lenin Sarani, Agartala – 799 001
f) Pay Earnest Money Deposit (EMD) through NEFT / Net Banking and upload the details on the Central Public Procurement (CPP) Portal . Also, intimate/forward the transaction details (UTR number) to e-mail: hcmdagartala@rbi.org.in before or on the last date of submission of tender	₹58,000/- (Rupees Fifty-eight Thousand Only) paid through <u>NEFT/ Net Banking only</u> Beneficiary Name- Reserve Bank of India Beneficiary A/c No – 8614038 IFSC - RBIS0AGPA01 (5 th and 10 th digit is Zero)
g) E-Tender Fees	NIL
h) Last date of submission of EMD.	October 14, 2026 up to 2:00 PM
i) Date of Starting of e-tender for submission of on-line Technical Bid and price Bid at https://etenders.gov.in/eprocure/app .	From 2:00 PM on September 25, 2026
j) Date of closing of online e-tender for submission of Technical Bid & Price Bid.	October 14, 2026, up to 02:00 PM

k) Date & time of opening of Part-I (i.e. Technical Bid). Date of opening of Part II i.e. price bid shall be informed separately	October 15, 2026, at 3:00 PM
l) Validity of the e-tender	90 days from the date of opening of technical bid

Any amendments / corrigendum to the e-Tender, if issued in future, will only be notified on the RBI website and CPP Portal as given above and will not be published in the newspaper. The Bank is not bound to accept the lowest tender and reserves the right to accept either in full or in part any tender. The Bank also reserves the right to reject all the tenders without assigning any reason thereof.

Place: Agartala

Date: September 25, 2026

General Manager (Officer-in-Charge)

Reserve Bank of India

Agartala



**भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
अगरतला / AGARTALA**

RBI/Agartala/HRMD/26-27/1

भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला कार्यालय परिसर में “अग्निसुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारियों की तैनाती हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध” के लिए ई-निविदा

E-tender for Annual Service Contract for deployment of Trained Firefighting staff for providing Fire safety services at Reserve Bank of India (RBI) Office Premises located in Agartala

यह दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम कॉपी, वितरित, या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि आरबीआई को उक्त उद्देश्य के लिए जबाब देने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाए। इस दस्तावेज की सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना, सख्त वर्जित है और ऐसा करना कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इसलिए, यह भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

This document is the property of Reserve Bank of India (RBI). It may not be copied, distributed, or recorded on any medium, electronic or otherwise, without the RBI's written permission thereof, except for the purpose of responding to RBI for the said purpose. The use of the contents of this document, even by the authorized personnel / agencies for any purpose other than the purpose specified herein, is strictly prohibited, and shall amount to copyright violation and thus, shall be punishable under the Indian Law.



दावात्याग /DISCLAIMER

भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला ने इच्छुक पक्षों को संविदा संबंधी पृष्ठभूमि सूचना देने के लिए इस दस्तावेज को तैयार किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस दस्तावेज के अंतर्गत अपेक्षित सावधानी के साथ सूचनाएं दी गई हैं तथा यह समझा जाता है कि सूचनाएं सही हैं; फिर भी, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही उसका कोई प्राधिकारी या एजेंसी, न तो उससे संबंधित कोई अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज में निहित सूचनाओं या इससे संबंधित प्रस्तुत की जाने वाली किसी सूचना की संपूर्णता या सटीकता के बारे में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की वारंटी देता और न ही उसका प्रतिनिधित्व करता है।

Reserve Bank of India, Agartala, has prepared this document to give background information on the Project to the interested parties. While Reserve Bank of India has taken due care in the preparation of the information contained herein and believe it to be in order, neither Reserve Bank of India nor any of its authorities or agencies nor any of their respective officers, employees, agents or advisors give any warranty or make any representations, express or implied as to the completeness or accuracy of the information contained in this document or any information which may be provided in association with it.

यह सूचना व्यापक नहीं है। इच्छुक पक्षों से खुद ही पूछताछ करना अपेक्षित है तथा प्रतिवादी से अपेक्षित है कि वह उसे लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करते समय केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा में प्रदत्त सूचना पर आश्रित नहीं हैं। सूचना इस आधार पर प्रदान की गई है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके किसी संबंधित कार्यालय, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर बाध्यकारी नहीं होगी।

The information is not intended to be exhaustive. Interested parties are required to make their own inquiries and respondents will be required to confirm in writing that they have done so, and they do not rely only on the information provided by RBI in submitting the Tender. The information is provided on the basis that it is non – binding on Reserve Bank of India or any of its authorities or agencies or any of their respective officers, employees, agents or advisor.

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास परियोजना की प्रक्रिया प्रारंभ करने या परियोजना का स्वरूप बदलने इस , दस्तावेज में प्रदर्शित समय सारणी में परिवर्तन करने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या क्रियाविधि में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। उसे इच्छा प्रकट करने वाले किसी पक्ष से इस मामले में आगे किसी प्रकार की चर्चा न करने का भी अधिकार होगा। इच्छा प्रकट करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी प्रकार के खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

Reserve Bank of India reserves the right not to proceed with the Project or to change the configuration of the Project, to alter the timetable reflected in this document or to change the process or procedure to be applied. It also reserves the right to decline to discuss the matter further with any party expressing interest. No reimbursement of cost of any type will be paid to persons or entities expressing interest.



**भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
अगरतला / AGARTALA**

ई-निविदा सूचना /NOTICE INVITING TENDER

भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला कार्यालय परिसर में अग्निसुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारियों की तैनाती हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध एक साल की प्रारंभिक अवधि यानी **1 नवंबर , 2026 से 31 अक्टूबर, 2027** तक के लिए ई-निविदा। हालांकि, अनुबंध को दो साल की एक और अवधि, एक समय में एक वर्ष, या ऐसी अन्य अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिसे बैंक संतोषजनक प्रदर्शन और निविदाकर्ता द्वारा संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन आवश्यक समझेगा।

E-tender for Annual Service Contract for deployment of Trained Firefighting staff for providing Fire safety services at Reserve Bank of India (RBI) Office Premises located in Agartala for an initial period of one year i.e. from Nov 01, 2026 to Oct 31, 2027. However, the Contract can be further extended for a further period of two more years, one year at a time, or such other period as the Bank may consider necessary subject to satisfactory performance and adherence to Contractual obligations by the tenderer.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला कार्यालय परिसर में "अग्निसुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारियों की तैनाती हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध" के लिए ई-निविदा। यह एक खुली निविदा है। केवल वही फर्म जो सीपीपी पोर्टल पर पंजीकृत हैं, निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। निविदा दस्तावेज को देखने/डाउनलोड करने के लिए सीपीपी पोर्टल पर **25 सितम्बर, 2026** को अपराह्न 02:00 बजे से आगे और आरबीआई की वेबसाइट पर <https://www.rbi.org.in> पर "निविदाएं" मेनू के तहत उपलब्ध होगा।

2. Reserve Bank of India, Agartala invites e-tender for "Deployment of Trained Fire fighting staff for providing fire safety services at RBI Office Premises located in Agartala". This is an Open Tender. Only those firms who are registered on CPP portal will be able to take part in the tendering process. The tender document for viewing / download will be available from 02.00 p.m. onwards on **September 25, 2026** on the CPP Portal at <https://etenders.gov.in/eprocure/app> and the website of the RBI at <https://www.rbi.org.in> under the menu "Tenders".

3. निविदा के भाग I में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें होंगी, जिन पर बोलीदाताओं को सहमत होना होगा। निविदा का दूसरा ई-कवर यानी भाग II (मूल्य बोली) में बोलीदाताओं की मूल्य बोली होगी जिसे सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाना है।

3. Part I of the tender will contain the Bank's standard technical and commercial conditions for the proposed work, which must be agreed to by the bidders. The second e-cover i.e., Part II (Price Bid) of the tender will contain the bidders' price bid to be submitted online on CPP portal.

4. इच्छुक निविदाकर्ताओं को **₹58,000.00 (रुपये अठावन हजार मात्र)** की राशि बयाना राशि के रूप में **एनईएफटी / नेट बैंकिंग** के माध्यम से ही **भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला** को जमा करना होगा। विधिवत भरे गए निविदा दस्तावेजों को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) वेबसाइट <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर अपलोड किया जाएगा। सभी पूर्व-योग्यता (PQ)

कागजात केवल सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और इसे बैंक द्वारा परीक्षा के लिए निविदा के पहले ई-कवर यानी भाग-1 के खुलने पर डाउनलोड किया जाएगा।

4. Intending tenderers shall pay a sum of **₹58,000/- (Rupees Fifty-eight Thousand Only)** as earnest money to be **paid through NEFT/ Net banking only** to Reserve Bank of India, Agartala. The duly filled in tender documents shall be uploaded on Central Public Procurement (CPP) website <https://etenders.gov.in/eprocure/app>. All Pre-Qualification (PQ) papers shall be uploaded only on CPP portal and same will be downloaded at the opening of first e-cover i.e., Part I of the tender for examination by the Bank.

5. आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक को उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। ईएमडी के बिना ई-निविदा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

5. Applicants intending to apply will have to satisfy the Bank by furnishing documentary evidence in support of their possessing required eligibility and in the event of their failure to do so, the Bank reserves the right to reject their bids. E-tenders without EMD will not be accepted under any circumstances.

6. बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

6. The Bank is not bound to accept the lowest tender and reserves the right to accept either in full or in part any tender. The Bank also reserves the right to reject all the tenders without assigning any reason thereof.

नोट: सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि भविष्य में ई-निविदा में जारी किए गए किसी भी संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल ऊपर दिया गया आरबीआई वेबसाइट और सीपीपी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और अखबार में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

Note: All the tenderers may please note that any amendments / corrigendum to the e-Tender, if issued in future, will only be notified on the RBI website and CPP Portal as given above and will not be published in the newspaper.

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) / General Manager (Officer-in-Charge)
भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India
अगरतला / Agartala



भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
अगरतला / AGARTALA

भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला कार्यालय परिसर में "अग्निसुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारियों की तैनाती हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध " के लिए ई-निविदा

E-tender for Annual Service Contract for deployment of Trained Firefighting staff for providing Fire safety services at Reserve Bank of India (RBI) Office Premises located in Agartala

सूची / Index

अनुभाग/अनुलग्नक Section/Annexure		विवरण / Description	पृष्ठ संख्या Page No.
भाग I / PART I			
अनुभाग I / Section I		निविदाकी अनुसूची / Schedule of Tender	6
अनुभाग II / Section II		ई-अधिप्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण निर्देश / Important Instructions for E – Procurement	8
अनुभाग III / Section III		बोलीकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश/ General Instructions to Bidders	13
अनुभाग IV / Section IV		मूल्यांकन / चयन मापदंड Evaluation / Selection Criteria	27
अनुभाग V Section V	अनुलग्नक-I Annexure-I	कार्य का व्यापक दायरा / Broad Scope of work	29
	अनुलग्नक-II Annexure-II	सामान्यनियमऔरशर्तें / General Terms and Conditions	33
	अनुलग्नक-III Annexure-III	अग्निशमन पर्यवेक्षक और अग्निशमन कर्मचारियों के कर्तव्य और दायित्व / Duties and responsibilities of Fire Supervisor and Firefighting Staff	61
	अनुलग्नक-IV Annexure-IV	तकनीकी बोली का प्रपत्र-1 Form -1 of Technical Bid	74
	अनुलग्नक-V Annexure-V	तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश General Instructions regarding Technical and Financial bids	77
अनुभाग VI Section VI	अनुलग्नक- VI Annexure-VI	निविदाकर्ता कंपनी/फर्म का विवरण Particulars of the tendering Company/Firm	86
	अनुलग्नक- VII Annexure-VII	बैंकों का विवरण /Details of Bankers	88
	अनुलग्नक- VIII Annexure-VIII	तकनीकी मूल्यांकन के लिए जांचसूची Checklist for Technical Evaluation	89
	अनुलग्नक-IX Annexure-IX	अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने वाली फर्म/एजेंसी/कंपनी के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक प्रमाणपत्र Client certificate regarding performance of firm/ agency/ company providing fire services	92
	अनुलग्नक-X Annexure-X	बैंकर्स प्रमाणपत्र का प्रपत्र Form of Bankers Certificate	94
भाग-II / PART-II			
अनुभागVII Section VII	अनुलग्नक-XI Annexure-XI	वित्तीय बोली का प्रोफार्मा / Proforma of Financial Bid	96
	अनुलग्नक-XII Annexure-XII	मजदूरी दरों का विश्लेषण(दरों का विभाजन) Wage Analysis (Break up of rates)	98

अनुभाग I /Section - I
निविदा की अनुसूची /SCHEDULE OF TENDER
(केवल ई-अधिप्राप्ति के माध्यम से / Only through e-procurement)

ई-निविदा संख्या / E-Tender No.	RBI/Agartala/HRMD/26-27/1
ई-निविदा का नाम/ E-Tender Name	भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला कार्यालय परिसर में अग्निसुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारियों की तैनाती हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध Annual Service Contract for deployment of Trained Firefighting staff for providing Fire safety services at Reserve Bank of India (RBI) Office Premises located in Agartala
a) अनुमानित लागत / Estimated cost (जीएसटी सहित/Including GST)	₹29,00,000/- (रुपये उनतीस लाख मात्र) ₹29,00,000/- (Rupees Twenty-nine Lakhs only)
b) ई-निविदा की प्रणाली/ Mode of e-tender	ई-अधिप्राप्ति प्रणालि (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी बोली और भाग II – मूल्यबोली) https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से e-Procurement System (Online Part I - Technical Bid and Part II - Price Bid) through https://etenders.gov.in/eprocure/app
c) ई-निविदा का प्रकार/ Type of e-tender	खुली (दो-बोली प्रणाली)/ Open (Two-Bid System)
d) Date of NIT available to parties to download	पक्षों के लिए ई-निविदा सूचना डाउनलोड के लिए उपलब्ध होने की तारीख 25 सितम्बर, 2026 को अपराह्न 02:00 बजे से From 2:00 PM on September 25, 2026
e) बोली-पूर्व बैठक की तिथि, समय और स्थान / Date, time and venue of Pre-bid meeting	ऑफलाइन: 30 सितम्बर, 2026 को दोपहर 03:00 बजे Offline: September 30, 2026 , at 03:00 PM स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, जैकसन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरणी, अगरतला - 799 001 Venue: Reserve Bank of India, 2nd Floor, Jackson Gate Building, Lenin Sarani, Agartala – 799 001
(f) एनईएफटी / नेट बैंकिंग के माध्यम से बयाना राशि (ईएमडी) जमाकरें एवं विवरण केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल पर डालें। लेन-देन विवरण (यूटीआर संख्या) भी ईमेल पता: hrmdagartala@rbi.org.in पर अंतरंग/ अग्रेषित करे, अंतिम तिथि से पहले।	₹ 58,000/- (रुपये अठावन हजार मात्र) केवल एनईएफटी / नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया गया: लाभार्थी का नाम- भारतीय रिज़र्व बैंक लाभार्थी खाता संख्या –8614038 IFSC - RBIS0AGPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है)

Pay Earnest Money Deposit (EMD) through NEFT / Net Banking and upload the details on the Central Public Procurement (CPP) Portal. Also, intimate/ forward the transaction details (UTR number) to e-mail: hrrmdagartala@rbi.org.in before or on the last date of submission of tender	₹ 58,000/- (Rupees Fifty-eight Thousand Only) paid through <u>NEFT/ Net Banking only</u> Beneficiary Name- Reserve Bank of India Beneficiary A/c No – 8614038 IFSC - RBIS0AGPA01 (5 th and 10 th digit is Zero)
(g) ई-निविदा शुल्क / E-Tender Fees	शून्य / NIL
(h) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि। Last date of submission of EMD.	14 अक्टूबर, 2026 को अपराह्न 02.00 pm बजे तक October 14, 2026 up to 2:00 PM
i) https://etenders.gov.in/eprocure/app पर ऑन-लाइन तकनीकी बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा की शुरुआत की तारीख Date of Starting of e-tender for submission of on-line Technical Bid and price Bid at https://etenders.gov.in/eprocure/app .	25 सितम्बर, 2026 को अपराह्न 02:00 बजे से From 2:00 PM on September 25, 2026
j) तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद करने की तिथि। Date of closing of online e-tender for submission of Technical Bid & Price Bid.	14 अक्टूबर, 2026 को अपराह्न 02:00 बजे तक October 14, 2026, up to 02:00 PM
k) भाग-I (अर्थात तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि और समय । भाग-II यानी मूल्य बोली खोलने की तिथि अलग से सूचित की जाएगी Date & time of opening of Part-I (i.e. Technical Bid). Date of opening of Part II i.e. price bid shall be informed separately	15 अक्टूबर, 2026 को अपराह्न 03:00 बजे October 15, 2026, at 3:00 PM
l) ई-निविदा की वैधता / Validity of the e-tender	तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 90 दिन / 90 days from the date of opening of technical bid

अनुभाग- II /Section – II

ई-निविदा हेतु महत्वपूर्ण निर्देश **Important Instructions for E – Tender**

यह आरबीआई की ई-अधिप्राप्ति आयोजन है। ई-अधिप्राप्ति सेवा प्रदाता/ठेकेदार केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) <https://etenders.gov.in/eprocure/app> है।

This is an e-procurement event of RBI. The e-procurement Service Provider/Contractor is the Central Public Procurement Portal (CPPP) <https://etenders.gov.in/eprocure/app>.

ई-निविदा की प्रक्रिया: बिडर मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

Process of E-tender: Bidder manual kit is available on home page.

<https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page>.

नए बोलीदाताओं के लिए पंजीकरण: इस प्रक्रिया में विक्रेता का सीपीपीपी पोर्टल के साथ पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता (ओं) अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। इंटरनेट पर तकनीकी बोली और मूल्य बोली भी जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली की जाएगी। विक्रेता के पास क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आरबीआई इस तरह की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएंगी)।

Registration for new bidder: The process involves vendor's registration with CPP portal which is free of cost. Only after registration, the vendor(s) can submit his/their bids electronically. Electronic Bidding for submission of Technical Bid as well as Price Bid over the internet will be done. The Vendor should possess Class III signing and encryption type digital certificate. Vendors are to make their own arrangement for bidding from a P.C. connected with Internet. RBI is not responsible for making such arrangement. (Bids will not be recorded without Digital Signature).

किसी भी तकनीकी संबंधी प्रश्नों के लिए कृपया निम्नलिखित 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें:

For any technical related queries please call at the following 24 x 7 Help Desk Number:

0120 - 4001 002

0120 - 4001 005

0120 - 4493 395

ईमेल सहायता:

Email Support:

Technical - support-eproc@nic.in

Policy Related - cppp-doe@nic.in

आरबीआई अगरतला में संपर्क व्यक्ति / Contact person at RBI Agartala

(i) श्री चंदन साधुख़ाँ, सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला। ईमेल - csadhukhan@rbi.org.in, दूरभाष सं. - 0381-2381061

Shri Chandan Sadhukhan, Assistant Manager, Reserve Bank of India, Agartala.

Email: csadhukhan@rbi.org.in, Phone No.: 0381-2381061

(ii) श्री मोनोजीत देब, सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला। ईमेल - mdeb@rbi.org.in,
दूरभाष सं. - 0381-2381061
Shri Monojit Deb, Assistant Manager, Reserve Bank of India, Agartala.
Email: mdeb@rbi.org.in, Phone No.: 0381-2381061

(iii) श्री कमल कुमार, प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला। ईमेल - kumarkamal@rbi.org.in,
दूरभाष सं. - 0381-2381061
Shri Kamal Kumar, Manager, Reserve Bank of India, Agartala. Email:
kumarkamal@rbi.org.in Phone No.: 0381-2381061

सिस्टम आवश्यकताएं /System Requirements:

ऑपरेटिंग सिस्टम Operating System	Windows 7 और उससे ऊपर, BOSS Linux Window 7 and above, BOSS Linux
जावा Java	जावा 8 अपडेट 161 (अनुशंसित संस्करण - डाउनलोड अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध) Java 8 Update 161 (Recommended version – available under Downloads section)
ब्राउज़र Browser	फ़ायरफ़ॉक्स; Firefox; गूगल क्रोम; Google Chrome; माइक्रोसॉफ्ट एज; Microsoft Edge
डिजिटल हस्ताक्षर Digital Signature	क्लास3 - हस्ताक्षर प्रमाण पत्र; Class 3 – Signature certificate क्लास3 - एन्क्रिप्शन प्रमाणपत्र; Class 3 – Encipherment certificate
इंटरनेट कनेक्टिविटी Internet Connectivity	कम से कम 1 MBPS और उससे ज़्यादा स्पीड वाला डेडिकेटेड इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन Dedicated Internet Broadband Connection with minimum 1 MBPS speed and above
अन्य/ Others	MS Office, WinRAR, DSC ड्राइवर्स, PDF रीडर/क्रिएटर MS Office, WinRAR, DSC Drivers, PDF Reader/ Creator

विवरण के लिए, विक्रेता बिडर मैनुअल किट का संदर्भ ले सकता है, जो होम पेज पर उपलब्ध है।

For details, vendor may refer to **Bidder manual kit, available on home page.**

<https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page>

- विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके द्वारा प्रदान किया गया कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध है और सीपीपी पोर्टल के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय अपडेट किया गया है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने क्लास III वर्ग के हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।
- The vendors are required to ensure that their corporate email I.D. provided is valid and updated at the time of registration of vendor with the CPP portal. Vendors are also requested to ensure validity of their class III signing and encryption type of DSC (Digital Signature Certificate).
- सभी बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे खुद को पहले से पंजीकृत करा लें और ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण में देरी के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, यदि कोई हो।
- All bidders are requested to get themselves registered well in advance and no extra time will be considered for submission of bids for delay in online vendor registration, if any.

- बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ई-निविदा वेबसाइट पर दिए गए प्रारूप में ही अपनी वित्तीय बोलियां जमा करें और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। यदि बोलीदाता द्वारा बोली की फाइल में संशोधन पाया जाता है, तो बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
- Bidders are requested to note that they should necessarily submit their financial bids in the format provided in e-tender website and no other format is acceptable. If the BOQ file is found to be modified by the bidder, the bid will be liable to be rejected.
- बोली में भाग लेने के लिए सभी लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- All costs towards participation in the Bid shall be borne by the bidder.
- ई-निविदा एनआईटी (निविदा आमंत्रण नोटिस) में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद अभिगम नहीं की जा सकती है।
- E-tender cannot be accessed after the due date and time mentioned in NIT (Notice inviting tender).

ई-निविदा में बोली: / Bidding in e-tender:

a) विक्रेता(ओं) को आवश्यक ईएमडी जमा करना होगा। **ईएमडी केवल नीचे उल्लिखित खाते में एनईएफटी क्रेडिट के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला के पक्ष में दिया जाएगा।** ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता(ओं) का ईएमडी निविदा आमंत्रित प्राधिकारी द्वारा नियत समय में वापस कर दिया जाएगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए ईएमडी का भुगतान पहले से ही कर दें। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण निम्नानुसार हैं:

b) Vendor(s) need to submit necessary EMD. **EMD will be given in the form of NEFT credit only in the account mentioned below in favour of Reserve Bank of India, Agartala.** No interest will be paid on EMD. EMD of the unsuccessful vendor(s) will be refunded by the Tender inviting authority in due course. Bidders are advised to remit EMD well in advance to avoid last minute hassle. The account details for NEFT transactions are as follows:

लाभार्थी का नाम: / Beneficiary Name: भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला/ Reserve Bank of India, Agartala

लाभार्थी खाता सं. / Beneficiary Ac No: **8614038**

आईएफएससी/ IFSC: **RBIS0AGPA01**

(5वां और 10वां अंक शून्य है) / (5th and 10th digit is Zero)

ईएमडी भेजने का प्रमाण सीपीपी पोर्टल में अपलोड किया जाना है। बोलीदाताओं को लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण भी hrrmdagartala@rbi.org.in पर भेजने की सलाह दी जाती है। जो निविदाएं ईएमडी के साथ नहीं हैं, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

The proof of having remitted the EMD is to be uploaded in CPP portal. The bidders are also advised to send the proof of remittance with transaction number (scanned copy) to hrrmdagartala@rbi.org.in. A tender which is not accompanied by such EMD will not be considered.

b) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

b) The process involves Electronic Bidding for submission of Technical and Commercial Bid.

c) विक्रेता केवल सीपीपी वेबसाइट <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा कर सकते हैं।

c) The vendor(s) can only submit their Technical Bid and Financial Bid through internet in CPP website <https://etenders.gov.in/eprocure/app>.

c) विक्रेता के पास चल रहा जावा अनुप्रयोग होना चाहिए। बोली की शुरुआत के तुरंत बाद यह अभ्यास करना होगा। फिर उन्हें सामान्य शब्द/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। इसके बाद, उन्हें तकनीकी बोली पर क्लिक करना चाहिए। यदि यह जावा एप्लिकेशन नहीं चलता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेज/जमा नहीं कर पाएगा।

d) The vendor should have running JAVA application. This exercise has to be done immediately after opening of Bid floor. Then they have to fill up Common terms / Commercial specification and save the same. After that, they should click on the Technical bid. If this JAVA application does not run, then the vendor will not be able to save/submit his Technical bid.

e) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेताओं को इसे रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। एक बार वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाने और विवरण भरने के बाद, विक्रेताओं को वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों के सहेजे जाने के बाद, विक्रेता को बोलियों को पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक करना होगा।

e) After filling the Technical Bid, vendors have to click 'save' for recording the same. Once the Commercial Bid link becomes active and the details are filled up, vendors have to click on "save" to record the Commercial bid. After both the Technical bid & Commercial bid have been saved, vendor has to click on the "Final submission" button to register the bids.

f) विक्रेताओं को दस्तावेज अपलोड करने के लिए "Attach Doc" बटन का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। एकाधिक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं।

f) Vendors are instructed to use the "Attach Doc" button to upload documents. Multiple documents can be uploaded.

g) सभी मामलों में, विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियों को जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।

g) In all cases, vendors are advised to use their own ID and Password along with Digital Signature at the time of submission of their bids.

h) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

h) During the entire e-tender process, the vendors will remain completely anonymous to one another and to everybody else.

i) ई-निविदा फ्लोरपूर्व-घोषित तिथि और समय से खुला रहेगा और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

i) The e-tender floor shall remain open from the pre-announced date & time and for as much duration as mentioned above.

j) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली माना जाएगा और क्रेता द्वारा इसे स्वीकार करना खरीददार और विक्रेता के बीच आपूर्ति के निष्पादन के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगा।

j) All electronic bids submitted during the e-tender process shall be legally binding on the vendor. Any bid will be considered as the valid bid offered by that vendor and acceptance of the same by the Buyer will form a binding contract between Buyer and the Vendor for execution of supply.

k) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएँ अन्यथा सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी।

k) It is mandatory that all the bids are submitted with digital signature certificate otherwise the same will not be accepted by the system.

l) खरीदार बिना कोई कारण बताए पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार रखता है।

l) Buyer reserves the right to cancel or reject or accept or withdraw or extend the tender in full or part as the case may be without assigning any reason thereof.

m) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।

m) No deviation of the terms and conditions of the tender document is acceptable. Submission of bid in the e-tender floor by any vendor confirms his acceptance of terms & conditions for the tender.

n) इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

n) Any order resulting from this tender shall be governed by the terms and conditions mentioned therein.

o) निविदा आमंत्रित प्राधिकारी के पास इसके कारणों को बताए बिना इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली प्राप्त करने की नियत तिथि को बढ़ाने का अधिकार है।

o) The tender inviting authority has the right to cancel this e-tender or extend the due date of receipt of bid(s) without assigning any reasons thereof.

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए विक्रेता गाइड को पढ़ें और पृष्ठ <https://etenders.gov.in/eprocure/app> में वीडियो देखें।

Vendors are requested to read the vendor guide and see the video in the page <https://etenders.gov.in/eprocure/app> to familiarize them with the system before bidding.

अनुभाग- III-बोलीकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश **Section – III – General Instructions to Bidders**

खंडों की तालिका / Table of Clauses

A.सामान्य/ General

- 1.निविदा का दायरा और सामान्य जानकारी/ Scope of Tender and general information
- 2.निषिद्ध प्रथाएँ/ Prohibited Practices
- 3.योग्य टेंडरकर्ता / पात्रता मानदंड / EligibleTenderers/Eligibility Criteria

B. निविदादस्तावेजकी सामग्री/Contentsof Tender Document

- 4.निविदा दस्तावेज के अनुभाग/ Sections of Tender Document
- 5.निविदा दस्तावेज और पूर्व-बोली बैठक का स्पष्टीकरण/ Clarification of Tender Document and Pre-bid meeting
- 6.निविदा दस्तावेज में संशोधन/ Amendmentof Tender Document

C. निविदाओं की तैयारी/ Preparation ofTenders

- 7.निविदा की लागत /Cost of Tendering
- 8.निविदा से संबंधित दस्तावेज /Documents Comprising the Tender
9. निविदा सुरक्षा और लेनदेन शुल्क के रूप में ईएमडी/ EMD asTender SecurityandTransaction Fee
- 10.निविदा पत्र /Letter of Tender
- 11.निविदाकर्ता की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज/ Documents Establishing the Qualifications of the Tenderer
- 12.विभाग का दौरा/ Visit to Department
- 13.निविदाओं की वैधता की अवधि/ Period of Validity of Tenders

D. निविदाएँ प्रस्तुत करना और खोलना/ Submission andOpening ofTenders

- 14.निविदाओं का प्रस्तुतीकरण और अंकन / Submission and Marking ofTenders
- 15.निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि/ Deadline for SubmissionofTenders
- 16.प्रति बोली एक बोली/ One Bid per Bidder
- 17.देर से निविदाएं/ LateTenders
- 18.निविदा खोलना/ Tender Opening

E. निविदाओं की जांच/ Examination ofTenders

- 19.गोपनीयता/ Confidentiality
- 20.निविदाओं का स्पष्टीकरण/ Clarification of Tenders

F. निविदा मूल्यांकन और तुलना/ Tender Evaluationand Comparison

- 21.निविदाओं का मूल्यांकन/ Evaluation ofTenders
- 22.निविदाकर्ता की योग्यता/ Qualification of the Tenderer
- 23.किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार/ Bank's Right to Accept Any Tender, and to Reject Any or All tenders

G.अनुबंध देना/ Awardof Contract

24. अनुबंध प्रदान करने के मानदंड/ Criteria for Award of Contract
 25. अनुबंध प्रदान करने की अधिसूचना/ Notification of Award of Contract
 26. अनुबंध पर हस्ताक्षर करना/ Signing of Contract
 27. प्रदर्शन सुरक्षा/ Performance Security

ए. सामान्य / A. General	
1. टेंडर का दायरा और सामान्य जानकारी Scope of Tender and general information	1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला, तय शर्तों के मुताबिक प्रारंभिक अवधि यानी 1 नवंबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2027 तक के लिए “भारतीय रिज़र्व बैंक, “अगरतला कार्यालय परिसर में अग्निसुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारियों की तैनाती हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध” ई-निविदा आमंत्रित करता है। हालांकि, अनुबंध को दो साल के लिए, एक बार में एक साल, या बैंक को ज़रूरी लगने वाले किसी और समय के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते निविदाकर्ता संतोषजनक प्रदर्शन करे और संविदात्मक दायित्वों का पालन करे। अनुबंध की अनुमानित कीमत हर साल ₹29,00,000/- (रुपये उनतीस लाख मात्र) (जीएसटी सहित) है। 1.1 Reserve Bank of India, Agartala invites e-tender for providing Firefighting Staff (For providing fire safety services) for RBI Office Premises located in Agartala for an initial period of one year i.e. from Nov 01, 2026 to Oct 31, 2027 as per laid down contractual obligations. However, the Contract can be further extended for a further period of two years, one year at a time, or such other period as the Bank may consider necessary subject to satisfactory performance and adherence to Contractual obligations by the tenderer. The estimated value of contract per annum is ₹ 29,00,000/- (Rupees Twenty-nine Lakhs only) (Including GST). 1.2 अग्निशमन कर्मचारी के लिए ज़रूरी काम का दायरा, नियम और शर्तें और सेवाएं देने की अधिक जानकारी Annexure I में दी गई है। बैंक के पास फर्म/कंपनी को काम देने से पहले या अनुबंध के दौरान किसी भी समय, अगर ज़रूरत हो, तो अग्निशमन कर्मचारी की ज़रूरी संख्या बढ़ाने / घटाने का अधिकार है। बैंक किसी भी फर्म /कंपनी को काम देने का अधिकार भी रखता है। More details of Scope of Work, Terms and conditions and details of Firefighting staff required for providing services are detailed in Annexure I. The Bank reserves the right to increase/ decrease the required number of Firefighting staff to be deployed by firm/ company before awarding the work or any time during the currency of contract, if required. The Bank also reserves the right to award work to any firm/company.

2. निषिद्ध प्रथाएँ Prohibited Practices	2.1 बैंक चाहता है कि निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखना चाहते हैं, अनुबंध/वचनबद्धता के समय के दौरान नैतिकता का उच्चतम मानक का पालन करें। इस नीति के तहत, बैंक: 2.1 The Bank requires that tenderers, suppliers, contractors, interested in having business relationship with the Bank, observe the highest standard of ethics during the period of contract / engagement. In pursuance of this policy, the Bank: (a) परिभाषित करता है, इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे निर्धारित किए शर्तें जैसा निषिद्ध अभ्यास: (a) defines, for the purposes of this provision, the terms set forth below as Prohibited Practices: i) "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी मूल्यवान वस्तु की पेशकश करना, देना, प्राप्त करना या याचना करना; i) "corrupt practice" means the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party; ii) "धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार" से तात्पर्य किसी भी कार्य या चूक से है, जिस में गलत बयानी भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है; ii) "fraudulent practice" means any act or omission, including a misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation; iii) "ज़बरदस्ती का व्यवहार" का मतलब है किसी पक्ष या उस पक्ष की सम्पत्ति को सीधे या परोक्ष रूप से नुकसान पहुँचाना या नुकसान पहुँचाने की धमकी देना, ताकि किसी पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित किया जा सके; और iii) "coercive practice" means impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of the party to influence improperly the actions of a party; and iv) "मिलीभगत अभ्यास" मतलब दो या अधिक पक्षों के बीच में एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये एक व्यवस्था की रूपरेखा बनाना, जिसमें किसी पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना शामिल है; iv) "collusive practice" means an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including influencing improperly the actions of another party;
--	--

	(b) अनुबंध प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देगा यदि वह यह निर्धारित करता है कि अनुबंध प्रदान करने के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता संबंधित निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय निषिद्ध प्रथाओं में लिप्त था; (b) Will reject a proposal for award if it determines that the tenderer recommended for award has engaged in prohibited practices in competing for the tender in question; (c) किसी निविदाकर्ता को अनिश्चित समय के लिए या एक तय समय के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, अगर किसी भी समय, बैंक यह तय करता है कि निविदा कर्ता ने निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या उसे निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं में लिप्त था। (c) may declare a tenderer ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, if, at any time, the Bank determines that the tenderer has engaged in prohibited practices in competing for, or in executing the contract. 2.2 इसके अलावा, निविदाकर्ता को अनुभाग V (काम का बड़ा दायरा, आम नियम और शर्तें और अनुबंध की अतिरिक्त शर्तें) में बताए गए नियमों के बारे में पता होना चाहिए। 2.2 Furthermore, tenderers shall be aware of the provisions stated in Section V (Broad Scope of work, General terms and Conditions and Additional Conditions of Contract).
3. पात्र निविदाकर्ता / पात्रता मापदंड Eligible Tenderers/ Eligibility Criteria	बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाली एजेंसी को नीचे दी गई बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी: The Agency participating in the bidding process should qualify to have the basic minimum requirements mentioned as follows: 3.1 अनुभव /Experience. (a) हवाई अड्डे, डिफेंस, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दूतावासों, सार्वजनिक / निजी क्षेत्र बैंक, आईटी सेक्टर और दूसरी जानी-मानी बड़ी निजी क्षेत्र कंपनियों में अग्निशमन / सुरक्षा / जनशक्ति सेवाएं प्रदान करने का कम से कम तीन (03) साल का अनुभव (31 मार्च 2026 तक)। आवेदक को अपनी ग्राहक सूची और पिछले तीन सालों में उनके द्वारा किए गए कार्य का विवरण दिखाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य देने होंगे। (a) Minimum three (03) years of experience (up to the 31st March 2026) of Providing Firefighting / Security / Manpower services in Airports, Defence, Public Sector Undertakings, Embassies, Public /Pvt. Sector Banks, IT Sector, and other reputed large Pvt. Sector companies. Applicants should furnish their client list and documentary evidence showing details of work carried out by them during the last three years. (b) एजेंसी उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी वर्ग के साथ पंजीकृत होनी चाहिए और एक सुव्यवस्थित और जानी-मानी संस्था होनी चाहिए।

	(b) The Agency should be registered with the appropriate Government authorities and should be a well-established and reputed organisation. (c) एजेंसी का अगरतला में एक कार्यालय (पंजीकृत / निगमित / शाखा/क्षेत्रीय/आंचलिक/ प्रतिनिधिक / संपर्क) होना चाहिए। इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण जमा करना होगा। The Agency should have an office (Registered/ corporate/ branch/ regional/ zonal/ representative/ liaison) at Agartala. Documentary proof for the same to be submitted. संतोषजनक समापन / प्रदर्शन के लिए ग्राहक रिपोर्ट दस्तावेजी प्रमाण (PDF फॉर्मेटमें स्कैन की हुई कॉपी) के तौर पर अपलोड किया जाना चाहिए। तदनुसार कार्य - आदेश जमा करें (Annexure IX के अनुसार) Client report for satisfactory completion/performance be uploaded as documentary proof (Scanned copy PDF format). Submit work order accordingly (As per Annexure IX) 3.2 वार्षिक कारोबार - पिछले 3 सालों में, यानी 31 मार्च 2026 तक, हर साल कम से कम 7 लोगों की तैनाती के साथ, अग्निशमन / सुरक्षा / जनशक्ति सेवा गतिविधियाँ देकर, हर साल कम से कम ₹29,00,000/- (रुपये उनतीस लाख मात्र) का कुल वार्षिक कारोबार होना चाहिए। 3.2 Annual Turnover - Should have a minimum total annual turnover of amount equal to ₹ 29,00,000/- (Rupees Twenty-nine lakhs only) per year by providing Firefighting / Security / Manpower Services activities, during the last 3 years i.e., up to March 31, 2026, by deployment of at least 7 personnel per year. 3.3 पंजीकरण अलग-अलग पंजीकरण जैसे PAN, GST, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, EPF पंजीकरण, नए लेबर कोड के तहत दुकानों और प्रतिष्ठान पंजीकरण की प्रति दस्तावेजी प्रमाण के तौर पर जमा करनी होगी। 3.3 Registrations. Copy of various registrations such as PAN, GST, Employee State Insurance Act, EPF registration, Shops and establishment registration under new Labour Codes must be submitted as documentary evidence. 3.4 बैंक खातों की विवरण और NEFT के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने का वचन। उनके बैंक खातों की पूरी जानकारी, जैसे खातासंख्या, प्रकार, कब खोला गया, IFSC कोड वगैरह दी जानी चाहिए। टेंडर देने वाली फर्मों/कंपनियों का अनुसूचित बैंकों में करंट अकाउंट होना चाहिए और उन्हें यह अंडरटेकिंग देनी चाहिए कि वे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) से पेमेंट लेने के लिए तैयार हैं। 3.4 Details of Bank accounts & undertaking for receiving payments through NEFT. Full particulars of their Bank accounts, like account No., type, when opened, IFSC Code etc. should be given. Tendering firms/companies should have
--	--

	current account in scheduled Banks and should give an undertaking that they are ready to receive the payments through National Electronic Funds Transfer (NEFT).
B. निविदा दस्तावेजकी सामग्री / B. Contents of Tender Document	
4. निविदा दस्तावेजके अनुभागSections of Tender Document	4.1 निविदा दस्तावेजमें दो हिस्से हैं, जिनमें नीचे बताए गए सभी अनुभाग शामिल हैं। इसे बोलीदाताओं के लिए निर्देशों के अनुसार जारी किए गए किसी भी अनुच्छेद /अनुभाग के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। 4.1The Tender Document consist of two parts which includes all the Sections indicated below and should be read in conjunction with any Article / Section issued in accordance with <u>Instructions to Bidders</u>. <u>निविदा प्रक्रिया / Tendering Procedures</u> • अनुभाग - I: निविदा की अनुसूची / Section-I: Schedule of Tender • अनुभाग – II / Section-II: ई-अधिप्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण निर्देश /Important Instructions fore-procurement • अनुभाग–III /Section-III:General instructions to Bidders • अनुभाग– IV/ Section-IV: मूल्यांकन / चयन मानदंड Evaluation/SelectionCriteria <u>अनुबंध और अनुबंध प्रपत्रों की शर्तें / Conditions of Contract and Contract Forms</u> • अनुभाग– V / Section-V: काम का व्यापक दायरा, सामान्य नियम और शर्तें और अग्निशमन पर्यवेक्षक और अग्निशमन कर्मचारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां (अनुलग्नक-I से V) /Broad Scope of work , General terms and Conditions and Duties and responsibilities of Fire Supervisor and Firefighting Staff (Annexure - I toV) • अनुभाग – VI / Section-VI: मानक प्रारूप (अनुलग्नक VI से XII) / Standard Formats (Annex VI to XII).
5. निविदा दस्तावेज का स्पष्टीकरण, बोली-पूर्व बैठक Clarification of Tender document, Pre-bid meeting	5.1 इस दस्तावेज़ पर किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता रखने वाले निविदाकर्ता को इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ईमेल पते पर लिखित रूप में बैंक से संपर्क करना होगा या बोली-पूर्व बैठक के दौरान पूछताछ करनी होगी। A tenderer requiring any clarification on this document shall contact the Bank in writing at the email address mentioned in this document or raise enquiries during the Pre-bid meeting. 5.2 बोली-पूर्व बैठक 30 सितम्बर, 2026 को दोपहर 03:00 बजे

	को भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल जैक्सन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरणी, अगरतला - 799 001 में आयोजित की जाएगी। बोलीदाता इस दस्तावेज़ में दिए गए संपर्क विवरण के अनुसार संबंधित विषयों का स्पष्टीकरण लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। The Pre-Bid meeting will be conducted on September 30, 2026, at 03:00 PM, at Reserve Bank of India, 2nd Floor Jackson Gate Building, Lenin Sarani, Agartala - 799 001. Bidders may also clarify the issues in writing or electronically as per the contacts furnished in this document.
6. निविदा दस्तावेज़ में संशोधन Amendment of Tender Document	6.1 निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि से किसी भी समय पहले, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in)/ सीपीपी पोर्टल पर संशोधन / शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है। At any time prior to the deadline for submission of Tenders, the Bank may amend this document by issuing amendments / corrigendum on RBI website (www.rbi.org.in)/ CPP portal. 6.2 जारी किया गया कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र इस दस्तावेज़ का एक हिस्सा होगा। Any amendments / corrigendum issued shall be a part of this document. 6.3 भावी निविदाकर्ताओं को अपनी बोलियां तैयार करने में किसी भी / सभी संशोधनों / शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेक पर, निविदाएं प्रस्तुत करने की समयसीमा बढ़ा सकता है। To give prospective tenderers reasonable time in which to take any / all amendments / corrigendum into account in preparing their Bids, the Bank may, at its discretion, extend the deadline for the submission of Tenders.
C. निविदाएं तैयार करना / Preparation of Tenders	
7. निविदा की लागत / Cost of Tendering	7.1 निविदाकर्ता अपनी निविदा की तैयारी और जमा करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा, और बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे निविदा प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो। The tenderer shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Tender, and the Bank shall not be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the Tendering process.

8. निविदा से जुड़े दस्तावेज / Documents Comprising the Tender	8.1 निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे: • निविदा आमंत्रित करने की सूचना • तकनीकी बोली विवरण • वित्तीय बोली विवरण • बयाना राशि The Tender shall comprise the following: • Notice Inviting Tender • Technical Bid Details • Financial Bid Details • Earnest Money Deposit इच्छुक निविदाकर्ताओं को केवल एनईएफटी / नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान की गई ₹ 58,000/- (रुपये अठावन हजार मात्र) की राशि जमा करनी होगी। Intending tenderers has to deposit a sum of ₹ 58,000/- (Rupees Fifty-eight Thousand Only) paid through <u>NEFT/ Net banking only.</u> लाभार्थी का नाम – भारतीय रिज़र्व बैंक लाभार्थी खाता संख्या – 8614038 आईएफएससी - RBIS0AGPA01(5वां और 10वां अंक शून्य है) सफल निविदाकर्ताओं द्वारा ठेका दिए जाने के बाद प्रस्तुत की जाने वाली निष्पादन बैंक गारंटी। अनुबंध समझौता (सफल निविदाकर्ताओं को अनुबंध के प्रदान करने के बाद)। Beneficiary Name - Reserve Bank of India Beneficiary A/c No – 8614038 IFSC - RBIS0AGPA01(5th and 10th digit is Zero) • Performance Bank Guarantee to be furnished after award of contract by the successful tenderers. • Contract Agreement (after award of contract to the successful tenderers).
9. निविदा सुरक्षा और लेनदेन शुल्क के रूप में ईएमडी EMD as Tender Security and Transaction Fee	9.1 ई-निविदा (e-tender) में ऑनलाइन निविदा देने के लिए पात्रता प्राप्त करने हेतु निविदादाता को आवश्यक अनस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) जमा करना अनिवार्य है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस कर दिया जाएगा। Tenderers need to submit necessary EMD to be eligible to bid online in the e-tender. No interest will be paid on EMD. EMD of the unsuccessful vendor(s) will be refunded by the tender inviting authority.

	9.2 ईएमडी के बिना निविदाएं (यदि छूट नहीं दी गई है) किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी। Tenders without EMD (if not exempted) will not be accepted under any circumstances. 9.3 लेनदेन शुल्क – शून्य /Transaction fee - NIL
10. निविदापत्र / Letter of Tender	10.1 निविदाकर्ता बिना किसी बदलाव के ई- निविदा प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर वर्ग 3 का उपयोग करके निविदा जमा करेगा। सभी रिक्त स्थान मांगी गई जानकारी से भरे जाएंगे। The tenderer shall submit the Tender using the digital signature class 3 via e-tendering process without any alterations. All blank spaces shall be filled in with the information requested.
11. निविदाकर्ता की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज़ Documents Establishing the qualifications of the Tenderer	11.1 अनुभाग - III (पैरा 3) के अनुसार अनुबंध करने के लिए अपनी योग्यता स्थापित करने के लिए, निविदाकर्ता अनुभाग- VI (मानक प्रारूप) में निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान करेगा। To establish its qualifications to perform the Contract in accordance with Section-III (Para 3), the tenderer shall provide the information in the format prescribed in Section- VI (Standard Formats).
12. विभाग का दौरा / Visit to department	12.1 निविदाकर्ता को अग्निसुरक्षा सेवाएँ देनी होंगी और उसे सलाह दी जाती है कि वह दौरा करके कामकाज के व्यवस्था को अच्छी तरह समझ ले। दौरा करने का खर्च बोलीदाता को ही उठाना होगा। यह माना जाएगा कि निविदा के कागज़ात जमा करने से पहले ठेकेदार ने विभाग का दौरा कर लिया है और उसे परिचालन स्थितियों की जानकारी है। The bidder is required to provide Firefighting services and is advised to visit and acquaint himself with the operational system. The costs of visiting shall be borne by the bidder. It shall be deemed that the contractor has undertaken a visit to the Department and is aware of the operational conditions prior to the submission of the tender documents.
13. निविदा की वैधता की अवधि Period of validity of Tenders	13.1 निविदा की वैधता अवधि तकनीकी बोली खुलने की तारीख से 90 दिन होगी। The Tender validity period shall be 90 days from the date of opening of technical bid. 13.2 असाधारण परिस्थितियों में, निविदा की वैधता की अवधि खत्म होने से पहले, बैंक निविदाकर्ताओं से उनके निविदा की वैधता की अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। यह अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में होने चाहिए। In exceptional circumstances, prior to the expiration of the Tender validity period, the Bank

	may request tenderers to extend the period of validity of their Tenders. The request and the responses shall be made in writing.
D. Submission and Opening of Tenders	
14. निविदाओं का प्रस्तुतीकरण और अंकन Submission and Marking of Tenders	14.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता ई-निविदा के संबंध में निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। Tenderers submitting Tenders electronically shall follow the electronic Tender submission procedures specified in the Instructions regarding E-Tender. 14.2 निविदाकर्ता "तकनीकी बोली" (भाग-I) में बताए गए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप (भाग-II, अनुलग्नक) में अपनी वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दरें) ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सभी जानकारी के साथ ई-निविदा निर्धारित समय और तिथि पर या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी। अपूर्ण निविदाओं को संक्षेप में खारिज कर दिया जाएगा। The tenderers may submit online their Financial Bid (competitive rates) in prescribed format (Part-II, Annexure XI) along with copies of necessary documents as indicated in the "Technical Bid" (Part-I). E-Tender with all information shall be submitted on or before the prescribed time and date. Incomplete Tenders will be summarily rejected. 14.3 निविदाकर्ता अनुलग्नक - XII में उल्लिखित सभी घटकों को शामिल करते हुए दरों को उद्धृत करेंगे। The tenderers shall quote rates inclusive of all components factored as mentioned in Annexure-XII. 14.4 यदि वांछित / निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक निविदा अस्वीकार करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। If desired / prescribed information is not submitted, the Bank will assume no responsibility for rejection of Tender.
15. निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि Deadline for Submission of Tenders	15.1 निविदा इस दस्तावेज़ में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए, इस दस्तावेज़ में इंगित तिथि और समय से बाद में नहीं। Tenders must be filled online through e-tendering process mentioned in this document, not later than the date and time indicated in this document.

	15.2 बैंक, अपने विवेक पर, निविदा दस्तावेज में संशोधन करके निविदा प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है। The Bank may, at its discretion, extend the deadline for the submission of Tenders by amending the Tender Document.
16. प्रति बोली एक बोलीदाता One Bid per Bidder	16.1 प्रत्येक बोलीदाता या तो स्वयं या संयुक्त उद्यम में भागीदार के रूप में या संघ के सदस्य के रूप में केवल एक निविदा प्रस्तुत करेगा। यदि कोई बोलीदाता या यदि संयुक्त उद्यम में भागीदारों में से कोई भागीदार या संघ के सदस्यों में से कोई एक से अधिक बोलियों में भाग लेता है, तो बोलियाँ अस्वीकार की जा सकती हैं। Each bidder shall submit only one tender either by himself or as a partner in joint venture or as a member of consortium. If a bidder or if any of the partners in a joint venture or any one of the members of the consortium participate in more than one bid, the bids are liable to be rejected.
17. देर से प्राप्त निविदाएँ Late Tenders	17.1 समय सीमा के बाद पोर्टल पर कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। No Tender after the deadline shall be allowed on the portal.
18. निविदा खोलना Tender Opening	18.1 बैंक निविदा (भाग-I) को अधिसूचित तिथि पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोलेगा। भाग- II उन बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जो भाग-I में अर्हता प्राप्त करते हैं। भाग-II के खुलने की तारीख सफल बोलीदाताओं को उनके वैध ईमेल पते पर ईमेल द्वारा अधिसूचित की जाएगी। The Bank shall open the Tender (Part-I) electronically on the notified date. Part-II will be opened for those bidders who qualify in Part-I. Date of opening of Part-II will be notified by email to the successful bidders on their valid email address.
E. निविदाओं की जांच / Examination of Tenders	
19. गोपनीयता / Confidentiality	19.1 निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकर्ताओं या ऐसी प्रक्रिया से आधिकारिक तौर पर संबंधित नहीं होने वाले किसी अन्य व्यक्ति को तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि अनुबंध प्रदान करने की जानकारी सभी निविदाकर्ताओं को नहीं दी जाती है। Information relating to the evaluation of Tenders shall not be disclosed to tenderers or any other person not officially concerned with such process until information on Contract award is communicated to all tenderers.
20. निविदाओं का स्पष्टीकरण / Clarification of Tenders	20.1 निविदाओं की जांच, मूल्यांकन, तुलना और निविदाकर्ताओं की योग्यता में सहायता करने के लिए, बैंक, अपने विवेक पर, किसी निविदाकर्ता से उसके निविदा के स्पष्टीकरण के लिए

	कह सकता है, जवाब देने के लिए उचित समय की अनुमति देता है। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक द्वारा की गई पूछताछ के जवाब में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक द्वारा स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और जवाब लिखित में होगा। निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि करने के अलावा निविदा की कीमतों या सार में कोई बदलाव नहीं मांगा, पेश या अनुमति दी जाएगी। To assist in the examination, evaluation, comparison of the Tenders and qualification of the tenderers, the Bank may, at its discretion, ask any tenderer for a clarification of its Tender, allowing a reasonable time for response. Any clarification submitted by a tenderer that is not in response to a request by the Bank shall not be considered. The Bank's request for clarification and the response shall be in writing. No change in the prices or substance of the Tender shall be sought, offered, or permitted, except to confirm the correction of arithmetic errors discovered by the Bank in the evaluation of the Tenders. 20.2 यदि कोई निविदाकर्ता बैंक के स्पष्टीकरण के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है। If a tenderer does not provide clarifications of its Tender by the date and time set in the Bank's request for clarification, its Tender shall be liable to be rejected.
F. निविदा मूल्यांकन और तुलना / Tender Evaluation and Comparison	
21. निविदाओं का मूल्यांकन / Evaluation of Tenders	21.1 बैंक अनुलग्नक- IV में इंगित मूल्यांकन मानदंडों का उपयोग करेगा। The Bank shall use the evaluation criteria indicated in Section IV.
22. निविदाकर्ता की योग्यता / Qualification of the Tenderer	22.1 बैंक अपनी संतुष्टि के लिए निर्धारित करेगा कि चयनित निविदाकर्ता अनुलग्नक- III (पैरा 3) के अनुसार अर्हता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। The Bank shall determine, to its satisfaction, whether the selected tenderer meets the qualifying criteria in accordance with Section III (Para 3).
23. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार	23.1 बैंक के पास किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार है, जिससे

Bank's Right to Accept Any Tender, and to Reject Any or All Tenders	निविदाकर्ताओं के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा या इसका कोई भी कारण बताए बिना होगा। इसके अलावा सशर्त बोलियों को सीधे खारिज कर दिया जाएगा। The Bank reserves the right to accept or reject any tender, and to annul the Tendering process and reject all Tenders at any time prior to contract award, without thereby incurring any liability to tenderers or assigning any reason thereof. Further the conditional bids shall be rejected outrightly.
G. अनुबंध प्रदान करना / Award of Contract	
24. अनुबंध प्रदान करने के लिए मानदंड / Criteria for Award of Contract	24.1 बैंक अनुलग्नक-IV (मूल्यांकन मानदंड) में दिए गए मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर निविदाकर्ता को सूचीबद्ध करेगा। The Bank shall shortlist the tenderer based on the evaluation criteria detailed in Section IV (Evaluation Criteria).
25. अनुबंध प्रदान करने की अधिसूचना / Notification of Award of Contract	25.1 तकनीकी मूल्यांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला निविदाकर्ता, जिसमें साइट विज़िट मूल्यांकन भी शामिल है, और वित्तीय बोली में L1 है, को निविदा प्रदान की जाएगी। The tenderer who qualifies the Technical Evaluation including Site visit evaluation and is L1 in Financial Bid shall be awarded the tender. 25.2 जब तक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक प्रदान की अधिसूचना एक बाध्यकारी अनुबंध होगी। सफल निविदाकर्ता कार्य की अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर पूरे कार्य को संभालने के लिए तैयार रहेगा। Until a formal contract is prepared and executed, the notification of award shall constitute a binding Contract. The successful tenderer shall be ready to take over entire work within 7 days of notification of award of work.
26. अनुबंध पर हस्ताक्षर करना / Signing of Contract	26.1 सफल निविदाकर्ता कार्य के प्रदान किए जाने के 15 दिनों के भीतर (त्रिपुरा राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क के बराबर मूल्य के) स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक करार निष्पादित करेगा। करार किया जाएगा और दोनों दस्तावेजों पर आवश्यक स्टाम्प शुल्क की लागत केवल ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। The successful tenderer shall execute an agreement with the Bank on stamp paper (having worth equal to applicable stamp duty in the state of Tripura) within 15 days of award of work. The Agreement shall be made on and the cost of necessary stamp duty on both the documents shall be borne solely by the Contractor. 26.2 हालाँकि, बैंक द्वारा कार्य के प्रदान करने की सूचना के मुद्दे को बाध्यकारी अनुबंध के रूप में माना जाएगा, मानो ऐसा

	समझौता निष्पादित किया गया है और इस अनुबंध पर सभी नियम और शर्तें लागू होंगी। However, the issue of intimation of award of work by the Bank shall be considered as binding contract, as though such an agreement has been executed and all the terms and conditions shall apply on this contract.
27. निष्पादन सुरक्षा / Performance Security	27.1 सफल निविदाकर्ता अनुबंध मूल्य के 5% पर निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) अनुबंध के साथ प्रस्तुत करेगा। पीबीजी अनुबंध की अवधि से दो महीने से अधिक के लिए वैध होगा। यदि अनुबंध की अवधि आगे बढ़ाई जाती है, तो निष्पादन बैंक गारंटी की वैधता भी ठेकेदार द्वारा तदनुसार बढ़ाई जाएगी और बिना किसी देरी के बैंक को प्रदान की जाएगी। The successful tenderer shall furnish along with the contract the Performance Bank Guarantee (PBG) @ 5% of the contract value. The PBG shall be valid for two months beyond the period of contract. In case the contract period is extended further, the validity of Performance Bank Guarantee shall also be extended by the Contractor accordingly and provided to the Bank without any delay. 27.2 सफल निविदाकर्ता द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने में विफलता, अनुबंध को रद्द करने, ईएमडी को जप्त करने और ऐसे निविदाकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने के लिए पर्याप्त आधार होगी। Failure of the successful tenderer to submit the Performance Bank Guarantee shall constitute sufficient grounds for the annulment of the contract, forfeiture of the EMD and blacklisting of such tenderer. 27.3 निविदा में निर्धारित अनुसार निष्पादन बैंक गारंटी की प्रस्तुति सुनिश्चित की जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रस्तुति में देरी होने की स्थिति में, बैंक गारंटी की प्रस्तुति में देरी के लिए बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से शुल्क वसूला जाएगा। निविदा प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (e-BG) को भी बैंक गारंटी के एक वैध स्वरूप के रूप में स्वीकार किया जाता है। Submission of Performance Bank Guarantee shall be ensured as stipulated in the tender. In case of delays in submission in unavoidable circumstances, charges for delay in submission of Bank Guarantee shall be recovered from the bills of the contractor at Bank rate. e-BGs are also accepted as a valid form of bank guarantee for the tender process.

अनुलग्नक-IV / Section – IV

मूल्यांकन / चयन मापदंड Evaluation / Selection Criteria

मूल्यांकन मैट्रिक्स / Evaluation Matrix

1. सबसे पहले, भाग-1 (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन किया जाएगा। निविदाकर्ताओं को मानक प्रारूप (अनुलग्नक - VIII) के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के लिए जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
2. संकेतित विभिन्न मदों के लिए सहायक दस्तावेज तकनीकी मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
3. बैंक निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी और दस्तावेजों की पात्रता मानदंडों के संबंध में जांच करेगा और बैंकरो, मौजूदा ग्राहकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के साथ-साथ तकनीकी मूल्यांकन में योग्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए साइट यात्रा से प्राप्त निष्कर्षों का मूल्यांकन करेगा।
4. तकनीकी रूप से योग्य सभी फर्मों/एजेंसियों/बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ वित्तीय मूल्यांकन के लिए खोली जाएंगी। सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के अधीन, सबसे कम बोली लगाने वाली L-1 एजेंसी को कार्य दिया जाएगा।
5. एक से अधिक L-1 के मामले में, कार्य अधिकतम वार्षिक कारोबार वाली फर्म/एजेंसी/बोलीदाता को दिया जाएगा।

1. First, Part-I (Technical bid) will be evaluated. Tenderers shall furnish information for Technical Evaluation as per Standard Format ([Annexure -VIII](#)).
2. Supporting documents for the various items indicated should be submitted for technical evaluation.
3. The Bank shall scrutinize the information and documents submitted by the tenderer vis-à-vis eligibility criteria and evaluate the feedback from bankers, existing clients as also the findings from site visit to take decision regarding qualification in Technical Evaluation.
4. The financial bids of all the technically qualified firms/agencies/bidders will be opened for financial evaluation. The work will be awarded to the lowest bidder L-1 agency subject to fulfilment of all the requisite conditions.
5. In case of more than one L-1, then the work will be awarded to the firm/agency/bidder with Maximum Annual Turnover.



भाग-I / PART I

भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA

अगरतला / AGARTALA

(नियम और शर्तें और तकनीकी विनिर्देश / Terms and conditions and Technical Specifications)

भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला कार्यालय परिसर में “अग्निसुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारियों की तैनाती हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध ” के लिए ई-निविदा

E-tender for Annual Service Contract for deployment of Trained Firefighting staff for providing Fire safety services at Reserve Bank of India (RBI) Office Premises located in Agartala

RBI/Agartala/HRMD/26-27/1

जारी किया गया: Issued to: _____

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि / Last date for Submission : 14 अक्टूबर, 2026 को अपराह्न 2:00 बजे तक / October 14, 2026, up to 2:00 PM

भाग-I खुलने की तिथि / Date of Opening of Part - I : 15 अक्टूबर, 2026 को अपराह्न 03:00 बजे / October 15, 2026, at 3:00 PM

अनुलग्नक - V / Section – V

कार्य का व्यापक दायरा / BROAD SCOPE OF WORK

1. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी सात (07) अग्निशमन कर्मियों (अग्निशमन सुरक्षा/अग्निशमन में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा धारक) प्रदान करेगा; अर्थात्, एक अग्निशमन पर्यवेक्षक, और 6 फायरमैन निम्नलिखित संरचना में - एक अग्निशमन पर्यवेक्षक दिन की पाली में और दो फायरमैन प्रत्येक 3 पालियों में (24 घंटे)। एक अग्निशमन पर्यवेक्षक (तीन साल का अनुभव, अधिमानतः अग्निशमन विभाग में पिछली सेवा से सज्जित हो) जो सोमवार से शनिवार तक सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक काम करेगा बैंक के पास कार्य प्रदान करने से पहले या अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।
2. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी आठ घंटे की शिफ्ट में 2 (दो) फायरमैन तैनात करेगी और तीन शिफ्टों (सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक, दोपहर 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक और रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक) में चौबीसों घंटे काम करेगी और अग्निशमन पर्यवेक्षक सामान्य शिफ्ट (सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक) में अग्निशमन, अग्नि सुरक्षा, फायर कंसोल रूम में काम करने, फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र, हाइड्रेंट, वेट/ ड्राय राइजर सिस्टम जैसे अग्नि सुरक्षा उपकरणों को संभालने और बनाए रखने, शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों/आगंतुकों की सहायता करने, सामान्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, स्थानीय अग्निशमन दल के साथ संपर्क बनाए रखने का काम करेगा।
3. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के पास तैनात कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में रिलीवर/ अवकाश के लिए रिज़र्व कर्मचारी का प्रावधान होना चाहिए, जिनके पास अग्निशमन में पर्याप्त अनुभव और योग्यता होनी चाहिए।
4. एजेंसी द्वारा तैनात अग्निशमन कर्मचारियों को तैनाती के एक वर्ष के भीतर बैंक से रोटेट/स्थानांतरित **नहीं** किया जाना चाहिए जब तक कि आरबीआई की अपेक्षा के अनुसार अग्निशमन कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी न हो या वे निविदाकर्ता के नौकरी में न रहें।
5. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि अग्निशमन कर्मचारियों के समग्र प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए एक अनुभवी अग्निशमन पर्यवेक्षक को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है, अर्थात् पर्यवेक्षक/अग्रणी फायरमैन, और एजेंसी द्वारा तैनात फायरमैन और अग्निशमन प्रणाली का देखभाल और रखरखाव करेगा।
6. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यवेक्षक/अग्रणी फायरमैन और दो फायरमैन बैंक के कार्यालय परिसर में चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहें, इस शर्त के अधीन कि फायर स्टाफ लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक ड्यूटी पर नहीं है और प्रत्येक शिफ्ट में नए कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। शिफ्ट शुरू होने के आधे घंटे के भीतर उसके द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी अग्निशमन कर्मचारी की अनुपस्थिति की स्थिति में एजेंसी समान रूप से प्रशिक्षित और योग्य अग्निशमन कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगी।
7. अग्निशमन कर्मचारी अपने शिफ्ट ड्यूटी शुरू होने से पहले और ड्यूटी पर मौजूद अग्निशमन कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले और नियमित अंतराल पर और अपनी शिफ्ट ड्यूटी खत्म करने

से पहले यह जांचने के लिए बैंक के परिसर में जाएंगे कि अग्निशमन व्यवस्था है या नहीं और वे कैसे काम कर रहे हैं। शिफ्ट परिवर्तन पर अग्निशमन उपकरणों की सेवा-योग्यता के रिकॉर्ड के साथ उचित हैंडलिंग/कार्यभार संभालना बनाए रखा जाएगा और दैनिक आधार पर बैंक सुरक्षा अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

8. बीमारी/अन्य कारणों से जनशक्ति की कमी को सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा तदर्थ आधार पर पूरा किया जाएगा।

9. अग्निशमन नियंत्रण कक्ष में चौबीसों घंटे कर्मचारियों की तैनाती। अग्निशमन पर कर्मचारियों का समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित करना। निर्धारित समय-समय पर सभी अग्नि उपकरणों की सेवा योग्यता की जांच करना। उक्त परिसर के संबंध में सभी अग्निशमन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार, जिसमें फायर अलार्म सिस्टम, वेट राइजर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट और अग्निशमन यंत्र और अन्य अग्नि संबंधित उपकरण शामिल हैं।

10. सुनिश्चित करें कि हाइड्रेंट सिस्टम का आरक्षित पानी टैंक हमेशा भरा हुआ है। सभी अग्निशमन उपकरणों के एएमसी के तहत किए गए कार्य का पर्यवेक्षण करें।

11. प्रारंभिक चरण में आग से लड़ें और जब भी वे आए तो अग्निशमन दल की सहायता करें। आग लगने की स्थिति में, कर्मचारियों की सहायता करें और आग बुझाने और परिसर/भवन के अधिवासीयों को निकालने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें।

12. कार्य और प्रशासन के सभी पहलुओं पर बैंक के सुरक्षा अधिकारी के अधीन कार्य करें।

13. नियमित रूप से आग बुझाने की ड्रिल आयोजित करें और बैंक की आपदा निकासी मॉक ड्रिल के दौरान सहायता करें, जिसमें निकासी कुर्सियों का उपयोग करके दिव्यांग कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालना भी शामिल हो।

14. आग के खतरों की पहचान करने और आग और भवन संहिता उल्लंघनों से बचाने के लिए कदम उठाने के लिए पूरे परिसर में नियमित गश्त। सभी एस्केप मार्गों और फायर लेन की दैनिक जांच करें और सुनिश्चित करें कि वे बाधाओं से मुक्त हैं।

15. घटना की स्थिति में खोज, बचाव और बचाव अभियान में सहायता करें।

16. नवीनतम अग्निशमन उपकरणों और तकनीकों के बारे में जानकारी को अद्यतन करें और अग्निशमन सेवाओं में वर्तमान विकास के बारे में जागरूक रहें।

17. स्थानीय अग्निशमन दल प्रतिष्ठानों के साथ प्रभावी और घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना और जब भी किया जाता है, तो अग्नि लेखापरीक्षा में सहायता करना।

18. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के अग्निशमन कर्मचारियों को बैंक के सुरक्षा अधिकारी से दिन-प्रतिदिन के काम के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त करने होंगे।

19. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी का फायर स्टाफ बैंक के सुरक्षा प्रबंधक द्वारा तैयार किए गए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाओं और फायर आदेशों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करेगा।

20. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक के परिसर में लगे अग्निशमन कर्मचारी सुरक्षा प्रबंधक या क्षेत्रीय निदेशक/जीएम ओ-आई/सी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें।

1. The successful tenderer/contractor / firm / company /Agency shall provide Seven (07) Fire personnel (Certificate/Diploma holders in Fire Safety/Fire Fighting); i.e., one Fire Supervisor, and 6 Firemen in the following composition – one Fire Supervisor in day shift and two Firemen each in 3 shifts round the clock. One Fire Supervisor (with three years' experience, preferably decorated with previous service in fire department) who will work from 10:00am to 6:00pm from Monday to Saturday. *The Bank reserves the right to increase or decrease the number of persons to be deployed before awarding the work or any time during the currency of contract.*

2. The successful tenderer/contractor / firm / company/Agency shall deploy 2 (two) Firemen each in eight hours shift and should work round the clock in three shifts (6:00 AM to 2:00 PM, 2:00 PM to 10:00 PM and 10:00 PM to 6:00 AM) and the Fire Supervisor in general shift (10:00 AM to 06:00 PM) providing fire-fighting, fire safety, manning the fire console rooms, holding and maintaining fire safety equipment like fire alarm, fire extinguishers, hydrants, wet/dry riser system, assisting physically challenged employees/visitors, training of general staff, liaison with local fire brigade.

3. The successful tenderer/contractor / firm / company/Agency shall have provision for sufficient number of relievers/leave reserves for the staff deployed which should have adequate experience and qualifications in firefighting.

4. Fire-fighting staff deployed by the agency should **NOT** be rotated / shifted from Bank within one year of deployment unless there is deficiency in services rendered by the Fire-fighting staff as per RBI's expectation or they cease to be in the employment of the tenderer.

5. The successful tenderer/contractor / firm / company/Agency shall ensure that an experienced Fire Supervisor is being deputed for overall management and supervision of the firefighting staff i.e. Supervisor/Leading Fireman, and Fireman deployed by the agency and upkeep and maintenance of the firefighting system.

6. The successful tenderer/contractor / firm / company/agency shall ensure that Supervisor/Leading Fireman and Two Firemen are always on duty at Banks' office premises round the clock subject to the condition that the fire staff is not on duty for more than 8 hours continuously and fresh manpower shall be provided in each shift. The Agency shall make substitute arrangements for equally trained and qualified fire-fighting staff in the event of absence of any of the Fire staff supplied by him within half an hour from the commencement of shift.

7. The Fire staff shall go round the Bank's premises to check fire-fighting arrangements are in place or not and their functioning before the start of their shift duty and before relieving the present fire staff on duty and at regular intervals and before finishing their shift duty. Proper handing/taking over on shift change along with records

of serviceability of fire-fighting equipment shall be maintained and put up to Bank Security Officer on a daily basis.

8. Any shortfall of manpower due to illness/other reasons shall be made up by the successful tenderer/contractor / firm / company/agency on ad hoc basis.

9. Manning of fire control room round the clock. Conduct periodic training of staff on firefighting. Check all fire equipment for serviceability as per laid down periodicity. Responsible for all fire-fighting arrangement in respect of the said premises including Fire Alarm System, Wet Riser System, Fire Hydrants and Fire-fighting Extinguishers and other fire related equipment.

10. Ensure that the reserve water tank of Hydrant system is always full. Supervise the work done under the AMC of all fire-fighting equipment.

11. Fight the fire at the incipient stage and assist the fire brigade as and when they arrive. In case of fire, assist the staff and take all necessary action to extinguish the fire and evacuate the occupants of the premises/building.

12. Function under the Security Officer of the Bank on all aspects of work and administration.

13. Conduct regular fire-fighting drills and assist during the Bank's disaster evacuation mock drills to include evacuation of differently abled employees using evacuation chairs.

14. Regular patrolling of entire premises for identifying fire hazards and removing/taking steps to protect against fire and building code violations. Check all escape routes and fire lanes daily and ensure they are free of obstacles.

15. Assist in search, rescue and salvage operation in case of an incident.

16. Update knowledge of the latest fire-fighting equipment and techniques and to remain aware of current developments in fire services.

17. Effective and close liaisoning with local fire brigade establishments and assist in Fire Audit, as and when carried out.

18. The successful tenderer's/contractor's / firm's / company's/Agency's fire staff shall obtain necessary instructions for day-to-day work from the Security Officer of the Bank.

19. The successful tenderer's/contractor's / firm's / company's/agency's Fire Staff shall perform duties according to the detailed Standard Operating Procedures and Fire Orders prepared by the Security Manager of the Bank.

20. The successful tenderer/contractor / firm / company/agency shall ensure that the fire staff engaged on Bank's premises should abide by all the instructions as and when given by the Security Manager or any other officer designated by the Regional Director/GM O-i/c.

सामान्य नियम और शर्तें / GENERAL TERMS & CONDITIONS

1. सौंपे गए कार्य को करने के लिए, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से स्वस्थ प्रशिक्षित कर्मियों (40 वर्ष से कम आयु के फायरमैन) को तैनात करेगी। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि व्यक्ति समय के पाबंद और अनुशासित हैं और अपने कर्तव्य के निर्वहन में सतर्क रहें। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्तियों को उच्च सत्यनिष्ठा और अच्छे आचरण वाले प्रशिक्षित फायरमैन होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी में पूरी तरह से पारंगत होना चाहिए।
2. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/एजेंसी, एक फायर सुपरवाइजर (पर्याप्त अनुभव के साथ, अधिमानतः अग्निशमन विभाग में पिछली सेवा से सज्जित हो) जो सोमवार से शनिवार तक सामान्य शिफ्ट (सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक) में कार्य करेगा, तथा दो (02) फायरमैन, आठ घंटे की शिफ्ट में, अगरतला आरबीआई के कार्यालय परिसर में चौबीसों घंटे (तीन शिफ्ट) कार्य करेंगे। छुट्टी/किसी भी अनुपस्थिति की स्थिति में, तैनात कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में रिलीवर्स/अवकाश रिजर्व भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
3. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा तैनात पर्यवेक्षक/अग्रणी फायरमैन के पास न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तैनात किए गए कर्मियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
4. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/एजेंसी द्वारा तैनात अग्निशमन कर्मियों के पास न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तैनात किए गए कर्मियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
5. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी समझौते की अवधि के दौरान नियुक्त अग्निशमकों को बैंक की अनुमति के बिना स्थानांतरित/परिवर्तित नहीं करेगा।
6. बीमारी/अन्य कारणों से जनशक्ति की कमी को सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा तदर्थ आधार पर पूरा किया जाएगा और प्रतिस्थापन/राहतकर्ता के पास समान योग्यता होनी चाहिए।
7. तैनात किए गए प्रत्येक व्यक्ति का पुलिस सत्यापन आवश्यक और अनिवार्य है। तैनाती से पहले सभी फायर स्टाफ का उचित पुलिस सत्यापन कराने की एकमात्र जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की होगी। इस आशय का एक प्रमाण पत्र बैंक को सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है कि अनुबंध के उद्देश्य के लिए तैनात अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन पूरा कर लिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर बैंक द्वारा इसे मंगाया जा सकता है।
8. कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए तैनात किए गए व्यक्ति सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के कर्मचारी होंगे और इस प्रकार तैनात किए गए व्यक्ति सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहेंगे और किसी भी मामले में, उक्त व्यक्तियों और भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध निहित या स्पष्ट रूप से नहीं होगा। यह सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा तैनात श्रमिकों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला पर कोई देयता नहीं आएगी।
9. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अनुबंध की समाप्ति पर या अनुबंध के अंत पर उसके द्वारा तैनात सभी कर्मियों को अगरतला में आरबीआई के सभी कार्यालय परिसरों से हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आरबीआई, अगरतला की कार्यालयों में किसी भी प्रकार की बाधा/रुकावट/समस्या पैदा न करें।
10. यह कि सौंपे गए कार्य की जिम्मेदारी लेने पर, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला या उसके नामांकित व्यक्ति के परामर्श से अपने कर्मियों को उचित कार्य सौंपने की प्रक्रिया तैयार करेगा। इसके बाद, सफल

निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी समय-समय पर सौंपे गए कार्य की समीक्षा करेगी और अपनी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को सलाह देगी। इसके अलावा, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी समय-समय पर इस संबंध में महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला या महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों/ आदेशों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

11. यह कि महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला या महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात व्यक्तियों पर आश्चर्यजनक जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उनके द्वारा तैनात व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर रहे हैं।

12. कि यदि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा तैनात किए गए व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य पर खरे नहीं उतरते है या अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता है या कदाचार करता है या किसी भी गैरकानूनी दंगों या अव्यवस्थित आचरण में लिप्त होता है, तो सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला की रिपोर्ट पर ऐसे व्यक्तियों को तुरंत वापस ले लेगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। इसके अलावा, यदि उक्त व्यक्ति की ओर से उपरोक्त में से कोई भी कार्य किया जाता है तो सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी तुरंत तैनात किए गए व्यक्ति को बदल देगा।

13. कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी समय-समय पर महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला या उनके नामांकित व्यक्ति या महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी के परामर्श से उसे सौंपे गए कार्य को सावधानीपूर्वक और लगन से निष्पादित करेगा।

14. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर अग्निशमन नियंत्रण कक्ष में एक समर्पित मोबाइल नंबर प्रदान किया जाना चाहिए।

15. कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी तैनात व्यक्तियों के नाम, माता-पिता, आवासीय पता, आयु आदि जैसे विवरण उनके द्वारा तैनात व्यक्तियों की हालिया तस्वीर के साथ प्रस्तुत करेगा। कार्य के लिए सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/एजेंसी/एजेंसी के कर्मचारियों की उचित पहचान के उद्देश्य से, वह उनके फोटो/पहचान आदि वाले पहचान पत्र जारी करेगा और ऐसे कर्मचारी ड्यूटी के समय अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगे।

16. कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक वैधानिक अधिनियमों के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने के हकदार मजदूरी और अन्य सभी देय राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

17. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला पर उत्तरगामी महीने की 10 तारीख तक मासिक चालान जारी करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को देय राशि से स्रोत पर कर और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य सभी करों, शुल्कों की कटौती करेगा।

18. कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी समय-समय पर वेतन के भुगतान, वेतन अवधि के दौरान मजदूरी से कटौतियां, भुगतान न किए गए वेतन की वसूली और अनधिकृत रूप से किए गए कटौती, वेतन पुस्तक के रखरखाव, वेतन पर्ची, वेतन के पैमाने और रोजगार की शर्तों के प्रकाशन, निरीक्षण और संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन करेगी या अनुपालन कराएगी। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना चाहिए और अगले महीने के बिल के साथ-साथ हमारे परिसर में तैनात अग्निशमन कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी के भुगतान पर मासिक अनुपालन प्रमाण पत्र (भुगतान की गई मजदूरी के विवरण के साथ) प्रस्तुत करना चाहिए।

19. कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी ऐसे तैनात व्यक्तियों को मजदूरी आदि का भुगतान करेगी और मांग पर ऐसे व्यक्तियों को समझौते के तहत कार्य के लिए भुगतान करने के लिए आरबीआई, अगरतला को मजदूरी रजिस्टर/मस्टर रोल आदि की प्रतियां प्रस्तुत करेगी। यह दायित्व सफल

निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी पर यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है कि वह अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 / व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है। ठेकेदार को अपनी लागत पर और समय-समय पर सरकार द्वारा वहां बनाए गए नियमों के तहत अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 / व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

20. यदि बैंक के संज्ञान में आता है कि एक ही कर्मचारी को लगातार दो शिफ्टों में तैनात किया गया है या कहीं और भी तैनात किया गया है, तो बैंक को उचित लगने पर जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। सेवाओं में कमी और बैंक और उसके अधिकारियों को हुई गंभीर असुविधा के लिए, बैंक अनुमानित अनुबंध राशि के 10% तक का जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अनुबंध राशि के 10% तक जुर्माना पहुंचने की स्थिति में, बैंक अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी जोखिम और लागत के लिए उत्तरदायी होगी। जुर्माने की राशि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को देय सुरक्षा जमा या किसी अन्य राशि से विनियोजित की जाएगी।

21. अनुबंध के प्रयोजन के लिए तैनात व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई आवास सुविधा, परिवहन सुविधा या चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

22. कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अपने व्यक्तियों को इस तरह तैनात करेगी कि उन्हें साप्ताहिक आराम मिले। कार्य समय/अवकाश, जिसके लिए उनसे काम लिया जाता है, दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। ठेकेदार को तैनात निजी अग्निशमन कर्मचारियों की अनुपस्थिति/अवकाश/छुट्टी आदि की स्थिति में समान रूप से योग्य और सक्षम राहत प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को अपने रोजगार में व्यक्तियों के साथ सभी व्यवहारों में सभी मान्यता प्राप्त त्योहारों, आराम के दिनों और धार्मिक या अन्य रीति-रिवाजों का उचित ध्यान रखना चाहिए।

23. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम; कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी देयता अधिनियम, 1938; बाल रोजगार अधिनियम 1938; मातृत्व लाभ अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979, श्रम संहिता और उसके तहत समय-समय पर प्रकाशित नियम और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या कानून जो उन पर लागू हो सकते हैं के लागू वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी उपरोक्त विधायी अधिनियमों के प्रावधानों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आगे आरबीआई, अगरतला को उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के कारण होने वाले सभी चूक, दोष, उल्लंघनों और/या किसी भी दावे, मांग, नुकसान, चोट और व्यय से क्षतिपूर्ति रखेगा। उपरोक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों या इनके तहत बनाए गए किसी भी उप-नियम या नियमों के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की विफलता के लिए, आरबीआई, अगरतला ऐसे दावों, मांगों, नुकसान या चोट के कारण उसे होने वाले किसी भी नुकसान या खर्च को ठेकेदार के मासिक भुगतान या ठेकेदार को देय किसी अन्य राशि से या बैंक गारंटी का आह्वान करके कवर करने का हकदार होगा।

24. यदि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी समय-समय पर लागू किए गए श्रम कानूनों/श्रम संहिताओं के प्रावधानों में से, जिसमें अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 शामिल है, किसी का उल्लंघन करता है, या कोई जानकारी प्रस्तुत करने में, या उक्त विनियमों और नियमों के प्रावधानों के तहत कोई बयान प्रस्तुत करने या भरने में जो भौतिक रूप से गलत है, तो वह किसी अन्य दायित्व के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला के महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) द्वारा निर्धारित राशि आरबीआई,

अगरतला को भुगतान करेगा। बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह बैंक गारंटी का इस्तेमाल करके या सफल टेंडर पाने वाले/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को देय किसी अन्य राशि से यह रकम वसूल कर ले।

25. यह कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को भवन परिसर के भीतर स्थायी उपस्थिति रजिस्टर/रोल बनाए रखने की आवश्यकता होगी जो भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला के अधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और जांच के लिए खुला रहेगा।

26. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अपने कर्मचारियों को तैनात करने के लिए किसी भी गैरकानूनी दंगा या अव्यवस्थित आचरण या कृत्यों को रोकने के लिए सभी उचित सावधानियां बरतेंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला की शांति और व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

27. कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी आरबीआई, अगरतला को प्रदान की गई उपरोक्त सेवाओं के संबंध में अपने स्वयं के खर्च पर आवश्यक बीमा कवर लेगी। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अनुबंध मूल्य के लिए "थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी" और अनुबंध की पूरी अवधि के लिए काम करने वाले श्रमिकों के लिए "वर्कमेन कंपनसेशन पॉलिसी" लेगी। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को कार्य के प्रदान पर बैंक को पॉलिसी की एक प्रति प्रदान करनी होगी।

28. बैंक किसी भी अग्निशमन कर्मचारी की मृत्यु या चोट या दुर्घटना के लिए किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उनके कर्तव्यों और तैनाती के दौरान और उसके परिणामस्वरूप हो सकता है। यह सहमति और समझा जाता है कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी ही ऐसे अग्निशमन कर्मचारियों को ऐसे नुकसान या मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

29. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अनुबंध की समाप्ति पर या अनुबंध के अंत पर उसके द्वारा तैनात सभी कर्मियों को अगरतला में आरबीआई के सभी कार्यालय परिसरों से हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आरबीआई, अगरतला की कार्यालयों में किसी भी प्रकार की बाधा/रुकावट/समस्या पैदा न करें।

30. कि सफल निविदाकर्ता / ठेकेदार/ फर्म/ कंपनी/ एजेंसी, सफल निविदाकर्ता/ ठेकेदार/ फर्म/ कंपनी/ एजेंसी द्वारा तैनात कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को क्षतिपूर्ति देगा। यदि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी का कोई कर्मचारी/कर्मि/प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के विवाद में प्रवेश करता है, तो सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह इसका विरोध करे। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को पक्ष बनाया जाता है और उसे मामले में भाग लेना है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को वकील शुल्क और अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा मांग पर भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय या अन्य देयता भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला पर न आए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को क्षतिपूर्ति प्रदान करे।

31. कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार तैनात व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला के नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला की संपत्ति, जिसमें अग्नि सुरक्षा उपकरण भी शामिल हैं, परिसर से बाहर नहीं ले जाएंगे। किसी भी बेईमानी, मिलीभगत और/या गुप्त उद्देश्य के खिलाफ सुरक्षा के रूप में, गेट पास पर हस्ताक्षर करने के लिए नामित और अधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर को सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को लिखित में सूचित किया जाएगा, साथ ही बाद में परिवर्तन, यदि कोई हो।

32. यह कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी श्रम कानूनों/श्रम संहिताओं के प्रावधानों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आगे आरबीआई, अगरतला को उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के कारण होने वाले सभी चूक, दोष, उल्लंघनों

और/या किसी भी दावे, मांग, नुकसान, चोट और व्यय से क्षतिपूर्ति देगा। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा इसके तहत और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों और/या इनमें से किसी के तहत बनाए गए किसी भी उप-नियम या नियमों के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफलता, आरबीआई, अगरतला ऐसे दावों, मांग, नुकसान या चोट के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या खर्च की वसूली सफल निविदाकर्ता/ ठेकेदार/ फर्म/ कंपनी/ एजेंसी के मासिक भुगतान और सुरक्षा धन जमा से करने का हकदार होगा। सफल निविदाकर्ता/ ठेकेदार/ फर्म/ कंपनी/ एजेंसी को मानक सुरक्षा प्रक्रिया और उपकरण का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके किसी भी कर्मचारी को कोई चोट न लगे। इस खाते पर कोई भी देयता पूरी तरह से एजेंसी की होगी।

33. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखे और भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला के सुरक्षा अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा से संबंधित मामले की तत्काल रिपोर्ट करे। यह सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला की अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी संपत्ति और परिसंपत्तियों, चल और अचल की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करे और यदि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी या उसके कर्मचारी/कर्मचारियों की बेईमानी के कारण, और/या ओर से किसी भी चूक के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को कोई नुकसान होता है, तो सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी मांग पर भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को नुकसान की भरपाई करेगी। उन्हें, यदि आवश्यक हो, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला के अधिकारियों के परामर्श से पुलिस के साथ एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कदम उठाने होंगे।

34. यह कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी इस कार्य के लिए तैनात व्यक्तियों को अपने खर्च पर दो जोड़ी अलग-अलग वर्दी प्रदान करेगा और इसमें शर्ट (शर्ट/जैकेट - पीछे की ओर अग्नि सुरक्षा के रूप में अंकित), चमड़े के जूते, मोजे, व्हिसल के साथ लैंयार्ड, सर्दियों के लिए जर्सी, बरसात के मौसम के लिए रेन कोट/छाता, सभी पोस्ट पर लोडेड टॉर्च और लाठियां शामिल होंगी और इस खाते पर भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला की कोई देयता नहीं होगी। वर्दी को महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

35. **एजेंसी को भुगतान:** उद्धृत शुल्क में तैनात जनशक्ति की सेवाओं की लागत शामिल होगी, जो चालान जमा करने और प्रदर्शन जांच के अधीन मासिक आधार पर देय होगी। इस पर भुगतान बैंक के अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाने के बाद किया जाएगा कि प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक हैं और सभी वैधानिक देय राशि/कर आदि की कटौती के बाद भुगतान ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए कर्मियों द्वारा संचालित/संचालित वास्तविक शिफ्टों के लिए मासिक आधार पर किया जाएगा और पी एंड एसओ द्वारा विधिवत सत्यापित उपस्थिति शीट और अन्य सहायक दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। किसी भी खाते पर किसी अन्य दावे को बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक/फायरमैन को समय पर उनका हक का वेतन मिले। इसके मद्देनज़र, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आरबीआई अगरतला में तैनात संविदा कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बिल अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे:

- वर्तमान माह चालान प्रति.
- चालू माह का वेतन रजिस्टर (फॉर्म XVII) [अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के नियम 78 (1) (ए) (i) या व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020 के तहत कोई अन्य लागू नियम देखें], व्यक्तिगत अनुबंध मजदूरों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित।
- वर्तमान माह उपस्थिति पंजी ।
- वर्तमान माह ईएसआई प्रेषण चालान (यदि लागू हो) समेकित और ब्रेकअप विवरण के साथ।
- वर्तमान माह ईपीएफ प्रेषण चालान, यथा लागू समेकित और ब्रेकअप विवरण के साथ।
- बैंक अधिकारियों द्वारा विधिवत अधिकृत एजेंसी का बैंक विवरण जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को किए गए वेतन भुगतान का विवरण हो।
- अनुबंध कर्मचारियों को किए गए किसी अन्य भुगतान (बोनस आदि) का प्रमाण।

h) विक्रेता द्वारा एक प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषित किया गया है कि वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का XI)/वेतन संहिता, 2019 और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम के तहत लागू सभी नियमों, ईपीएफओ, ईएसआईसी (यदि लागू हो), बोनस और श्रम के रोजगार के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अन्य सभी अधिनियम/नियमों का पालन कर रहे हैं।

36. ठेकेदार अपने अग्निशमन कर्मियों को अनिवार्य रूप से वेतन पर्ची जारी करेगा। एक अस्थायी प्रारूप निम्नानुसार है:

कर्मचारी का माह नाम Name of Employee's Month	पदनाम दिनों की संख्या/ ड्यूटी उपस्थिति:- Designation No. of Days/Duties present: -
वेतन विवरण देय भुगतान किया गया SALARY STATEMENT Payable paid	ईएसआई सं. पीएफ सं. ESI No. PF No.
बेसिक बोनस एचआरए ग्रेच्युटी अन्य भत्ता अतिरिक्त भत्ता / देर से ड्यूटी कुल वेतन समयोपरि कुल वेतन + समयोपरि कटौती (टैक्स और अन्य शुल्क) कुल देय राशि (रु.) BASIC BONUS HRA GRATUITY OTHERS ALLOW. ADD. ALLOW/LATE DUTY GROSS WAGES OT GROSS WAGES + OT DEDUCTIONS (TAXES AND ANY OTHER CHARGES) NET PAYABLE (Rs.)	कटौती की राशि EPF (%) ESI (%) सुरक्षा जमा कुल कटौती: DEDUCTIONS AMOUNT EPF (%) ESI (%) SECURITY DEPOSIT TOTAL DEDUCTION:

37. **वित्तीय समावेशन:** सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक परिसर में तैनात सभी फायर कर्मचारियों के पास बचत बैंक खाता और एटीएम कार्ड हो। मजदूरी का भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा, और हर महीने के 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।

38. **यौन उत्पीड़न:** सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करना होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी/कार्मिक/प्रतिनिधि के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत को सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर किया जाएगा और सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

39. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/एजेंसी/एजेंसी के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

40. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अपने कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

41. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगी जो घटना में सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के कर्मचारियों को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के कर्मचारी द्वारा यौन दुराचार साबित होता है।

42. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके किसी भी कर्मचारी/कर्मियों/प्रतिनिधि को बैंक के परिसर में निर्दिष्ट समय सीमा से अधिक प्रवेश या बने नहीं रहेंगे जब तक कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो और केटरकर/बैंक सुरक्षा अधिकारियों की अनुमति के साथ।

43. **गैर-प्रकटीकरण खंड:** सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी इस समझौते के संबंध में संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करते समय बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगी और हर समय इसे सख्त गोपनीयता में रखेगी। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगी, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी बैंक/नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र में या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगी या प्रकट नहीं करेगी। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक/नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देगी। उपरोक्त का पालन करने में विफलता सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक/नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपायों का पालन करने का हकदार होगा। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अपने कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की बाध्यताएं किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बच जाएंगी।

44. बलजबूरी: यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय, कोई भी पक्ष बलजबूरी के अधीन है, जिसे नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, तूफान, ईश्वर के कार्य आदि के रूप में कहा जा सकता है, जो किसी भी पक्ष को अपने दायित्व का निर्वहन करने से रोक सकता है, तो प्रभावित पक्ष ऐसी घटना के बारे में तुरंत दूसरे पक्ष को सूचित करेगा। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के ऐसे निष्पादन के संबंध में अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। अनुबंध के तहत दायित्वों को घटना के समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद यथासंभव शीघ्र ही फिर से शुरू किया जाएगा। यदि अनुबंध के तहत किसी दायित्व का निष्पादन पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से अधिक अवधि के कारण रोका या विलंबित होता है, यदि कोई हो, या सात दिन, जो भी अधिक हो, तो कोई भी पक्ष अपनी इच्छानुसार अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

45. अनुबंध की समाप्ति - कोई भी पक्ष लिखित में तीन स्पष्ट कैलेंडर माह की सूचना देकर समझौते को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। उपर्युक्त में निहित बातों के लिए पूर्वाग्रह के बिना, बैंक/नियोक्ता, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे के भुगतान के, लिखित नोटिस द्वारा तत्काल अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा, यदि-

- a) बैंक/नियोक्ता की राय में (जिसे सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा प्रश्न में नहीं कहा जाएगा और सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी पर बाध्यकारी होगा) सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी बैंक की संतुष्टि के लिए अनुबंध को लागू करने में विफल रहता है या इनकार करता है; और/या
- b) सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अनुबंध की किसी भी नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है; और/या
- c) किसी भी कारण से, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अनुबंध के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए किसी भी कानून के तहत हकदार नहीं हो जाता है;
- d) बैंक से लिखित पूर्व अनुमति के बिना सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी में कोई भिन्नता है; और/या
- e) सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को दिवालिया/दिवालिया घोषित किया जाता है, या उसके लेनदारों के साथ समझौता किया जाता है या यदि उस पर संकट या निष्पादन या अन्य प्रक्रिया लगाई जाती है या सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की संपत्ति या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

किसी भी कारण से अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी या उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति मुआवजे या क्षति के रूप में बैंक/नियोक्ता से किसी भी राशि या राशि के हकदार नहीं होंगे।

46. स्टाम्प शुल्क और अन्य कानूनी शुल्क - निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अनुबंध के प्रदान के अनुसार समझौते के निष्पादन के लिए स्टाम्प शुल्क और/या अन्य कानूनी शुल्क वहन करेगी। समझौते को दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, और बैंक मूल प्रति को अपने पास रखेगा और निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी डुप्लिकेट प्रति को अपने पास रखेगी।

47. मध्यस्थता:

- (a) इस अनुबंध से उत्पन्न या संबंधित किसी भी विवाद और/या अंतर को संबंधित पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों की संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा। हालाँकि, यदि विवाद संयुक्त चर्चाओं द्वारा

हल नहीं किए जाते हैं, तो मामला एकमात्र मध्यस्थ को न्यायनिर्णयन के लिए भेजा जाएगा जिसे महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(b) एकमात्र मध्यस्थ का फैसला अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता कार्यवाही समय-समय पर संशोधित भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा शासित होगी। मध्यस्थता का स्थान आरबीआई, अगरतला होगा।

(c) मध्यस्थता की लागत संबंधित पक्षों द्वारा समान अनुपात में वहन की जाएगी। मध्यस्थता कार्यवाही की लंबितता और अनुबंध की चालू रहने के दौरान, कोई भी पक्ष मध्यस्थता के कारण विवाद से संबंधित कार्य/सेवा को निलंबित करने का हकदार नहीं होगा और विक्रेता को भुगतान अनुबंध के अनुसार किया जाना जारी रहेगा।

(d) इस अनुबंध से संबंधित सभी मामले केवल अगरतला की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

48. **भुगतान रोकना:** बैंक इस सीमा तक भुगतान रोक सकता है कि, यदि उसे उचित रूप से विश्वास है कि एजेंसी इस समझौते के अनुसार दायित्वों का उल्लंघन कर रही है। यदि उल्लंघन इस प्रकार का है कि उसका निवारण किया जा सकता है, तो एजेंसी को कमी के निवारण के लिए 07 (सात) दिनों का नोटिस दिया जाएगा। एक बार जब सेवा प्रदाता कमी को ठीक कर लेता है, तो बैंक इस कारण पर रोक की गई राशि वापस कर देगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी रोकी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

49. **भुगतान से कटौती:** बैंक एजेंसी के बिल से, उल्लिखित सेवा स्तर समझौते (एसएलए) के अनुसार जुर्माने के दावों के कारण राशि, लागत या दावे, नुकसान, एजेंसी द्वारा की गई दोषपूर्ण सेवाएं आदि, एजेंसी की लापरवाही से उत्पन्न बैंक द्वारा सीधे तौर पर वहन किए गए ('प्रत्यक्ष नुकसान'), की रकम काट सकती है। यदि एजेंसी उल्लिखित उल्लंघन का निवारण करने में विफल रहती है, तो बैंक के पास बिना किसी सूचना के, एजेंसी के बिल से ऐसी राशि काटने का विवेकाधिकार है, और यह अधिकार इस समझौते के तहत बैंक को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त है।

50. **परिचालन कार्य जुर्माना:** परिचालन आवश्यकताओं तक सीमित परिचालन जुर्माना निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:

क्र. सं.	सेवा स्तर समझौता (एसएलए) Service Level Agreement (SLA)	विफलता सहिष्णुता स्तर Failure Tolerance Level	जोखिम Risk	प्रति माह जुर्माना Penalty per Month
	General			
1	नियत क्षेत्र में चोरी / उठाईगिरी की नियमित निगरानी करने में विफलता। Failure to monitor thefts / pilferage regularly at assigned area.	शून्य Zero	उच्च High	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.5% to Maximum 3% of the bill value.

2	कर्मचारी ड्यूटी/ पोस्ट से गायब नहीं होंगे। Staff shall not be Missing from duty/ post.	शून्य Zero	उच्च High	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.5% to Maximum 3% of the bill value.
3	घटनाओं की सूचना तुरंत बैंक के सुरक्षा अधिकारी को देने में विफलता Failure to intimate the incidents immediately to Security Officer of the Bank.	शून्य Zero	उच्च High	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.5% to Maximum 3% of the bill value.
4	ड्यूटी पर कर्मचारी नहीं सोएंगे Staff shall not sleep on duty	शून्य Zero	उच्च High	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.5% to Maximum 3% of the bill value.
5	किसी कर्मचारी/आगंतुकों आदि के साथ कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार। Misbehavior by the Staff with any employee / visitors etc.	शून्य Zero	मध्यम Medium	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक। Minimum

				0.3% to Maximum 3% of the bill value.
6	शिफ्ट परिवर्तन के दौरान कार्यभार सौंपने और संभालने में विफलता और एसओपी के अनुपालन में विफलता Failure in handing and taking over of duties during shift change and failure in follow up of SOPs	शून्य Zero	मध्यम Medium	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.3% to Maximum 3% of the bill value.
7	बैंक संपत्ति/उपकरणों का दुरुपयोग Misuse of Bank property/equipment.	शून्य Zero	मध्यम Medium	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.3% to Maximum 3% of the bill value.
8	अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित करने में विफलता। Failure to conduct training as per the terms of the contract.	शून्य Zero	निम्न Low	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% तक। Minimum 0.2% to Maximum 2% of the bill value.
9	स्मार्ट पहनावा, हर समय आईडी कार्ड के साथ अच्छी वर्दी। Smart Turnout, Good Uniform with ID card at all the times.	शून्य Zero	निम्न Low	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% तक। Minimum

				0.2% to Maximum 2% of the bill value.
--	--	--	--	---------------------------------------

51. प्रति माह जुर्माना / Penalty per Month

एसएलएस S L A	उच्च जोखिम High Risk	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक और कुल बिल मूल्य के 10% से अधिक नहीं। Minimum 0.5% to a Maximum of 3% of the monthly bill value and not exceeding more than 10% of the total bill value.
	मध्यम जोखिम Medium Risk	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक और कुल बिल मूल्य के 10% से अधिक नहीं। Minimum 0.3% to a Maximum of 3% of the monthly bill value and not exceeding more than 10% of the total bill value.
	निम्न जोखिम Low Risk	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% तक और कुल बिल मूल्य के 10% से अधिक नहीं। Minimum 0.2% to a Maximum of 2% of the monthly bill value and not exceeding more than 10% of the total bill value.

52. **कार्यान्वयन:** उपरोक्त-उल्लेखित एसएलएस की निगरानी प्रोटोकॉल और सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा और यदि कोई जुर्माना है, तो उसे संसाधित किया जाएगा।

53. **कार्यकारी जुर्माना (वैधानिक अनुपालन):** वैधानिक अनुपालन को सीमित करने वाला कार्यकारी जुर्माना निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:

क्र. सं Sl. No	वैधानिक आवश्यकताएं Statutory requirements	विफलता सहिष्णुता स्तर Failure Tolerance Level	जोखिम Risks	प्रति माह जुर्माना Penalty per Month
1	ठेकेदार को प्रति दिन 8 घंटे की सेवा की अधिकतम संख्या के संबंध में वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए The Contractor shall comply with the statutory requirement regarding maximum number of hours of service of 8 hours per day.	शून्य Zero	उच्च High	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.5% to Maximum 3% of the bill value.

2	कर्मचारी को एक दिन में 8 घंटे से अधिक तैनात करना Deploying the employee beyond 8 hours in a day.	शून्य Zero	उच्च High	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.5% to Maximum 3% of the billvalue.
3	प्रत्येक शिफ्ट में 100% फायरमैन स्टाफ को तैनात करने में विफलता। Failure to deploy 100% Fireman staff in each shift.	दैनिक शिफ्ट आधार पर 100% से कम उपस्थिति नहीं होनी चाहिए- (शून्य) Should not be less than 100% attendance on daily shift basis- (Zero)	उच्च High	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.5% to Maximum 3% of the billvalue.
4	लागू कानूनों का पालन करने में विफलता Failure to comply with the Applicable laws	शून्य Zero	मध्यम Medium	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.3% to Maximum 3% of the bill value.
5	स्टाफ/कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिए बिना तैनात करना Deploying the Staff/ employees without giving weekly-off.	शून्य Zero	उच्च High	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.5% to Maximum 3% of the billvalue.
6	उपस्थिति रजिस्टर इस तरह से बनाए रखा जाएगा कि कर्मचारियों का दैनिक ट्रैकर संभव हो सके। Attendance register shall be maintained in such a manner that daily tracker of staff is possible.	शून्य Zero	उच्च High	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.5% to Maximum 3% of the billvalue.
7	वैधानिक आवश्यकता दस्तावेज, अर्थात् - मजदूरी/छुट्टी/साप्ताहिक अवकाश/उपस्थिति के लिए प्रत्येक एक रजिस्टर बनाए रखकर प्रदान की जानी चाहिए Statutory requirement documents to be provided on by keeping one register each i.e., -Wage/ Leave/ Weekly off/ Attendance.	शून्य Zero	उच्च High	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.5% to Maximum 3% of the billvalue.

8	ठेकेदार अनुपालन लेखापरीक्षा में भागीदारी Participation in the Contractor compliance Audit.	शून्य Zero	उच्च High	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.5% to Maximum 3% of the billvalue.
9	वैधानिक आवश्यकता दस्तावेज, अर्थात -पीएफ/ईएसआई, समय पर प्रदान की जानी चाहिए Statutory requirement - documents to be provided on time i.e., -PF/ESI	Before 5th of every month	मध्यम Medium	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.3% to Maximum 3% of the billvalue.
10	प्रत्येक माह के 10 तारीख तक वेतन का भुगतान करने में विफलता Failure to pay the salary with in 10th of each month	on or before 10th every month	मध्यम Medium	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक। Minimum 0.3% to Maximum 3% of the billvalue.

54. प्रति माह जुर्माना / Penalty per Month

एसएलए S L A	उच्च जोखिम High Risk	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक और कुल बिल मूल्य के 10% से अधिक नहीं। Minimum 0.5% to a Maximum of 3% of the monthly bill value and not exceeding more than 10% of the total bill value.
	मध्यम जोखिम Medium Risk	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक और कुल बिल मूल्य के 10% से अधिक नहीं। Minimum 0.3% to a Maximum of 3% of the monthly bill value and not exceeding more than 10% of the total bill value.
	निम्न जोखिम Low Risk	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% तक और कुल बिल मूल्य के 10% से अधिक नहीं। Minimum 0.2% to a Maximum of 2% of the monthly bill value and not exceeding more than 10% of the total bill value.

55. **कार्यान्वयन:** उपरोक्त-उल्लेखित एसएलए की निगरानी प्रोटोकॉल और सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा और यदि कोई जुर्माना है, तो उसे संसाधित किया जाएगा।

56. **नियुक्ति पत्र जारी करना:** ठेकेदार बैंक में तैनात अपने सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा और उनके बायोडाटा के साथ बैंक को उसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगा। सेवा प्रदाता को यह महसूस करना चाहिए और बैंक के साथ लगे व्यक्तियों को यह भी शिक्षित करना चाहिए कि अनुबंध सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए व्यक्तियों के लिए नियुक्ति नहीं है, बल्कि बैंक और सेवा प्रदाता के बीच एक संविदात्मक समझौता है।

57. **अनुबंध का उप-किराया:** ठेकेदार अनुबंध का कोई भी हिस्सा किसी और को सौंप नहीं सकता या उप-किराया नहीं देगा। ठेकेदार अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए सभी व्यवस्थाएं करेगा; नियोक्ता आदमी या सामान के रूप में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, नियोक्ता ठेकेदार पर अनुबंध को रद्द करने के लिए लिखित में नोटिस दे सकता है, जिस पर ठेकेदार के खिलाफ उसके अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता के पास सुरक्षा जमा जम्मा हो जाएगा।

58. **भाषा:** सभी दस्तावेजों सहित निविदा अंग्रेजी में होगी। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सफल निविदाकर्ता द्वारा किए जाने वाले समझौते को द्विभाषी, यानी हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। यदि निविदा दस्तावेज की हिंदी अंग्रेजी संस्करण से विरोधाभास करती है या अंग्रेजी संस्करण के अतिरिक्त या भिन्न शब्द शामिल हैं, तो अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।

59. **कर:** उद्धृत कीमतें जीएसटी को छोड़कर होंगी, लेकिन इसमें केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए अन्य सभी कर, स्थानीय लेवी, कार्य अनुबंध कर आदि शामिल माने जाएंगे। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

60. **अयोग्यता - गुम और अहस्ताक्षरित दस्तावेज़:** निविदा प्रपत्र केवल अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। यदि कोई भी दस्तावेज़ गायब है या हस्ताक्षर नहीं है, तो बैंक अपने विवेक पर निविदा को अमान्य मान सकता है।

1. For performing the assigned work, the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall deploy medically and physically fit trained personnel (Firemen below 40 years of age). The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall ensure that the persons are punctual and disciplined and remain vigilant in performance of their duty. Persons so engaged by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall be properly trained firemen of high integrity and good conduct and shall be fully conversant in Hindi and English.
2. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall provide one Fire Supervisor (with adequate experience, preferably decorated with previous service in fire department) who will work during normal/general shift (10:00 am to 06:00 pm) from Monday to Saturday and two (02) firemen, working in eight-hour shifts, who will operate 24 hours a day (in three shifts) at the RBI office premises in Agartala. In case of leave/ any absentee, sufficient number of relievers/leave reserves shall also be made available for the deployed staff.
3. The Supervisor/ Leading fireman deployed by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall have minimum three years of experience. The personnel deployed should be above 18 years of age.
4. The Firemen deployed by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency will have minimum three years' experience. The personnel deployed should be above 18 years of age.
5. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall not transfer/change the firemen deputed during the period of the agreement without the permission of the Bank.

6. Any shortfall of manpower due to illness/other reasons will be made up by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency on adhoc basis and the replacement / reliever should be having similar qualifications.
7. Police verification of each and every person deployed is necessary and mandatory. It will be the sole responsibility of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency to get proper police verification done of all the fire staff prior to deployment. A certificate to this effect is to be submitted to the Bank by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency that the Police verification of its staff deployed for the purpose of the contract has been completed and the same can be called by the Bank as and when required.
8. That the persons deployed by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency for the services mentioned above shall be the employees of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency for all intents and purposes and that the persons so deployed shall remain under the control and supervision of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency and in no case, shall a relationship of employer and employee between the said persons and the Reserve Bank of India, Agartala shall accrue/arise implicitly or explicitly. It will be the responsibility of the successful tenderer/ contractor / firm / company/ Agency to ensure that no liability on this count should come on Reserve Bank of India, Agartala in respect of workers deployed by him.
9. The successful tenderer / contractor / firm / company/ Agency shall remove all workers deployed by him on termination of the contract or on expiry of the contract from all office premises of the RBI located at Agartala and ensure that no such persons shall create any disruption/ hindrance/ problem of any nature in the RBI, offices at Agartala either explicitly or implicitly.
10. That on taking over the responsibility of work assigned, the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall formulate the mechanism for due assignment of work to its personnel in consultation with the General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Agartala or his nominee. Subsequently, the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall review the work assigned from time to time and advise the General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Agartala for further streamlining their system. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall further be bound by and carryout the directions/instructions given to him by the General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Agartala or the officer designated by the General Manager (Officer-in-Charge) in this regard from time to time.
11. That the General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Agartala or any other persons authorized by the General Manager (Officer-in-Charge) shall be at liberty to carryout surprise check on the persons as deployed by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency in order to ensure that persons deployed by him are doing their duties properly.
12. That in case any of the persons so deployed by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency does not come up to the mark or does not perform their duties properly or commits misconduct or indulges in any unlawful riots or disorderly conduct, the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall immediately withdraw and take suitable action against such persons on the

report of the General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Agartala. Further, the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall immediately replace the particular person so deployed in case any of the aforesaid acts on the part of the said person.

13. That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall carefully and diligently perform the work assigned to him in consultation with the General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Agartala or his nominee or the officer designated by the General Manager (Officer-in-Charge) in this regard from time to time.
14. One dedicated mobile number must be provided by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency at the fire control rooms at its own cost.
15. That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall submit details, such as names, parentage, residential address, age etc. along with recent photograph of the persons deployed by him. For the purpose of proper identification of the employees of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency deployed for the work, he shall issue identity cards bearing their photographs/identification etc. and such employees shall display their identity cards at the time of duty.
16. That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall be liable for the payment of wages and all other dues which they are entitled to receive under the provisions of Minimum Wages Act and other relevant statutory enactments.
17. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency will raise monthly invoice on Reserve Bank of India, Agartala latest by 10th of the succeeding month. The Reserve Bank of India, Agartala will deduct tax at source and all other taxes, duties as applicable from time to time from the amount payable to the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency.
18. That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall comply with or cause to be complied with the notifications issued by Govt. from time to time in regard to payment of wages, wage period deductions from wages, recovery of wages not paid and deductions unauthorised made, maintenance of wages book, wage slip, publications of scale of wages and terms of employment, inspection and submission of periodical returns to the authorities concerned. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency should pay the minimum wages stipulated by the Government of India, Ministry of Labour from time to time and submit monthly compliance certificate (with details of wages paid) on payment of minimum wages for the fire staff deployed in our premises along with next month's bill.
19. That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall make the payment of wages etc., to the persons so deployed and shall on demand furnish copies of wage register / muster roll, etc., to the RBI, Agartala for having paid all the dues to the persons deployed by him for the work under the Agreement. This obligation is imposed on the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency to ensure that he is fulfilling his commitments, towards his employees so deployed as per the provisions of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 / Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code, 2020. The Contractor must comply with the provisions of Contract Labour (Regulation &

Abolition) Act, 1970 / Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 at his own cost and the rules made there under by the Government from time to time.

- 20.** If it comes to the knowledge of the Bank that the same staff has been deployed in two consecutive shifts or is deployed elsewhere also, the Bank shall reserve the right to impose penalty as it deems fit. For deficiency in services and serious inconvenience caused to the Bank and its officials, the Bank reserves the right to impose penalty up to 10% of the estimated contract amount. In the event of penalty reaching 10% of the contract amount, the Bank reserves its right to terminate the contract and the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall be liable to risk and cost. The amount of penalty will be appropriated from Security Deposit or any other amount payable to the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency.
- 21.** No accommodation facility, transport facility or medical facility will be provided by Reserve Bank of India to the persons deployed for the purpose of the contract.
- 22.** That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall deploy his persons in such a way that they get weekly rest. The working hours / leave, for which work is taken from them, do not violate relevant provisions of Shops and Establishments Act. The contractor shall arrange to provide reliever equally qualified and competent in case of absence/leave/off etc. of the Private fire staff deployed. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall in all dealing with the persons in his employment have due regard to all recognised festivals, days of rest and religious or other customs.
- 23.** The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall comply with the applicable statutory provisions of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970; Employees State Insurance Act; Workman's Compensation Act, 1923; Payment of Wages Act, 1936; The Employees Provident Fund (and Miscellaneous Provisions) Act, 1952; Payment of Bonus Act 1965; The Minimum Wages Act, 1948; Employees Liability Act, 1938; Employment of Children Act 1938; Maternity Benefit Act, the Payment of Gratuity Act, 1972, the Equal Remuneration Act, 1976, the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, the Labour Codes and the rules published thereunder, from time to time, and/or any other rules/regulations and/or statutes that may be applicable to them. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall be solely responsible for any violation of provision of the above-mentioned legislative enactments or any other statutory provisions and shall further keep the RBI, Agartala indemnified from all acts of omission, fault, breaches and / or any claim, demand, loss, injury and expense arising out from the non-compliance of the aforesaid statutory provisions. Successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency failure to fulfil any of the obligations hereunder and / or under the said Acts, rules/ regulations/ or any bye-laws or rules framed under or any of these, the RBI, Agartala shall be entitled to cover any of the such losses or expenses, which it may have to suffer or incur on account of such claims, demand, loss or injury, from the contractor's monthly payment or any other amount payable to the contractor or by invoking the Bank Guarantee.
- 24.** In the event of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency

committing a default or breach of any of the provisions of the Labour Laws / Labour Codes including the provisions of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 or Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, as amended in put in force from time to time or in furnishing any information, or submitting or filling any statement under the provisions of the said Regulations and Rules which is materially incorrect, he shall without prejudice to any other liability, pay to the RBI, Agartala, a sum as may be determined by General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Agartala. The Bank reserves right to appropriate the amount by invoking the Bank Guarantee or from any other amount payable to the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency.

- 25.** That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall be required to maintain permanent attendance register/roll within the building premises which will be open for inspection and checking by the authorized officers of Reserve Bank of India, Agartala.
- 26.** The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall take all reasonable precautions to prevent any unlawful riot or disorderly conduct or acts of his employees so deployed and ensure preservation of peace and protection of persons and property of Reserve Bank of India, Agartala.
- 27.** That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall at his own cost take necessary insurance cover in respect of the aforesaid services rendered to RBI, Agartala. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall take "Third Party Liability Policy" for the contract value and "Workmen Compensation Policy" for the workers engaged for the work for the entire duration of the contract. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall provide a copy of the policy to the Bank on award of work.
- 28.** The Bank shall not be responsible for payment of any compensation for death or injury or accident to any of the fire staff which may arise out of and in the course of their duties and deployment. It is agreed and understood that the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall alone be liable to pay such damages or compensation to such fire staff.
- 29.** The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall remove all workers deployed by him on termination of the contract or on expiry of the contract from all the office premises of the Reserve Bank of India, Agartala and ensure that no such persons shall create disruption/ hindrance/ problem of any nature in the Reserve Bank of India, Agartala offices either explicitly or implicitly.
- 30.** That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall keep the Reserve Bank of India, Agartala indemnified against all claims whatsoever in respect of the employees/personnel/representatives deployed by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency. In case any employee/personnel/representatives of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency so deployed enters into dispute of any nature whatsoever, it will be the primary responsibility of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency to contest the same. In case Reserve Bank of India, Agartala is made party and is supposed to contest the case, the Reserve Bank of India, Agartala will be reimbursed for the actual expenses incurred towards Counsel fee and other expenses, which shall be paid in advance by the successful tenderer/contractor /

firm / company/ Agency to Reserve Bank of India, Agartala on demand. Further, the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall ensure that no financial or any other liability comes on Reserve Bank of India, Agartala in this respect of any nature whatsoever and shall keep Reserve Bank of India, Agartala indemnified in this respect.

31. That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall ensure that the persons so deployed do not take any property including Fire Safety Equipment belonging to the Reserve Bank of India, Agartala out of the premises without a Gate Pass signed by the designated officials of the Reserve Bank of India, Agartala. As a safeguard against any dishonesty, connivance and/or ulterior motive, the specimen signature of the officials designated and authorized to sign the Gate Pass will be intimated in writing to the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency along with subsequent changes, if any.
32. That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall be solely responsible for any violation of provision of the labour laws / Labour Codes or any other statutory provisions and shall further keep the RBI, Agartala indemnified from all acts of omission, fault, breaches and/or any claim, demand, loss, injury and expense arising from the non-compliance of the aforesaid statutory provisions. The Successful tenderer's /contractor's / firm's / company's/ Agency's failure to fulfil any of the obligations hereunder and/or under the said Acts, rules/regulations and/or any bye-laws or rules framed under or any of these, the RBI, Agartala shall be entitled to recover any of such losses or expenses, which it may have to suffer or incur on account of such claims, demand, loss or injury, from the Successful tenderer's /contractor's / firm's / company's/ Agency's monthly payment and Security Money Deposit. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency should follow standard safety procedure and equipment and ensure that none of its staff suffer any injuries. Any liability on this account will be entirely that of the Agency.
33. It shall be the responsibility of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency to take care of fire safety arrangements in the Reserve Bank of India, Agartala premises and report the matter related to fire safety to the Security Officers of Reserve Bank of India, Agartala immediately. It shall be the sole responsibility of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency to ensure security and safety of all the property and assets, movable and immovable, related to fire safety and security of the Reserve Bank of India, Agartala and if there is any loss to the Reserve Bank of India, Agartala on account of dishonesty, and/or due to any lapse on the part of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency or his worker/s, the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall make good on demand the loss to the Reserve Bank of India, Agartala. He should also take steps, in consultation with Reserve Bank of India, Agartala authorities, to register FIR with police, if required.
34. That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall provide two pairs of distinct uniform at his own cost to the persons deployed for this work and shall include Shirt (Shirt/Jacket-inscribed as FIRE SAFETY at the back), leather shoes, Socks, Lanyard with whistle, Jersey for winter, Rain coat/umbrella for rainy season, loaded torches and batons at all the posts and Reserve Bank of India,

Agartala shall have no liability whatsoever on this account. The uniform shall be approved by the General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Agartala.

35. Payment to the agency: The charges quoted will cover the cost of the services of manpower deployed, shall be payable on monthly basis subject to submission of invoice and performance check. The payment thereon will be made after the same is duly certified by the Bank's Officers that the services provided have been satisfactory and after deducting all statutory dues/taxes, etc. The payment would be made on monthly basis for actual shifts manned/operated by the personnel supplied by the contractor and based on the attendance sheets duly verified by the P&SO and other supporting documents. No other claim on whatever account shall be entertained by the Bank. The Contractor will ensure that Supervisor/Fire men engaged by him must receive their entitled wages in time. In view of this, the following procedure will be adopted. The bills shall be submitted along with the following documents in respect of the contractual employees deployed at RBI Agartala, mandatorily:

- a) Current month Invoice Copy.
- b) Current month Wage Register (Form XVII [See rule 78(1) (a) (i) of The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 or any other applicable rules under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020], duly signed by the individual contract Labourers.
- c) Current month Attendance Register.
- d) Current month ESI remittance challan (if applicable) with consolidated and breakup details.
- e) Current month EPF remittance challan, as applicable, with consolidated and break up details.
- f) Bank statement of the agency duly authorized by Bank officials having details of salary Payment made to each employee.
- g) Proof of any other payment (bonus etc.) made to the contractual employees.
- h) A Certificate by the Vendor declaring that they are adhering to the applicable forms under the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) /Code on Wages, 2019 and all the applicable rules under the Act issued by the Government of India from time to time, EPFO, ESIC (if applicable), Bonus and all other Act/Rules issued by the Government of India in connection with employment of labours.

36. The contractor shall compulsorily issue the salary slip to their Firefighting personnel.

A tentative format is as under:

Name of Employee's Month	Designation No. of Days/Duties present: -
SALARY STATEMENT Payable paid	ESI No. PF No.
BASIC BONUS HRA GRATUITY OTHERS ALLOW.	DEDUCTIONS AMOUNT EPF (%) ESI (%) SECURITY DEPOSIT TOTAL DEDUCTION:

ADD. ALLOW/LATE DUTY GROSS WAGES OT GROSS WAGES + OT DEDUCTIONS (TAXES AND ANY OTHER CHARGES) NET PAYABLE (Rs.)	
---	--

- 37. Financial Inclusion:** The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall ensure that all the Fire staff deployed in the Bank premises is having a Saving Bank Account along with an ATM card. Payments of wages shall be paid through NEFT/ RTGS, and wages must be paid up to 7th of every month.
- 38. Sexual Harassment:** The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall comply with the provisions of “the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013”. In case of any complaint of sexual harassment against its employee/personnel/representative within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency and the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint.
- 39.** Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Internal Complaints Committee constituted by the Bank.
- 40.** The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall be responsible for educating its employees/personnel/representatives about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.
- 41.** The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency, for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual misconduct by the employee of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency is proved.
- 42.** The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall ensure that none of its employee/personnel/representatives will enter or remain in the Bank's premises beyond the specified time limits unless absolutely necessary for fulfilling successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency obligations and with permission of the Caretaker/Bank Security officials.
- 43. Non-Disclosure Clause:** The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure / systems/ equipment etc, which may come to the possession or knowledge of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency during the course of discharging contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the

same in strictest confidence. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Bank/Employer. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall indemnify the Bank/Employer for any loss suffered by the Bank/Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency and the Bank/Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall take all appropriate actions with respect to its employees/personnel/representatives to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reasons.

44. Force Majeure: If at any time during the currency of the contract, either party is subject to force majeure, which can be termed as civil disturbance, riots, strikes, tempest, acts of God etc. which may prevent either party to discharge his obligation, the affected party shall promptly notify the other party about the happening of such an event. Neither party shall by reason of such event be entitled to terminate the contract in respect of such performance of their obligations. The obligations under the contract shall be resumed as soon as practicable after the event has come to an end or ceased to exist. If the performance of any obligation under the contract is prevented or delayed by reason of the event beyond a period mutually agreed upon, if any, or seven days, whichever is more, either party may at its option terminate the contract.

45. Termination of Contract - Either party shall be at liberty to terminate the agreement by giving three clear calendar months' notice in writing. Without prejudice to what is contained herein above, the Bank/Employer shall at its sole and absolute discretion, be entitled to terminate the contract forthwith by written notice without assigning any reason and without payment of any compensation, if-

- a) In the opinion of the Bank/Employer (which shall not be called in question by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency and shall be binding on the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency) the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency fails or refuses to implement the contract to the Bank's satisfaction; and/or
- b) The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency commits a breach of any terms and conditions of the contract; and/or
- c) For any reason whatsoever, the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency becomes disentitled under any law to perform his obligation under the contract; and/or
- d) There is any variation in the ownership/partnership of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency or its business without the prior permission in writing from the Bank; and/or

- e) The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency is adjudged an insolvent/bankrupt, or a compromise is entered by it with its creditors or if distress or execution or other process is levied upon it or receiver is appointed for any part of the assets or property of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency.

In the event of termination of the contract for any reason whatsoever, the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency or persons employed by it shall not be entitled for any sum or sums whatsoever from the Bank/Employer by way of compensation or damages.

46. Stamp Duty and other law charges- The tenderer/contractor / firm / company/Agency shall bear the stamp duty and/or other law charges for execution of the agreement pursuant to award of the contract. The agreement shall be executed in duplicate, and the Bank shall retain the original and the tenderer/contractor / firm / company/Agency shall retain the duplicate.

47. Arbitration:

- (a) Any dispute and/or difference arising out of or relating to this contract will be resolved through joint discussion of the authorised representatives of the concerned parties. However, if the disputes are not resolved by joint discussions, then the matter will be referred for adjudication to a sole Arbitrator to be appointed by the General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Agartala.
- (b) The award of the sole Arbitrator shall be final and binding on all the parties. The arbitration proceedings shall be governed by Indian Arbitration and Conciliation Act 1996 as amended from time to time. The venue of arbitration shall be RBI, Agartala.
- (c) The cost of Arbitration shall be borne by the respective parties in equal proportions. During the pendency of the arbitration proceeding and currency of contract, neither party shall be entitled to suspend the work/service to which the dispute relates on account of the arbitration and payment to the Vendor shall continue to be made in terms of the contract.
- (d) All matters pertaining to this Contract shall be subjected to the jurisdiction of the courts in AGARTALA only.

48. Withholding of Payments: The Bank may withhold the payment to an extent that, if it reasonably believes when, the Agency is in breach of the obligations as per this Agreement. If the breach is such that the same can be remedied, the Agency is given 07 (seven) days' notice for remedy of the deficiency. Once the service provider has cured the deficiency, the Bank will pay back the withheld amounts on this cause. It is clarified that such withheld amount shall not incur any interest.

49. Deductions from Payment: The Bank may deduct from the Agency's Bill, amounts on account of claims of penalty as per the mentioned Service Level Agreement (SLA), costs or claims, losses, damages, defective services carried out by the Agency etc., directly incurred by the Bank ('The Direct Damages') that arise from the negligence of the Agency. In case the Agency fails to remedy the breach, as mentioned, the Bank has the discretion, without further notice, to deduct such amounts from the Agency's Bill, and this right is in addition to any other right

available to the Bank under this Agreement.

50. Operational Working Penalty: Working penalty limiting to the operational requirements are specified as follows:

Sl. No.	Service Level Agreement (SLA)	Failure Tolerance Level	Risk	per Month
	General			
1	Failure to monitor thefts / pilferage regularly at assigned area.	Zero	High	Minimum 0.5% to Maximum 3% of the bill value.
2	Staff shall not be Missing from duty/ post.	Zero	High	Minimum 0.5% to Maximum 3% of the bill value.
3	Failure to intimate the incidents immediately to Security Officer of the Bank.	Zero	High	Minimum 0.5% to Maximum 3% of the bill value.
4	Staff shall not sleep on duty	Zero	High	Minimum 0.5% to Maximum 3% of the bill value.
5	Misbehavior by the Staff with any employee / visitors etc.	Zero	Medium	Minimum 0.3% to Maximum 3% of the billvalue.
6	Failure in handing and taking over of duties during shift change and failure in follow up of SOPs	Zero	Medium	Minimum 0.3% toMaximumu m 3% of the billvalue.
7	Misuse of Bank property/equipment.	Zero	Medium	Minimum 0.3% to

				Maximum 3% of the billvalue.
8	Failure to conduct training as per the terms of the contract.	Zero	Low	Minimum 0.2% toMaximum 2% of the billvalue.
9	Smart Turnout, Good Uniform with ID card at all the times.	Zero	Low	Minimum 0.2% to Maximum 2% of the bill value.

51. Penalty per Month

S L A	High Risk	Minimum 0.5% to a Maximum of 3% of the monthly bill value and not exceeding more than 10% of the total bill value.
	Medium Risk	Minimum 0.3% to a Maximum of 3% of the monthly bill value and not exceedingly more than 10% of the total bill value.
	Low Risk	Minimum 0.2% to a Maximum of 2% of the monthly bill value and not exceedingly more than 10% of the total bill value.

52. Implementation: The above-mentioned SLA are to be monitored by the Protocol & Security Officer and process the penalties if any.

53. Working Penalty (Statutory compliances): Working penalty limiting to the statutory compliances are specified as follows:

Sl. No	Statutory requirements	Failure Tolerance Level	Risks	Penalty per Month
1	The Contractor shall comply with the statutory requirement regarding maximum number of hours of service of 8 hours per day.	Zero	High	Minimum 0.5% to Maximum 3% of the billvalue.
2	Deploying the employee beyond 8 hours in a day.	Zero	High	Minimum 0.5% to Maximum 3% of the billvalue.

3	Failure to deploy 100% Fireman staff in each shift.	Should not be less than 100% attendance on daily shift basis- (Zero)	High	Minimum 0.5% to Maximum 3% of the billvalue.
4	Failure to comply with the Applicable laws	Zero	Medium	Minimum 0.3% to Maximum 3% of the bill value.
5	Deploying the Staff/ employees without giving weekly-off.	Zero	High	Minimum 0.5% to Maximum 3% of the billvalue.
6	Attendance register shall be maintained in such a manner that daily tracker of staff is possible.	Zero	High	Minimum 0.5% to Maximum 3% of the billvalue.
7	Statutory requirement documents to be provided on by keeping one register each i.e., -Wage/ Leave/ Weekly off/ Attendance.	Zero	High	Minimum 0.5% to Maximum 3% of the billvalue.
8	Participation in the Contractor compliance Audit.	Zero	High	Minimum 0.5% to Maximum 3% of the billvalue.
9	Statutory requirement - documents to be provided on time i.e., -PF/ESI	Before 5th of every month	Medium	Minimum 0.3% to Maximum 3% of the billvalue.
10	Failure to pay the salary with in 10th of each month	on or before 10th every month	Medium	Minimum 0.3% to Maximum 3% of the billvalue.

54. Penalty per Month

SLA	High Risk	Minimum 0.5% to a Maximum of 3% of the monthly bill value and not exceedingly more than 5% of the total bill value.
	Medium Risk	Minimum 0.3% to a Maximum of 3% of the monthly bill value and not exceedingly more than 5% of the total bill value.
	Low Risk	Minimum 0.2% to a Maximum of 2% of the monthly bill value and not exceedingly more than 5% of the total bill value.

55. Implementation: The above-mentioned SLA is to be monitored by the Protocol & Security Officer and to process the penalties if any.

56. Issuance of appointment letter: The contractor shall issue appointment letters to all its employees deployed to the Bank and furnish a copy of the same to the Bank along

with their biodata. The service provider shall realize and further educate the persons engaged with the Bank that the contract is not an appointment to the persons provided by the service provider but a contractual agreement between the Bank and the service provider.

57.Sub-letting of Contract: The Contractor shall not assign or sublet any portion of the Contract. The Contractor shall make all arrangements for carrying out the work as per the terms and conditions of the contract; the employer will not provide any kind of assistance in the form of men/ material. In case of breach of these conditions, the Employer may serve a notice in writing on the Contractor rescinding the contract whereupon the security deposit shall stand forfeited to the Employer, without prejudice to his other remedies against the Contractor.

58.Language: The Tender including all documents etc. shall be in English. However, the agreement to be entered by the successful Tenderer with Reserve Bank of India shall be in bilingual, i.e. Hindi and English. If Hindi of the tender document conflicts with the English version or contains terms in addition to or different from the English version, the English version shall prevail.

59. Taxes: The prices quoted **shall be exclusive of GST but deemed** to have included all other taxes, local levies, works contract tax, etc. imposed by Central/State Government/ Local Bodies. If the Tenderer fails to include such taxes and duties in the Tender, no claim thereof will be entertained by the Bank afterwards.

60. Disqualification - Missing and Unsigned documents: The Tender form must be filled in English only. If any of the documents is missing or unsigned, the Tender may be considered invalid by the Bank at its discretion.

अग्निशमन पर्यवेक्षक और अग्निशमन कर्मचारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां

निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को सलाह दी जाती है कि वे अपनी दसों को उद्धृत करने से पहले कार्य की मात्रा का आकलन करने के लिए साइट का दौरा करें। उपर्युक्त वर्णित कार्य के दायरा के अलावा निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

कार्यात्मक आवश्यकताएँ

1. घटनाओं के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया: अलार्म की प्राप्ति और प्रारंभिक अग्निशमन या आपातकालीन दृश्य गतिविधियों के बीच होने वाले कार्य।
 - (a) प्राप्त अलार्म जानकारी के आधार पर घटना का प्रारंभिक मूल्यांकन करता है (उदाहरण के लिए, अलार्म प्रकार, संरचना प्रकार, आदि)।
 - (b) सेवाओं के लिए कॉल प्राप्त होने पर नियत उपकरण पर आगे बढ़ें।
 - (c) आपातकालीन दृश्यों से पहले और उस पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना।
2. निगरानी ड्यूटी: आने वाले अलार्म और सूचना प्राप्त करने, फोन का उत्तर देने और पहुंच की निगरानी के लिए खड़ा रहता है।
 - (a) अलार्म, बहु-अलार्म, ईएमएस अलार्म और अन्य महत्वपूर्ण आपात स्थितियों की सूचना प्राप्त होती है।
 - (b) यदि आवश्यक हो, तो स्टेशन कर्मियों को (सार्वजनिक पते पर या संकेतों के उपयोग के माध्यम से) आने वाले अलार्म और आवश्यक प्रतिक्रिया (उदाहरण के लिए, हर कोई जाता है, केवल ट्रक, केवल इंजन, आदि) की सूचना देता है
 - (c) यदि आवश्यक हो, तो विभाग और बाहरी फोन का उत्तर देगा।
3. ऑन-सीन कम्युनिकेशन: आपातकालीन स्थिति में संवाद करता है ताकि उपकरण और कर्मियों का उचित समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
 - (a) आपातकालीन स्थल पर पहुंचने पर कमान अधिकारी से जानकारी प्राप्त करता है (उदाहरण के लिए, कर्मियों और उपकरणों के असाइनमेंट के संबंध में)।
 - (b) स्थिति, आकार आदि के बारे में आपातकालीन स्थल पर अन्य अग्निशमन कर्मियों के साथ संवाद करता है।
 - (c) आपातकालीन स्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से आदेशों को रिले करता है।
4. पंप संचालन: यह उपकरण को फायर हाइड्रेंट से जोड़ता है और कूपलिंग, होज़, स्पेनर रॉच और अन्य उपकरणों का उपयोग करके उचित दबाव और मात्रा में पानी की आपूर्ति के लिए पंपों का संचालन करता है।
 - (a) यह सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रेंट को खोलता है और फ्लश करता है कि यह कार्यात्मक है।
 - (b) हाइड्रेंट दबाव द्वारा होज़ को पानी से भरता है।
 - (c) पंप लगाता है।

- (d) नियंत्रण कक्ष निरीक्षण (उदाहरण के लिए, पानी का तापमान, तेल दबाव गेज, ईंधन गेज, हाइड्रेंट दबाव)।
- (e) उपकरण को आपूर्ति से कनेक्ट करता है और आपूर्ति लाइन बिछाता है।
- (f) पंपिंग करते समय होने वाली किसी भी समस्या के बारे में अधिकारी को सूचित करता है।
- (g) अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने पर पंप बंद कर देता है।

5. दस्तावेजीकरण

नियुक्त अग्निशमन कर्मियों को यह पता होना चाहिए कि अग्निशमन पर्यवेक्षक की देखरेख में बुनियादी दस्तावेजों को कैसे बनाए रखा जाए। यदि आवश्यक हो तो अग्निशमन कर्मियों को आग, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित दस्तावेजों/उपकरणों को एक व्यक्ति/स्थान से दूसरे व्यक्ति/स्थान पर ले जाने के लिए तुरंत एक धावक के रूप में कार्य करना चाहिए। फायरमैन को बोलचाल की अंग्रेजी और हिंदी में पारंगत होना चाहिए।

6. होस (और एक्सटिंग्विशर) ऑपरेशन: पानी, फोम और अन्य बुझाने वाले एजेंटों को आपातकालीन दृश्य तक पहुंचाने के लिए लाइन को फैलाते हैं या एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं।

- (a) यह ऑपरेशन के लिए आवश्यक होज़ के प्रकार (आकार) और लंबाई की संख्या निर्धारित करता है।
- (b) होस बेड से होज़ खींचता है।
- (c) उचित नोजल और नोजल सेटिंग निर्धारित करता है।
- (d) नोजल से होज़ लाइन को जोड़ता है।
- (e) आवश्यकता/उचित होने पर स्टैंडपाइप से जुड़ता है।
- (f) उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए चार्ज करने से पहले या बुझाने के दौरान होज़ लाइन को बाहर निकालें।
- (g) धुआं, ध्वनि, लपटें, गैस, वाष्प आदि को देखकर, सूंघकर या सुनकर आग या अन्य खतरे (जैसे, गैस रिसाव) के स्थान का पता लगाता है।
- (h) घटना को बुझाने, रोकने और/या नियंत्रित करने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग करता है।

7. मैनुअल लैंडर ऑपरेशन: खोज, बचाव और अन्य कार्यों को करने के लिए मैनुअल सीढ़ियों को उठाता है, बढ़ाता है, विस्तारित करता है और चढ़ता है।

- (a) घटनास्थल पर आवश्यक मैनुअल लैंडर का प्रकार और आकार निर्धारित करता है।
- (b) घटनास्थल पर मैनुअल सीढ़ी के उचित स्थान का निर्धारण करता है।
- (c) घटनास्थल पर मैनुअल सीढ़ी को उठाता है और तैनात करता है।
- (d) दृश्य पर मैनुअल सीढ़ी को लंगर डालता है और सुरक्षित करता है (यानी बांधना)।
- (e) खोज, बचाव और अन्य कार्यों को करने के लिए मैनुअल सीढ़ी पर चढ़ता है।

8. शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों/ग्राहकों को सहायता।

यदि आवश्यक हो, तो आपातकालीन स्थिति में व्यस्त न होने पर ड्यूटी पर मौजूद फायरमैन को शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों/ग्राहकों की मदद और सहायता करनी चाहिए।

9. जबरन प्रवेश (यदि आवश्यक हो): ज़ोर लगाकर खोलना, कटना, या दरवाज़े तोड़ना, या अन्यथा पीड़ितों की खोज और बचाव के लिए आपातकालीन दृश्य तक पहुंच प्रदान करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर - संरचनाओं, वाहनों और अन्य फँसाने में प्रवेश करना ।

10. वेंटिलेशन: खिड़कियाँ खोलना या तोड़ना, छत में छेद करना या काटना, दीवारों या दरवाज़ों को तोड़ना, खिड़की से धुँएँ की धारा को बाहर निकालने का लक्ष्य रखना या संरचनाओं या फँसाने से गर्मी, धुँएँ और/या गैस को हटाने के लिए खिड़कियों या दरवाज़ों में पंखे लटकाना।

- (a) खतरा और अग्निशमन कर्मियों, छत के प्रकार और भवन निर्माण के स्थान के आधार पर वेंटिंग संरचना के लिए सर्वोत्तम स्थान निर्धारित करता है।
- (b) खिड़कियाँ और प्रवेश के अन्य बिंदुओं को मैनुअल रूप से या उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके खोलता है।
- (c) उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके खिड़कियों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं को तोड़ता है।
- (d) संरचना को हवादार करने के लिए खुली दीवारों, छत और अन्य संरचनाओं को काटता है।
- (e) सकारात्मक और नकारात्मक दबाव के लिए पंखों का उपयोग करता है।

11. खोज: मानक खोज प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पीड़ितों का पता लगाने और घटना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए खोजों को क्षेत्र सौंपा गया है।

- (a) उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक खोज प्रक्रिया या रणनीति निर्धारित करता है।
- (b) आग की सीट या अन्य खतरे और विस्तार के लिए संरचनाओं की खोज करता है।
- (c) आग, या अन्य खतरे के क्षेत्र या इलाके की खोज करता है, सचेत और अचेत पीड़ितों के लिए, हथियारों, पैरों या उपकरणों के साथ निर्दिष्ट खोज क्षेत्र को स्वीप करता है।
- (d) कार्मिक जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक टीम/कंपनी के रूप में मिलकर काम करें।

12. बचाव: सहायता, उत्पादन, आंतरिक पहुंच (सीढ़ियों, गलियारों आदि) के माध्यम से या, यदि आवश्यक हो, तो सीढ़ियों, अग्नि बचाव या उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके भागने के अन्य साधनों से आपातकालीन क्षेत्र से पीड़ितों को ले जाना । जीवन बचाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए वाहनों, गुफाओं, ढही इमारतों या अन्य फँसाने से पीड़ितों को निकालता है।

- (a) आग, विस्फोट, खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने आदि के जोखिम के कारण घटना स्थल से व्यक्तियों को बाहर निकालता है।
- (b) रस्सियों, गांठों और बचाव हार्नेस का उपयोग करके पीड़ितों या अग्निशमन कर्मियों को ऊपर या नीचे ले जाते हैं।
- (c) आपातकालीन स्थितियों से पीड़ितों को घसीटकर या उठाकर ले जाता है।
- (d) पीड़ितों को स्ट्रेचर, बैकबोर्ड, बास्केट आदि पर रखता है।
- (e) सुरंगों, पाइपों, उत्खनन या अन्य फँसाने वाले स्थानों में फँसे पीड़ितों को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके मुक्त करने के लिए खुदाई।
- (f) यदि आवश्यक हो, तो जीवन रक्षक तकनीकों का उपयोग करके डूबते हुए पीड़ितों को बचाते हैं।

13. बचाव: फर्नीचर, उपकरणों, माल और अन्य संपत्ति को हटाता है और कवर करता है; संरचनाओं में छेद को कवर करता है; क्षतिग्रस्त संरचनात्मक घटकों को स्थिर करता है; और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके नुकसान को कम करने के लिए पानी को पुनर्निर्देशित या साफ करता है। संपत्ति पर बचाव कवर फैलाता है।

- (a) पानी या अन्य क्षति से बचाने के लिए फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित करता है।
- (b) हुक, कुल्हाड़ी, आरी और अन्य उपकरणों का उपयोग करके कमजोर और खतरनाक संरचनात्मक घटकों (जैसे, फर्श, दीवारें, छतें, ओवरहैंग और सीढ़ियां) को तोड़ता है।

14. ओवरहाल: यह दीवारों और छत को खोलता है, फर्श को काटता या ऊपर खींचता है और छिपी हुई आग, जो फिर से प्रज्वलित या फैल सकते हैं, की जांच करने के लिए हुक, कुल्हाड़ी, आरी और पिचफोर्क का उपयोग करके मलबे को हटाता है या पलटता है।

- (a) आग के विस्तार के लिए खुले क्षेत्रों, दीवारों, खुली संरचनाओं की जाँच और तलाशी।
- (b) आग और धुएं की तलाश करके, महसूस करके या सूंघकर किसी भी छिपी हुई आग की खोज करता है और उसे बुझाता है।
- (c) गर्म स्थानों और अन्य खतरनाक स्थितियों को उजागर करने के लिए छत, दीवारें आदि को अक्ष, पाइक पोल/छत हुक आदि के साथ खोलता है।
- (d) इमारतों से जले हुए या सुलगते मलबे को हटाता है और बुझाता है।

15. सफाई/पिक अप: उपकरण उठाता है, साफ करता है और वाहन को वापस करता है और होज़ को रोल या मोड़ता है, ताकि कंपनी वापस सेवा में जा सके।

- (a) संरचनाओं से लाइनों को पीछे ले जाता है।
- (b) उपयोग के बाद होज़ को रोल करता है और उन्हें उचित वाहन में वापस कर देता है।
- (c) यह निर्धारित करता है कि घटना के प्रतिक्रिया के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी होज़ मौजूद हैं और उनका हिसाब है।
- (d) सभी औज़ारों, उपकरणों, आपूर्ति और संपत्ति को साफ करके इस्तेमाल करने लायक हालत में उपयुक्त वाहनों में वापस रखता है।
- (e) उपकरणों को साफ करता है।

16. आपातकालीन चिकित्सा देखभाल: मरीज़ की पूरी जांच करता है और जिन लोगों को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, उनके लिए सही चिकित्सा देखभाल देता है और/या चिकित्सा देखभाल के लिए सहायता का अनुरोध करता है।

- (a) चिकित्सा और/या चोट के अनुसार रोगी का आकलन और प्राथमिकता देता है।
- (b) जब उचित हो, तो ऑक्सीजन सहायक का उपयोग करते हुए, ऑक्सीजन चिकित्सा या सहायक वेंटिलेशन के साथ हस्तक्षेप करता है।
- (c) जीवन के लिए खतरनाक रक्तस्राव की पहचान करता है और उचित रूप से हस्तक्षेप करता है।
- (d) पल्स रहित, एपनोइक रोगी की पहचान करता है और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन प्रदान करता है।
- (e) मौखिक और दर्दनाक उत्तेजनाओं के प्रति रोगी की प्रतिक्रिया के आधार पर रोगी की प्रतिक्रिया (जागृत, सतर्क और उन्मुख बनाम अनुत्तरदायी) का मूल्यांकन करता है।

- (f) यह निर्धारित करता है कि रोगियों को आपातकालीन या गैर-आपातकालीन परिवहन की आवश्यकता है या नहीं।
- (g) भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से भी, रोगी की भलाई को बनाए रखने के लिए काम करता है।
- (h) घड़ी, स्टेथोस्कोप और किसी भी अन्य उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके रोगी के महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन करता है।

17. उपकरण रखरखाव: उचित और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए फायर हाइड्रेंट प्रणाली, अग्निशामक यंत्रों सहित व्यक्तिगत गियर और उपकरणों की जांच, सफाई और रखरखाव करता है।

- (a) अग्निशामक यंत्रों का दृश्य निरीक्षण
- (b) उपकरणों पर या उसके पास टर्नआउट गियर रखता है।
- (c) अग्निशामक यंत्रों की जाँच और वजन
- (d) चिकित्सा उपकरणों की जाँच करें।
- (e) जनरेटर, ब्लोअर, लाइट, कॉर्ड और पंखों की स्थिति की जांच करता है।
- (f) उपकरण पर होज़ की जाँच करता है (उचित बिछाने और मात्रा)।
- (g) बिजली उपकरणों की जांच और रखरखाव करता है।
- (h) अन्य पोर्टेबल उपकरणों की जांच करता है और उनका सामान्य रखरखाव करता है (जैसे, तेल का स्तर जांचना, ग्रीस लगाना आदि)।
- (i) एक उपकरण से दूसरे उपकरण में उपकरण और आपूर्ति का परिवर्तन।

18. उपकरण रखरखाव: उचित और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए उपकरण की जांच, सफाई और रखरखाव करता है।

- (a) उपकरण की दैनिक सामान्य जांच करता है (उदाहरण के लिए, तेल, ईंधन और पानी का स्तर; उचित दबाव और स्नेहन; बैटरी; लाइट; सायरन; ब्रेक; टायर; आदि)।
- (b) उपकरण की साप्ताहिक सामान्य जांच करता है (उदाहरण के लिए, हाइड्रोलिक तरल पदार्थ का स्तर)।
- (c) पानी पंप करने के लिए इंजन की क्षमता की जाँच करता है।
- (d) इंजन पम्पर दबाव की जाँच करता है।
- (e) उपकरण पर विद्युत या यांत्रिक समस्याओं के बारे में अधिकारी को सूचित करता है।
- (f) उपकरणों की आवश्यक मरम्मत के बारे में अधिकारी को सूचित करता है।
- (g) यांत्रिक समस्या के कारण उपकरण को सेवा से बाहर रखने के बारे में अधिकारी को सूचित करता है।
- (h) सभी अग्निशामक यंत्रों को बाहर से साफ करें और प्रेशर गेज से दबाव की जांच करें, दबाव कम होने पर अधिकारी को सूचित करें।

19. स्टेशन रखरखाव और कर्तव्य: घर की सुविधाओं की जांच, सफाई और रखरखाव। इसमें नियमित गृह व्यवस्था के कार्य शामिल हैं।

- (a) उपकरण बे और कमरों को साफ करता है।
- (b) फायर हाउस यार्ड की सफाई और रखरखाव करता है।

(नीचे उल्लिखित बिंदु केवल फायर पर्यवेक्षक के लिए हैं)

20. भवनों और अग्नि सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण: समय-समय पर या अपनी गतिविधियों के दौरान आग की रोकथाम/खतरनाक सामग्री कोड उल्लंघनों या खतरों के लिए भवन का निरीक्षण करता है। परिचालन उपयोग के लिए अलार्म, हाइड्रेंट, स्पिंकलर सिस्टम और स्टैंडपाइप सिस्टम का निरीक्षण करता है।

- (a) नियमित रूप से आग के खतरों की पहचान करने और आग और भवन संहिता उल्लंघनों से बचाने के लिए पूरे परिसर का निरीक्षण करता है और उन्हें हटाता है/कदम उठाता है।
- (b) अधिवासियों/मालिकों के अनुरोध पर इमारतों का निरीक्षण करता है।
- (c) कोड का उल्लंघन करने के संदेह में इमारतों की जांच करता है।
- (d) कोड उल्लंघनों को पहचानता है (उदाहरण के लिए अवरुद्ध निकास, रसायनों का अनुचित भंडारण आदि)।

21. जनसंपर्क: उन गतिविधियों में शामिल होता है जिनका कर्मचारियों में विभाग की छवि पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी गतिविधियों में कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करना, मदद या जानकारी चाहने वाले कर्मचारियों को सहायता और समर्थन प्रदान करना और सामुदायिक समूहों और आरबीआई बिरादरी के अन्य सदस्यों को प्रस्तुति देना शामिल है।

- (a) आपातकालीन स्थल पर संकटग्रस्त व्यक्तियों से निपटता है।
- (b) फायर स्टेशन में अधिकारियों से मिलता है, दौरे आयोजित करता है और जानकारी प्रदान करता है।
- (c) निरीक्षण अधिकारियों या कर्मचारियों को सेवा रनों पर जानकारी प्रदान करता है।
- (d) विभाग की ओर से सार्वजनिक प्रस्तुतियाँ देता है और साजो-सामान और उपकरणों का प्रदर्शन करता है।

22. प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास: नौकरी से संबंधित कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण अभ्यास और कक्षाओं में भाग लेता है। विभागीय संचालन और प्रक्रियाओं में नए विकास से अवगत रहने के लिए आंतरिक ज्ञापन और बुलेटिन पढ़ें। अग्निशमन सेवा में बने रहने के लिए व्याख्यान, सेमिनार, पाठ्यक्रम आदि में भाग लेता है और बाहरी दस्तावेज़ (जैसे व्यावसायिक व्यापार प्रकाशन) पढ़ता है।

- (a) नवीनतम अग्निशमन उपकरणों और तकनीकों का ज्ञान रखता है।
- (b) आग नियंत्रण से संबंधित भवन संरचनाओं का बुनियादी ज्ञान रखता है।
- (c) रसायनों और अन्य खतरनाक पदार्थों का बुनियादी ज्ञान रखता है।
- (d) नियमित प्रशिक्षण अभ्यास और सत्रों में भाग लेता है और उन्हें संचालित करता है।
- (e) शारीरिक फिटनेस सत्र देता है और भाग लेता है।
- (f) विशेष प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेता है (जैसे सीपीआर प्रमाणन, विशेष स्कूल, आदि)
- (g) विभागीय अपडेट से अवगत रहने के लिए आंतरिक अग्निशमन विभाग के बुलेटिन, ज्ञापन आदि की समीक्षा करें।
- (h) अग्निशमन सेवा में वर्तमान विकासों से अवगत होने के लिए प्रोफेशनल जर्नल और प्रकाशनों (जैसे फायर कमांड) को पढ़ता है और वरिष्ठ अधिकारियों को भी उपलब्ध कराता है।

23. दस्तावेजीकरण: अग्निशमन पर्यवेक्षक को आग से संबंधित मामलों से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज़ प्रणाली को बनाए रखना चाहिए। उसे कंप्यूटर के उपयोग में पारंगत होना चाहिए और जब भी फायर ऑडिट किया जाए तो उसमें सहायता करनी चाहिए। उसे हिंदी और अंग्रेज़ी बोलने और लिखने में माहिर होना चाहिए।

24. अग्निशमन के लिए आवश्यक अन्य प्रासंगिक/संबंधित कार्य।

25. फायरमैन बैंक के सुरक्षा अधिकारी द्वारा सौंपे जाने पर किसी भी अन्य सुरक्षा संबंधी कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। इस प्रकार तैनात अग्निशमन कर्मियों की उम्र 18-60 वर्ष की होनी चाहिए और उनके पास प्रतिष्ठित अग्निशमन संस्थान से न्यूनतम तीन महीने की अवधि का अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र/डिप्लोमा होना चाहिए।

मैंने/हमने ई-खरीद के लिए निर्देश, बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश, मूल्यांकन/चयन मानदंड, कार्य का व्यापक दायरा, सामान्य नियम और शर्तें, ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लिखित अतिरिक्त शर्तें पढ़ ली हैं और अनुबंध को निष्पादित करने के लिए उन्हें स्वीकार करते हैं, यदि प्रदान किया गया है।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर
(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय स्कैन की गई प्रति (**PDF** प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए। **Scanned copy (PDF format) must be uploaded while submitting e-tender online through CPP portal.**

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF FIRE SUPERVISOR AND FIREFIGHTING STAFF

The tenderer/contractor / firm / company/ Agency is advised to visit the site before quoting their rates to assess the quantum of work. Apart from the scope of work mentioned above, following will also be included:

Functional Requirements

1. INITIAL RESPONSE TO INCIDENTS: Tasks occurring between the receipt of an alarm and initial fire-fighting or emergency scene activities.
 - (a) Makes preliminary evaluation of incident based on alarm information received (e.g., alarm type, structure type, etc.).
 - (b) Proceeds to assigned apparatus upon receipt of call for services.
 - (c) Donning personal protective equipment before and at emergency scenes.
2. WATCH DUTIES: Stands watch to receive incoming alarms and information, answers phones, and monitors access.
 - (a) Receives notification of alarms, multiple alarms, EMS alarms, and other significant emergencies.
 - (b) If required, notifies station personnel (over public address or through use of signals) of incoming alarms and required response (e.g., everybody goes, truck only, engine only, etc.)
 - (c) If required, Answers department and outside phone.
3. ON SCENE COMMUNICATION: Communicates at the emergency scene to ensure appropriate coordination of apparatus and personnel.
 - (a) Receives information (e.g., regarding the assignment of personnel and apparatus) from the officer in command upon arrival at the emergency scene.
 - (b) Communicates with other fire personnel at emergency scene about conditions, size up, etc.
 - (c) Relays orders from superior officers at emergency scene.
4. PUMP OPERATIONS: Connects or hooks up apparatus to fire hydrant and operates pumps to supply water in appropriate pressure and volume using couplings, hoses, spanner wrenches, and other tools.
 - (a) Opens and flushes hydrant to ensure it is functional.
 - (b) Fills hose with water by hydrant pressure.
 - (c) Engages pumps.
 - (d) Monitors control panel (e.g., water temperature, oil pressure gauge, fuel gauge, hydrant pressure).
 - (e) Connects and lays supply line from supply to the apparatus.
 - (f) Notifies officer of any problems that occur while pumping.
 - (g) Shuts down pump when ordered to by officer.
5. DOCUMENTATION

The firemen employed should know how to maintain basic documents under the supervision of Fire supervisor. If required the firemen should promptly act as a runner to carry documents/ equipment related to Fire, Security and Disaster management from one person/place to other. The firemen should be conversant in Spoken English and Hindi.

6. HOSE (AND EXTINGUISHER) OPERATIONS: Stretches line or uses extinguisher to deliver water, foam, and other extinguishing agents to emergency scene.

- (a) Determines type (size) and number of lengths of hose needed for operation.
- (b) Pulls hose out of hose bed.
- (c) Determines proper nozzle and nozzle setting.
- (d) Connects hose lines to nozzles.
- (e) Connects to standpipe when necessary/appropriate.
- (f) Flakes out hose line prior to charging or during extinguishment to ensure proper operations.
- (g) Locates seat of fire or other hazard (e.g., gas leak) by observing, smelling or listening for smoke, sound, flames, gas, vapours, etc.
- (h) Uses extinguisher to extinguish, contain and/or control incident.

7. MANUAL LADDER OPERATIONS: Carries, raises, extends and climbs manual ladders to perform search, rescue and other operations.

- (a) Determines manual ladder type and size needed at incident scene.
- (b) Determines proper placement of manual ladder at scene.
- (c) Raises and positions manual ladder at incident scene.
- (d) Anchor and secures manual ladder (i.e. tying off) at scene.
- (e) Climbs manual ladder to perform search, rescue and other operations.

8. ASSISTANCE TO PHYSICALLY HANDICAPPED EMPLOYEES/ CUSTOMERS.

If required, the fireman on duty when not engaged in an emergency situation should help and assist physically disabled staff/customers.

9. FORCIBLE ENTRY (If required): Pries open, cuts, or breaks down doors, or otherwise enters structures, vehicles and other entrapments in order to search for and rescue victims and provide access to the emergency scene - using available resources.

10. VENTILATION: Opens or breaks windows, chops or cuts holes in roofs, breaches walls or doors, and aims fog stream out of window or hangs fans in windows or doors to remove heat, smoke and/or gas from structures or entrapments.

- (a) Determines best location for venting structure based on location of hazard and fire personnel, roof type, and building construction.
- (b) Opens windows and other points of entry manually or by using available resources.
- (c) Breaks windows and other points of entry using available resources.

- (d) Cuts open walls, roof and other structures to ventilate structure.
- (e) Uses fans for positive and negative pressure.

11. **SEARCH:** Searches assigned area in order to locate victims and to obtain further information about incident, following standard search procedures.

- (a) Determines search procedure or strategy needed to accomplish objectives.
- (b) Searches structures for seat of fire, or other hazard, and extensions.
- (c) Searches floor or area of fire, or other hazard, for conscious and unconscious victims, sweeping assigned search area with arms, legs or tools.
- (d) Work together as a team/company to maintain personnel accountability.

12. **RESCUE:** Assists, hoists, carries or drags victims from emergency area by means of interior access (stairs, hallways, etc.) or, if necessary, by ladders, fire escapes, or other means of escape using available resources. Extricates victims from vehicles, cave-ins, collapsed buildings or other entrapments in order to save lives using available resources.

- (a) Evacuates persons from incident scene due to risk of fire, explosion, exposure to hazardous chemicals, etc.
- (b) Hoists or lowers victims or fire personnel using ropes, knots and rescue harnesses.
- (c) Drags or carries victims from emergency scenes.
- (d) Places victims onto stretchers, backboards, baskets, etc.
- (e) Digs to free victims trapped in tunnels, pipes, excavations or other entrapments using available resources.
- (f) If required, Rescues drowning victims using life saving techniques.

13. **SALVAGE:** Moves and covers furniture, appliances, merchandise and other property; covers holes in structures; stabilizes damaged structural components; and redirects or cleans up water in order to minimize damage using available resources. Spreads salvage covers over property.

- (a) Moves furniture and other objects to protect from water or other damage.
- (b) Tears down weak and dangerous structural components (e.g., floors, walls, roofs, overhangs and stairs) using hooks, axes, saws and other tools.

14. **OVERHAUL:** Opens up walls and ceilings, cuts or pulls up floors and moves or turns over debris in order to check for hidden fires which could rekindle or spread using hooks, axes, saws and pitchforks.

- (a) Checks and searches open areas, walls, open structures for fire extension.
- (b) Searches for and extinguishes any hidden fires by looking, feeling or smelling for fire and smoke.
- (c) Opens ceilings, walls etc. to expose hot spots and other hazardous conditions with axes, pike pole/ceiling hook etc.
- (d) Removes and extinguishes burned or smouldering debris from buildings.

15. **CLEAN UP/PICK UP:** Picks up, cleans and returns equipment to vehicle and rolls or folds hose, so that the company can go back in service.

- (a) Backs lines out of structures.
- (b) Rolls and holds hoses after use and returns them to appropriate vehicle.
- (c) Determines that all hoses used during response to incident are present and accounted for.
- (d) Cleans and returns all tools, equipment, supplies and property in usable condition to appropriate vehicles.
- (e) Cleans the apparatus.

16. EMERGENCY MEDICAL CARE: Performs thorough patient evaluation and intervenes with the appropriate medical care for persons requiring medical care and/or requesting assistance with medical care.

- (a) Assess and prioritize patient according to medical and/or injury.
- (b) Intervenes with oxygen therapy or assisted ventilations, using oxygen adjuncts when appropriate.
- (c) Identifies life threatening bleeding and intervenes appropriately.
- (d) Identifies the pulse less, apnoeic patient and administers cardiopulmonary resuscitation.
- (e) Evaluates the patient's responsiveness (awake, alert and oriented vs. unresponsive) based on the patient's response to verbal and painful stimuli.
- (f) Determines whether patients need emergency or non-emergent transport.
- (g) Works to maintain the patient's wellbeing, emotionally as well as physically.
- (h) Assesses the patient's vital signs using a watch, stethoscope and any other available resources.

17. EQUIPMENT MAINTENANCE: Checks, cleans and maintains personal gear and equipment including the Fire Hydrant system, extinguishers to ensure proper and safe operations.

- (a) Visual inspection of fire extinguishers
- (b) Places turnout gear on or near apparatus.
- (c) Checks and weighing of fire extinguishers
- (d) Checks medical equipment.
- (e) Checks the condition of generators, blowers, lights, cords and fans.
- (f) Checks hose on apparatus (proper bedding and amount).
- (g) Checks and maintains power equipment.
- (h) Checks and performs ordinary maintenance on other portable equipment (e.g., checks oil levels, greases, etc.).
- (i) Changes over equipment and supplies from one apparatus to another.

18. APPARATUS MAINTENANCE: Checks, cleans, and maintains apparatus to ensure proper and safe operation.

- (a) Performs normal daily apparatus check (e.g., oil, fuel and water levels; proper pressures and lubrications; batteries; lights; sirens; brakes; tires; etc.).
- (b) Performs normal weekly apparatus check (e.g., hydraulic fluid levels).
- (c) Checks ability of engine to pump water.
- (d) Checks engine pumper pressure.
- (e) Notifies officer of electrical or mechanical problems on apparatus.

- (f) Notify the officer of needed repairs on apparatus.
- (g) Notify the officer that apparatus needs to be kept out of service due to a mechanical problem.
- (h) Clean all the fire extinguishers from outside and check pressure from the pressure gauge, notify officer in case of drop in pressure.

19. STATION MAINTENANCE AND DUTIES: Checks, cleans, and maintains house facilities. This includes the performance of routine housekeeping chores.

- (a) Cleans apparatus bay and rooms.
- (b) Cleans and maintains fire house yard.

(Below mentioned points are only for Fire supervisor)

20. INSPECTION OF BUILDINGS AND FIRE PROTECTION DEVICES: Inspects building for fire prevention/ hazardous materials code violations or hazards on a periodic basis or during the course of their activities. Inspects alarms, hydrants, sprinkler systems and standpipe systems for operational use.

- (a) Regularly inspects the entire premises for identifying fire hazards and removing them/ taking steps to protect against fire and building code violations.
- (b) Inspects buildings upon request of occupants/owners.
- (c) Investigates buildings suspected of violating codes.
- (d) Recognizes code violations (e.g. blocked exits, improper storage of chemicals etc.).

21. PUBLIC RELATIONS: Engages in the activities which have an impact on the department's image in the staff. Such activities include providing information to the staff, providing assistance and support to staff seeking help or information and giving presentations to community groups and other members of the RBI fraternity.

- (a) Deals with distressed individuals at emergency scene.
- (b) Meets officers in the fire station, conducts tours and provides information.
- (c) Provides information to inspecting officers or staff on service runs.
- (d) Makes public presentations and conducts demonstrations of apparatus and equipment on behalf of the department.

22. TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT: Participates in training drills and classes to enhance job related skills and abilities. Read internal memos and bulletins to keep apprised of new developments in departmental operations and procedures. Attends lectures, seminars, courses etc. and reads external documents (e.g. professional trade publications) to remain current in the fire service.

- (a) Maintains knowledge of latest fire-fighting equipment and techniques.
- (b) Maintains basic knowledge of building structures related to fire control.
- (c) Maintains basic knowledge of chemicals and other hazardous materials.
- (d) Attends and impart routine training drills and sessions.
- (e) Gives and participates in physical fitness sessions.
- (f) Attends specialized training sessions (e.g. CPR certification, special schools, etc.)

- (g) Reviews internal fire department bulletins, memos etc. to remain aware of departmental updates.
- (h) Reads professional journals and publications (e.g. Fire Command) to be aware of current developments in the fire service and make the same available to senior officers

23. DOCUMENTATION: The fire supervisor should maintain the entire document system pertaining to Fire related matters. He should be conversant in usage of computer and should assist in Fire Audit as and when carried out. He should be fluent in Spoken and Written Hindi and English.

24. Such other incidental/related functions as may be necessary for firefighting.

25. The firemen shall also perform any other security-related duties as and when assigned to them by the Security Officer of the Bank. Firemen so deployed shall be aged 18–60 years and *must hold a fire safety training certificate or diploma of at least three months' duration from a reputable fire institute.*

I/We have read the Instructions for E-procurement, General Instructions to bidders, Evaluation/selection criteria, Broadscope of Work, General Terms & Conditions, additional conditions explicitly mentioned above and accept the same to execute the contract, if awarded.

Place:

Name & Signature of tenderer

Date:

(Please sign at the bottom of all pages)

<i>Scannedcopy (<u>PDF format</u>) must be uploaded while submitting e-tender online through CPP portal</i>
--

भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला कार्यालय परिसर में “अग्निसुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारियों की तैनाती हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध ” के लिए ई-निविदा

E-tender for Annual Service Contract for deployment of Trained Firefighting staff for providing Fire safety services at Reserve Bank of India (RBI) Office Premises located in Agartala

अनुलग्नक – IV / Annexure - IV

**तकनीकी बोली का प्रपत्र – 1
(निविदाकर्ता के लेटर हेड पर दिया जाए)
Form – 1 of Technical Bid
(To be given on tenderer's letter head)**

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) / The General Manager (Officer-in-Charge)
भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India,
दूसरी मंजिल, जैक्सन गेट बिल्डिंग
2nd Floor, Jackson Gate Building,
लेनिन सरानी / Lenin Sarani,
अगरतला / Agartala– 799 001

महोदय / Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला कार्यालय परिसर में “अग्निसुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारियों की तैनाती हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध ” के लिए ई-निविदा

E-tender for Annual Service Contract for deployment of Trained Firefighting staff for providing Fire safety services at Reserve Bank of India (RBI) Office Premises located in Agartala

ऊपर बताई गई बातों के जवाब में और भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों से पूरी तरह सहमत होकर:

In response to the above and in full agreement with the terms and conditions as stipulated by Reserve Bank of India, Agartala:

- a. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि इस बोली पर हस्ताक्षर करने से पहले, मैंने/हमने निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों और निर्देशों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और उनका पालन करने का वचन देते हैं।

I/ We certify that before signing this bid, I/ We have read and fully understood all the terms and conditions and instructions laid down in tender document and undertake to abide by them.

b. मैं/हम समझते हैं कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार/संबंधित अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाना होगा। इसके अलावा, मैं/हम यह भी समझते हैं कि ईपीएफ/ईएसआई/बोनस/ग्रेच्युटी, अवकाश, राहत शुल्क, वर्दी, आदि जैसे सभी वैधानिक भुगतानों का भुगतान भी मुझे/हमारे द्वारा विभिन्न कानूनों के तहत निर्धारित किए गए के अनुसार करने होंगे।

I/ We understand the minimum wages will be required to be paid as per the terms and conditions stipulated by the Central Government/ other authorities concerned from time to time. In addition, I/We also understand that all statutory payments like EPF /ESI /Bonus /Gratuity, Leave, relieving charges, uniform, etc., also need to be paid as prescribed under various statutes, by me / us.

c. मैं/हम केवल एनईएफटी/नेट बैंकिंग के माध्यम से ₹ 58,000/- (बावन अठावन रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा का भुगतान करेंगे।

I/ We will pay the Earnest Money Deposit of ₹ 58,000/- (Rupees Fifty-eight Thousand Only) through NEFT/ Net banking only.

d. अनुबंध प्राप्त करने पर, मैं/हम एक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रदान करेंगे, यानी अनुबंध मूल्य का 5% जो अनुबंध की अवधि के बाद दो महीने के लिए वैध होगा।

On receiving the award of contract, ***I/We will furnish a Performance Bank Guarantee i.e., 5% of the contract value which shall be valid for two months beyond the period of contract.***

मैं/हम यह भी समझते हैं कि महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को बिना कोई कारण बताए मेरी/हमारी निविदा बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और उनका निर्णय मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

e. I / We also understand that the General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Agartala has the right to accept or reject my/ our tender bid without assigning any reasons whatsoever and his decision will be binding on me/us.

मेरे पास कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा/सेवा कर/जीएसटी आदि के संबंध में वैध पंजीकरण है, जिसकी प्रति यां इसके साथ संलग्न हैं।

g. I/ We have valid registration in respect of Employees Provident fund/ Employees State Insurance/ Service Tax /GST etc., copies of which are enclosed herewith.

मैं/हम सहमत हैं और वचन देते हैं, यदि हमारी बोली सफल और स्वीकार की जाती है, तो बैंक की आवश्यकता के अनुसार अग्निशमन/सुरक्षासेवाएं प्रदान करेंगे।

h. I/ We agree and undertake, if our bid is successful and accepted, to provide firefighting/safety services in accordance with the requirement of the Bank.

मैं/हम यह भी समझते हैं कि समझौते को निर्दिष्ट समय के भीतर निष्पादित करने में मेरी/हमारी विफलता या समझौते के नियमों और शर्तों के मेरे/हमारे द्वारा उल्लंघन के मामले में कार्य को विधिवत निष्पादित करने या बैंक गारंटी को लागू करने में विफलता की स्थिति में बैंक द्वारा सुरक्षा जमा जब्त कर लिया जाएगा।

- i. I/ We also understand that the security deposit, will be forfeited by the Bank in the event of failure on my/ our part to execute the agreement within the specified time or failure on my/ our part to duly execute the work or invoke the Bank Guarantee in case of breach attributable to me/ us of the terms and conditions of the agreement.

आपका विश्वासी,
Yours faithfully,

स्थान:
दिनांक:

निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर
(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय स्कैन की गई प्रति (**PDF** प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए। **Scanned copy (PDF format) must be uploaded while submitting e-tender online through CPP portal.**

Place:

Name & Signature of tenderer Date:

(Please sign at the bottom of all pages)

तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश

(ई-निविदा प्रक्रिया के प्रासंगिकता में पढ़ा जाना है)

(स्कैन किया जाना है और अपलोड किया जाना है)

General Instructions regarding Technical and Financial bids

(To be read in relevance to e-tendering process)

(To be scanned and uploaded)

1. भाग- I (तकनीकी बोली)/ PART- I (Technical bid)

अगरतला में स्थित आरबीआई कार्यालय परिसर के लिए अग्निशमन स्टाफ (अग्निसुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए) प्रदान करने के लिए कंपनियों/फर्मों/एजेंसियों से ई-निविदा (ओपन-ट्विन बिड सिस्टम) आमंत्रित किया जाता है, जो **एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि** के लिए अर्थात् **1 नवंबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2027** है। हालांकि, अनुबंध को दो साल की और अवधि, एक बार में एक वर्ष, या ऐसी अन्य अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिसे बैंक संतोषजनक प्रदर्शन और निविदाकर्ता द्वारा संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन आवश्यक समझे। प्रतिवर्ष अनुबंध का अनुमानित मूल्य **₹29,00,000/- (रुपये उनतीस लाख मात्र) (जीएसटी सहित)** है।

E-tender (Open- twin bid system) are invited from Companies/Firms/Agencies for providing Firefighting Staff (For providing fire safety services) for RBI Office Premises located in Agartala for an initial period of **for an initial period of one year i.e. from Nov 01, 2026 to Oct 31, 2027**. However, the Contract can be further extended for a further period of two years, one year at a time, or such other period as the Bank may consider necessary subject to satisfactory performance and adherence to Contractual obligations by the tenderer. The estimated value of contract per annum is ₹29,00,000/- (Rupees Twenty-nine lakh only)(including GST).

1.1 आउटसोर्सिंग एजेंसी (इसके बाद "एजेंसी" के रूप में संदर्भित) अपने रोजगार के तहत प्रशिक्षित, वर्दीधारी अग्निशमन सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करेगी, और भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) के मुख्य कार्यालय परिसर में भवनों, उपकरणों, सामग्रियों और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करेगी, जैसा कि इस दस्तावेज में दर्शाया गया है और उक्त परिसर की निगरानी और चौकसी की जाएगी।

1.1. The outsourcing agency (hereinafter referred to as "Agency") shall provide trained, uniformed Fire security personnel under its employment, and will provide security to the buildings, equipment, materials and employees at Main office premises of the Reserve Bank of India, Agartala (hereinafter referred to as "Bank") as indicated in this document and monitoring and surveillance of the said premises.

1.2 निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड। निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियां/फर्म/एजेंसियां आवेदन करने के पात्र हैं।

1.2. Eligibility criteria for participating in the tender. Companies/Firms/Agencies who fulfil the following pre-qualification criteria are eligible to apply.

क्र. सं. SI. No.	मापदंड Criteria	आवश्यकता / Requirement
1.	पिछले अनुभव की अवधि Duration of past Experience	(a) हवाई अड्डों, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दूतावासों, सार्वजनिक/निजीक्षेत्र के बैंकों, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में इसी तरह के कार्यों का न्यूनतम तीन (03) वर्ष का अनुभव (31 मार्च 2026 तक) होना चाहिए। आवेदकों को पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए अपनी ग्राहक सूची और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। Should have minimum three (03) years of experience (up to the 31st March 2026) of similar works in Airports, Defence, Public Sector Undertakings, Embassies, Public /Private Sector Banks, IT Sector, and other reputed large Pvt. Sector companies. Applicants should furnish their client list and documentary evidence showing details of work carried out by them during the last three years. (b) एजेंसी को उपयुक्त सरकारी प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एक अच्छी तरह से स्थापित और प्रतिष्ठित संगठन होना चाहिए। The Agency should be registered with the appropriate Government authorities and should be a well-established and reputed organisation.
2.	प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य का न्यूनतम मूल्य Minimum value of each completed work.	(a) हवाई अड्डों, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों, सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंकों, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे किसी <u>एक</u> प्रतिष्ठान / स्थापना में पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रत्येक वर्ष कम से कम 12 अग्निशमन/सुरक्षा/जनशक्ति कर्मियों की तैनाती की गई हो, और प्रत्येक वर्ष कार्य की लागत अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत से कम न हो। Providing / provided Firefighting / Security / Manpower services in any <u>one</u> installation / establishment such as Airports, Defence, Public Sector Undertakings, Embassies/Consulates, Public / Pvt. Sector Banks, IT Sector, and other reputed large Pvt. Sector companies continuously for last three years with deployment of at-least 12 Firefighting / Security / Manpower personnel each

		year for work not costing less than 80% of the estimated cost each year. या/ OR (b) हवाईअड्डों, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे किसी भी दो प्रतिष्ठानों/ स्थापनाओं में पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रत्येक वर्ष कम से कम 06 अग्निशमन/सुरक्षा/जनशक्ति कर्मियों की तैनाती की गई हो, और प्रत्येक वर्ष कार्य की लागत अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत से कम न हो। Providing / provided Firefighting / Security / Manpower services in any two installations / establishments such as Airports, Defence, Public Sector Undertakings, Embassies/ Consulates, Public /Pvt. Sector Banks, IT Sector, and other reputed large Pvt. Sector companies continuously & simultaneously for three years with deployment of 06 Firefighting / Security / Manpower personnel for work not costing less than 50% of the estimated cost each year. (a) OR (C)हवाईअड्डों, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे किसी भी तीन प्रतिष्ठानों/ स्थापनाओं में पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रत्येक वर्ष कम से कम 04 अग्निशमन/सुरक्षा/जनशक्ति कर्मियों की तैनाती की गई हो, और प्रत्येक वर्ष कार्य की लागत अनुमानित लागत के 40 प्रतिशत से कम न हो। Providing / provided Firefighting / Security / Manpower services in any three installations / establishments such as Airports, Defence, Public Sector Undertakings, Embassies/Consulates, Public / Pvt. Sector Banks, IT Sector, and other reputed large Pvt. Sector companies continuously & simultaneously for three years with deployment of 04 Firefighting / Security / Manpower personnel for work not costing less than 40% of the estimated cost each year.
3.	वार्षिक कारोबार Annual Turnover	पिछले 3 वर्षों के दौरान यानी 31 मार्च, 2026 तक अग्निशमन/सुरक्षा/जनशक्ति सेवा गतिविधियों के प्रावधान से ₹ 29,00,000/- (रुपये छब्बीस लाख मात्र) के बराबर राशि का न्यूनतम वार्षिक कारोबार होना चाहिए।

		(प्रासंगिक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड की जानी चाहिए) Should have a minimum annual turnover of amount equal to ₹ 29,00,000/- (Rupees Twenty-Six lakhs only) from provision of Firefighting / Security / Manpower Services activities, during the last 3 years i.e., up to March 31, 2026. (Scanned copies of relevant documents to be uploaded)
4.	ईएसआईसी, ईपीएफओ पंजीकरण ESIC, EPFO Registration	एजेंसी को ईएसआईसी और ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए। The Agency must be registered with ESIC and EPFO. (पंजीकरण प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड की जानी चाहिए) (Scanned copies of Registration Certificates to be uploaded)
5.	कार्यालयकास्थान Location of Office	एजेंसी का अगरतला में एक कार्यालय (पंजीकृत/कॉर्पोरेट/शाखा/क्षेत्रीय/आंचलिक/प्रतिनिधि/संपर्क) होना चाहिए। The Agency should have an office (Registered/ corporate/ branch/ regional/ Zonal/ representative/ liaison) at Agartala. (पते का प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड की जानी चाहिए) (Scanned copies of proof of address to be uploaded)

1.5 कंपनी/फर्म/एजेंसी का विवरण: Details of the company/firm/agency:

- a) कंपनी/फर्म/एजेंसी का पूरा विवरण, विस्तार से, प्रस्तुत करना आवश्यक है। किसी कंपनी के मामले में, पंजीकरण प्रमाणपत्र, कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। एक साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख, मुख्तारनामा, यदि कोई हो और फर्म का गठन करने वाले सभी भागीदारों का विवरण; और एक एजेंसी या स्वामित्व के मामले में, उसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों के विवरण के साथ-साथ नाम और पते(ओं) आदि को प्रस्तुत करना आवश्यक है (स्कैन की गई प्रति अपलोड की जानी है)।

The full particulars of the Company/Firm/Agency, in detail, are required to be submitted. In case of a company, the certificate of registration, Memorandum and Articles of Association of the company and other relevant documents and particulars of all the directors and responsible officials are required to be submitted. In case of a partnership firm, the partnership deed, power of attorney, if any and particulars of all the partners constituting the firm; and in case of an Agency or Proprietorship, the particulars of the individual/individuals involved therein along with the name(s) and address(es)' etc. are required to be submitted (Scanned copy to be uploaded).

- b) कार्य आदेशों, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित पूर्व-योग्यता मानदंडों में आवश्यकताओं के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। किसी अन्य केंद्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए काम करने के पिछले अनुभव के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण, यदि कोई हो, भी दिया जाना चाहिए (स्कैन की गई प्रति अपलोड की जानी चाहिए)।

Details of work experience as per the requirements in the pre-qualification criteria supported by work orders, documents, and certificates shall be submitted. The details along with documentary evidence of previous experience, if any, of carrying out works for the Reserve Bank of India at any other centre should also be given (Scanned copy to be uploaded).

- c) बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी जैसे कि संपर्क अधिकारियों के नाम, वर्तमान संपर्क/डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, आदि (यानी वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा उनके बैंकरों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि इसकी आवश्यकता हो) प्रस्तुत की जानी चाहिए (स्कैन की गई प्रति अपलोड की जानी चाहिए)।

Written information about the names and address of the Bankers with full details like names, present contact / postal addresses, e-mail IDs, telephone (landline and mobile) nos., etc. of the contact executives (i.e. the persons who can be contacted at the office of their bankers by the Bank, in case it is so needed) should be furnished (Scanned copy to be uploaded).

- 1.6 अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए जांच सूची। सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-निविदा जमा करते समय पीडीएफ प्रारूप में मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड की जानी चाहिए (प्रत्येक फ़ाइल का आकार 5 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए):

Checklist for the Documents to be uploaded. Scanned copy of Original Documents to be uploaded online through CPP portal in PDF format while submission of E-tender (Each file size should not exceed 5 MB):

- a) पिछले 3 लेखा वर्षों यानी 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए लेखापरीक्षित या सीए प्रमाणित लेखा विवरण)। Audited or CA Certified Statement of Accounts for the last 3 accounting years i.e. 2023-24, 2024-25 and 2025-26).
- b) पिछले तीन वर्षों यानी 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए आयकर विभाग के पास दाखिल किया गया आयकर विवरण)। Income Tax Return filed with the Income Tax Department for the last three years, i.e. 2023-24, 2024-25 and 2025-26).
- c) लागू कर पंजीकरण प्रमाणपत्र, जैसे, पैन, जीएसटी, आदि। Applicable tax registration certificate, viz., PAN, GST, etc.
- d) संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी कंपनी/फर्म/एजेंसी का पंजीकरण प्रमाणपत्र। Registration Certificate of the company/firm/agency issued by the relevant authority.
- e) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र और ईएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र। E.P.F. Registration Certificate and E.S.I. Registration Certificate.
- f) निविदाकर्ता कंपनी का विवरण - अनुलग्नक VI Particulars of the tendering company – Annexure VI
- g) बैंकर (ओं) का विवरण - अनुलग्नक VII/ Details of Banker (s) - Annexure VII

- h) तकनीकी मूल्यांकन के लिए जांच सूची - अनुलग्नक VIII/Checklist for technical evaluation – Annexure VIII
- i) ग्राहक प्रमाणपत्र - अनुलग्नक IX/Client Certificate - Annexure IX
- j) निविदाकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता को इंगित करने के लिए निविदाकर्ता के बैंकरो द्वारा विशेष रूप से इस कार्य के लिए ₹ 29,00,000/- की अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए जारी किया गया बैंकर का प्रमाणपत्र (शोधन क्षमता प्रमाणपत्र)। - अनुलग्नक-X
Banker's Certificate (Solvency Certificate) issued by the tenderer's bankers specifically for this work for an amount equivalent to the estimated cost of ₹29,00,000/- for indicating financial soundness of the tenderer. - Annexure X
- k) कार्य आदेश, पूर्णता प्रमाणपत्र और अन्य विवरणों द्वारा समर्थित कार्य अनुभव से संबंधित सभी दस्तावेज।/All documents related to work experience supported by Work Orders, completion certificates and other details.
- l) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ मुख्तारनामा/प्राधिकार। Power of Attorney/authorisation with the seal of the company/firm in the name of the persons signing the tender documents.
- m) कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है।/Any other technical information the tenderer wishes to furnish.

1.7 आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। Applicants intending to apply will have to satisfy the Bank by furnishing documentary evidence in support of their possessing required eligibility and in the event of their failure to do so, the Bank reserves the right to reject their candidature.

1.8 इच्छुक निविदाकर्ताओं को केवल एनईएफटी/नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान की गई ₹ 58,000/- (रुपये अठावन हजार मात्र) की राशि जमा करनी होगी। Intending tenderers has to deposit a sum of ₹

58,000/- (Fifty-eight Thousand Only) paid through NEFT/ Net banking only

लाभार्थी का नाम- भारतीय रिज़र्व बैंक

Beneficiary Name- Reserve Bank of India

लाभार्थी खाता संख्या/Beneficiary A/c No – 8614038

आईएफएससी/IFSC - RBIS0AGPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है) / (5th and 10th digit is Zero)

1.9 ईएमडी के बिना निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी/Tenders without EMD will not be accepted under any circumstances.

1.10 यदि बोलीदाता निविदा वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या अनुबंध के प्रदान या कार्य को निष्पादित करने में विफल रहता है तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। EMD shall be forfeited

if the bidder withdraws his bid during the period of tender validity or fail to execute the contract or award of work.

2. भाग- II (वित्तीयबोली)/PART- II (Financial bid)

1.1 ऑनलाइन निविदा के भाग- II में केवल प्रारूप II (अनुलग्नक XI) में सेवा प्रदाता की उद्धृत दरें होनी चाहिए। Part-II of the online tender should only contain the service provider's quoted rates in Format II (Annex XI).

1.2 निविदा दरों में कंपनी/एजेंसी/फर्म की सभी देनदारियां शामिल होंगी, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, ईएसआई और ईपीएफ (यदि लागू हो) योगदान आदि। इस संबंध में केंद्र सरकार के सभी कानूनों/दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है। दरों में साइट पर आवश्यक सामग्री, श्रम और उपकरण/मशीनरी आदि की लागत भी शामिल होगी। बोलीदाता उन प्रमुख उपकरणों की सूची का उल्लेख करेगा जिनका उपयोग वह कार्य के सुचारू निष्पादन में करने का प्रस्ताव करता है। दरें केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुरूप होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों का उल्लेखन ही किया जाना है।

The tendered rates shall be inclusive of all the liabilities of the company/agency/firm viz., Statutory Liabilities such as Minimum Wages, ESI and EPF (if applicable) contributions, etc. A reference may be made to all Central Government laws/guidelines in this regard. The rates shall also include cost of materials, labour and tools/machinery, etc. required at the site. The bidder shall mention the list of major tools that he proposes to use in smooth execution of work. The rates should be in conformity to Minimum Wages Act 1948 as published by Central Government. Kindly note that the State Government prescribed rates are NOT to be quoted.

1.3 न्यूनतम मजदूरी (भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार), ईपीएफ, ईएसआई, बोनस आदि जैसे वैधानिक दायित्वों के अनुरूप नहीं होने वाली वित्तीय बोलियां अस्वीकृत की जा सकती हैं। Financial Bids not conforming to the statutory obligations like Minimum Wages (as per Central Government of India notification), EPF, ESI, Bonus etc. are liable to be rejected.

1.4 सभी वैधानिक कटौती, जैसा भी लागू हो, कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों से की जाएगी। इसलिए, वित्तीय बोली सभी समावेशी होगी। All statutory deductions, as applicable shall be made from the bills submitted by the company/agency/firm. The Financial Bid shall, therefore, be all inclusive.

1.5 परीक्षा, मूल्यांकन, निविदाओं की तुलना और निविदा की योग्यता में सहायता करने के लिए, प्रतिक्रिया के लिए उचित समय देकर बैंक, अपने विवेक पर, किसी भी बोलीदाता से अपनी निविदा के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण, जो बैंक के लिए उचित नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में होगी। निविदा की कीमतों या सार में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, पेश नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी। To assist in the examination, evaluation, comparison of the Tenders and qualification of the tender, the Bank may, at its discretion, ask any bidder for a clarification of its Tender, allowing a reasonable time for response. Any clarification

submitted by a bidder, that is not reasonable to the Bank shall not be considered. The Bank's request for clarification and the response shall be in writing. No change in the prices or substance of the Tender shall be sought, offered, or permitted.

1.6 यदि कोई बोलीदाता स्पष्टीकरण के लिए बैंक के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। If a bidder does not provide clarifications of its Tender by the date and time set in the Bank's request for clarification, its Tender shall be liable to be rejected.

2. **निविदा खोलना** – निविदा खोलने के लिए अनुभाग-I में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार। **Opening of Tender** - As per the procedures laid down in Section-I hereto for opening of tender.

2.1 **निविदा की वैधता:** कीमतों के साथ निविदा भाग- I के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए शुरू में वैध रहेगी, जो अवधि निविदाकर्ता द्वारा लिखित रूप में आपसी समझौते द्वारा और बढ़ाई जा सकती है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा या उद्धृत दरों को नहीं बदलेगा। **Validity of Tender:** The Tender along with the prices shall remain valid initially for a period of 90 days from the date of opening of Part-I, which period may be further extended by mutual agreement in writing by the Tenderer and the Tenderer shall not cancel or withdraw the tender during this period or change the quoted rates.

2.2 निविदा दस्तावेज जो निविदा प्रपत्र में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। The tender documents which do not comply with the conditions prescribed in the tender form will be summarily rejected.

2.3 सशर्त बोलियों को भी सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। Conditional bids will also be summarily rejected.

2.4 केवल उन निविदाकर्ताओं की भाग-II (वित्तीयबोली) बाद की तारीख में खोली जाएगी, जो तकनीकी बोली (भाग-I) में अर्हता प्राप्त करते हैं, जिसके लिए योग्य निविदाकर्ताओं को सूचना दी जाएगी। The Part-II (Financial bid) of only those tenderers' who qualify in the Technical Bid (Part-I) will be opened on a subsequent date, for which the intimation would be given to the qualified tenderers.

2.5 बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। The Bank is not bound to accept the lowest tender and reserves the right to accept either in full or in part any tender. The Bank also reserves the right to reject all the tenders without assigning any reason thereof.

नोट: सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो आरबीआई की वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल, जैसा कि ऊपर दिया गया है, पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

Note: All the tenderers may please note that any amendments/corrigendum to the tender, if issued in future, will be notified on the RBI Website and CPP Portal as given above and will not be published in the newspaper.

स्थान:
दिनांक:

निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर
(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय स्कैन की गई प्रति (**PDF** प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए। **Scanned copy (PDF format) must be uploaded while submitting e-tender online through CPP portal.**

Place:

Name & Signature of tenderer

Date:

(Please sign at the bottom of all pages)

अनुभाग- VI /Section – VI

**निविदा देने वाली कंपनी/फर्म का विवरण
(कृपया दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)
Particulars of the tendering Company/Firm
(Please upload documentary evidence)**

क्र. सं. S. No	कंपनी/फर्म/एजेंसी द्वारा भरे जाने वाले ब्यौरे /विवरण Particulars/Details to be filled in by the Company/Firm/Agency	
1.	कंपनी/फर्म का नाम / Name of the Company/Firm	
2.	कंपनी का प्रकार चाहे वह स्वामित्व, साझेदारी आदि हो / Type of Company whether, Proprietorship, Partnership etc.	
3.	कंपनी के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम और पता Name and address of the Proprietor/ Partners/Directors of the Company	
4.	पंजीकरण (फर्म, कंपनी आदि) / प्राधिकरण, दिनांक संख्या आदि। Registration (firm, company etc.) / Registration Authority, Date Number etc.	
5.	फर्म/एजेंसी/कंपनी का पंजीकृत कार्यालय/व्यावसायिक पता के साथ टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल, यदि कोई हो। Registered office/Business address of the firm/Agency/Company along with Telephone No., Mobile No., Fax number and E-mail, if any	
6.	कार्यालय का पता जिसके माध्यम से कार्य संभाला जाएगा (अधिकृत अधिकारी की ईमेल आईडी के साथ) Office address through which the work will be handled (together with email id of authorised official)	
7.	अन्य संगठनों को समान सेवाएं प्रदान करने का अनुभव Experience in undertaking similar services to other organizations	
8.	पिछले 3 वर्षों के लिए अन्य संगठनों के साथ किए गए अनुबंध का कुल मूल्य Total value of the contract entered into with other organizations for the last 3 years	
9.		

	पिछले 3 वर्षों के लिए तुलन पत्र प्रस्तुत करें Furnish Balance Sheet for last 3 years	
10.	फर्म के रोल पर जनशक्ति / Manpower on rolls of the firm. (31 मार्च 2026 तक / as on 31 Mar 2026)	
11.	यदि किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी उपक्रम/उपक्रमों को अग्निशमन/सुरक्षा/जनशक्ति सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो ब्यौरा प्रस्तुत करें। Whether providing Firefighting / Security / Manpower services to any of the Government/Semi-Government Undertaking/s and if so, furnish details.	
12.	पैन सं. (आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की कॉपी) / PAN No. (copy of PAN card issued by the Income Tax Department)	
13.	भविष्य निधि पंजीकरण सं. / Provident Fund Registration No.	
14.	ईएसआई पंजीकरण सं. / ESI Resigration Number	
15.	अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम के तहत लाइसेंस संख्या या व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 पंजीकरण संख्या Licence number under Contract Labour (R&A) Act OR registration number Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020	
16.	यदि किसी मुकदमे में शामिल हैं तो इंगित करें Indicate if involved in any litigation	
17.	कोई भी विवाद (वैधानिक प्राधिकारियों सहित) लंबित है और कार्यवाही के चरण का विवरण / Any disputes (including with statutory authorities) are pending and details of the stage of proceedings	

स्थान / Place: (निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर) / Name & Signature of tenderer
दिनांक / Date:

(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें) / (Please sign at the bottom of all pages)

सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय स्कैन की गई प्रति (**PDF** प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए। **Scanned copy (PDF format) must be uploaded while submitting e-tender online through CPP portal.**

बैंकों का विवरण /

**Details of
Banker/s**

विवरण / Particulars	बैंकर 1 /Banker 1	बैंकर 2 /Banker 2
शाखा का नाम और उसका पूरा डाक पता। शाखा का आईएफएससी कोड Name of the Branch and its complete postal Address. IFSC code of the Branch		
संपर्क व्यक्ति का नाम और पद उसके टेलीफोन नंबर (ओं) और फैक्स नंबर(ओं) आदि के साथ। Name and Job-title of the Contact Person along with his/her Telephone No(s)and Fax No.(s) etc.		
खाते का प्रकार और खाता संख्या Type of Account and Account No.		
क्या एजेंसी द्वारा ऋण सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ लिया गया है। Whether Credit Facility/ Overdraft Facility enjoyed by the agency.		
वह अवधि जिससे एजेंसी बैंकर के साथ बैंकिंग कर रही है। The period from which the agency has been Banking with the Banker.		
कोई अन्य जानकारी जो विक्रेता अपने बैंकों के बारे में प्रस्तुत करना चाहेगा: Any other information which the vendor may like to furnish about its Bankers:		

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorized Signatory
(नाम और मुहर के साथ) / (With name & Seal)

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय स्कैन की गई प्रति (**PDF** प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए। **Scanned copy (PDF format) must be uploaded while submitting e-tender online through CPP portal.**

तकनीकी मूल्यांकन के लिए जांच-सूची CHECK-LIST FOR TECHNICAL EVALUATION			
क्र. सं. Sr. No.	मांगे गए दस्तावेज / Documents asked for	बोलीदाता द्वारा भरा जाना है To be filled by the Bidder	पीडीएफ में दस्तावेजी प्रमाण का विवरण (पृष्ठ संख्या/ फ़ाइल का नाम) Details of Documentary proof in PDF (Page No./ File Name)
1.	बयाना धन राशि (ईएमडी) Earnest Money Deposit (EMD)		
2.	कंपनी/फर्म/एजेंसी का अधिकृत व्यक्ति, नाम, पदनाम, पता और कार्यालय टेलीफोन नंबर के साथ। यदि बोलीदाता एक साझेदारी फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो नाम पदनाम, भागीदारों/निदेशकों का पता और कार्यालय टेलीफोन नंबर भी (साझेदारी विलेख की प्रति/पंजीकरण प्रमाण पत्र/समझौता ज्ञापन/एमओए जैसा लागू हो, प्रस्तुत किया जाना है) Authorized person of the company/ firm/ agency, with name, designation, address and office telephone numbers. If the bidder is a partnership firm/private limited company, name designation, address and office telephone numbers of Partners / Directors also (Copy of partnership deed/Registration Certificate/ MOU/ MOA as applicable to be submitted)		
3.	पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति। Self-attested copy of the PAN card issued by the Income Tax Department with copy of Income-Tax Returns of the last 3 financial years.		
4.	जीएसटी पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति। Self-attested copy of GST Registration.		

5.	कंपनी/फर्म/एजेंसी की वैध पंजीकरण संख्या की स्व-सत्यापित प्रति / Self-attested copy of valid Registration number of the company/firm/agency.		
6.	अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970 के तहत लाइसेंस की स्व-सत्यापित प्रति, या नियोक्ताओं की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 जिनके लिए एजेंसी वर्तमान में काम कर रही है। Self-attested copy of the License under Contract Labour (R&A) Act 1970, OR Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 of the employers for whom the Agency is currently undertaking the work.		
7.	वैध ईपीएफ पंजीकरण संख्या की स्व-सत्यापित प्रति / Self-attested copy of valid EPF Registration number.		
8.	वैध ईएसआई पंजीकरण संख्या की स्व-सत्यापित प्रति / Self-attested copy of valid ESI Registration number		
9.	पिछले 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष ₹29,00,000/- से कम नहीं का औसत कारोबार (अग्निशमन / सुरक्षा / जनशक्ति सेवाओं के लिए), चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित / Average Turnover of not less than ₹29,00,000/- per annum (for Firefighting / Security/ Manpower Services) for the last 3 years, duly certified by the Chartered Accountant.		
10.	पिछले तीन वर्षों यानी 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लाभ और हानि खातों की प्रति / Copy of audited balance sheets and profit and loss accounts for the past three years i.e. 2023-24, 2024-25 and 2025-26		

11.	पिछले तीन वर्षों यानी 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न / Income Tax returns for the past three years i.e.2023-24, 2024-25 and 2025-26		
12.	अनुबंध के शुरू होने की तारीख से कम से कम 12 महीने के लिए वैध कंपनी / फर्म के पंजीकरण की प्रति Copy of Registration of Company/ Firm valid for atleast 12 months from the date of commencement of the contract.		
13.	पात्रता मानदंड के अनुसार पूर्ण किए गए कार्यों का अनुभव विवरण / Experience details of completed works as per eligibility criteria.		
14.	अगरतला में कंपनी कार्यालय का पता प्रमाण / Address proof of the company office in Agartala.		
15.	कोई अन्य दस्तावेज, यदि आवश्यक हो / Any other documents, if required		

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorized Signatory
(नाम और मुहर के साथ) / (With name & Seal)

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय स्कैन की गई प्रति (**PDF** प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए। **Scannedcopy (PDFformat) must be uploaded while submitting e-tender online through CPP portal.**

अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने वाली फर्म/एजेंसी/कंपनी के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र
Client's certificate regarding performance of firm/agency/company providing fire services

प्रति, / To,

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) / The General Manager (Officer-in-Charge)

भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India,

दूसरी मंजिल, जैक्सन गेट बिल्डिंग / 2nd Floor, Jackson Gate Building,

लेनिन सरणी / Lenin Sarani,

अगरतला / Agartala – 799 001

ग्राहक का नाम और पता: / Name and address of the Client: -

मैसर्स..... से प्राप्त सेवा का विवरण

Details of service availed from M/s.....

क्र. सं. S. No	विवरण / Particulars	टिप्पणियाँ / Comments
1.	अग्नि / सुरक्षा / जनशक्ति सेवा का लाभ उठाने की प्रकृति Nature of fire / security / manpower service availed	
2.	समझौता सं. और तारीख Agreement No. and date	
3.	समझौते की राशि फर्म/एजेंसी/कंपनी Agreement amount firm/agency/company	
4.	जब से कंपनी/एजेंसी/फर्म के साथ काम करते हैं Since when dealing with the company/agency/firm	
5.	प्रदान किए गए कर्मियों की संख्या Number of personnel provided a. अग्निशमन अधिकारी / Fire Officer b. अग्निशमन पर्यवेक्षक / Fire Supervisor c. मुख्य अग्निशामक / Lead Fireman	

	d. अग्निशामक / Fireman e. अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति / Other trained persons f. अप्रशिक्षित व्यक्ति / Untrained persons g. सुरक्षा गार्ड / Security Guards h. हाउसकीपिंग स्टाफ / Housekeeping Staff	
6.	अनुबंध की नियमों और शर्तों के पालन के संबंध में टिप्पणियाँ Comments regarding adherence of terms and conditions of contract	
7.	अनुबंध की नियमों और शर्तों का गैर-अनुपालन के लिए लगाया गया कोई भी जुर्माना Any penalty imposed for non-adherence of terms and conditions of contract	
8.	कोई अन्य जानकारी / Any other information	

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorized Signatory

(नाम और मुहर के साथ) / (With name & Seal)

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय स्कैन की गई प्रति (**PDF** प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए। **Scanned copy (PDF format) must be uploaded while submitting e-tender online through CPP portal.**

अनुसूचित बैंक से बैंकरो के प्रमाण पत्र का रूप

FORM OF BANKERS' CERTIFICATE FROM A SCHEDULED BANK

(निविदा के साथ निविदाकर्ता द्वारा अपलोड किया जाना)
(To be uploaded by the Tenderer along with the Tender)

1. कंपनी/एजेंसी/फर्म का नाम: Name of the company/agency/firm:
2. कंपनी/एजेंसी/फर्म की संरचना (चाहे वह साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोप्राइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड):
Composition of the company/agency/firm (whether Partnership/ Private Limited/ Proprietorship/ Public Limited):
3. कंपनी/एजेंसी/फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम: Name of the Proprietor/ Partners/ Directors of the company/agency/firm:
4. बैंकर का नाम: / Name of the Banker:
5. शाखा का नाम और पूरा डाक पता: / Name of the Branch and complete postal address:
6. संपर्क व्यक्ति का नाम और पद उसके टेलीफोन नंबर (ओं) और ई-मेल आदि के साथ: / Name and job title of the contact person along with his/her Telephone No (s) and E-mail etc.:
7. खाते का प्रकार: / Type of Account:
8. खाता संख्या: / Account Number:
9. बैंक शाखा का आईएफएससी: / IFSC of the bank branch:
10. पिछले 3 वर्षों के लिए कंपनी/एजेंसी/फर्म का कारोबार (वर्षवार): / Turnover of the company/agency/firm for the last 3 years (year wise):
11. कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा: / Credit facility/ Overdraft facility enjoyed by the company/agency/firm:
12. लेनदेन: / Dealings:
13. वह अवधि जिससे कंपनी/एजेंसी/फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है: / The period from which the company/agency/firm has been banking with the bank:
14. कोई अन्य टिप्पणी: / Any other remarks:
15. बैंक की राय: / Opinion of the Bank:
(क्या उपरोक्त कंपनी/एजेंसी/फर्म को प्रति वर्ष अनुमानित लागत ₹ 29,00,000/- के कार्यों के लिए अनुबंध सौंपने के लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ माना जाता है)

(Whether the above company/agency/firm is considered financially sound to be entrusted with the contract for works estimated to cost ₹ 29,00,000/- per annum.)

(हस्ताक्षर) बैंक के लिए / (Signature) For the Bank

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

1. बैंकर का प्रमाण पत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए। / Banker's certificates should be on letter head of the Bank.
2. साझेदारी फर्म के मामले में, बैंक के साथ दर्ज किए गए सभी भागीदारों के नाम शामिल करने के लिए प्रमाण पत्र। / In case of partnership firm, certificate to include names of all partners as recorded with the Bank.

भाग – II/ PART – II**वित्तीय बोली का प्रोफार्मा (प्रारूप II)/ PROFORMA OF FINANCIAL BID (FORMAT II)****अग्निशमन कर्मियों की तैनाती:/ Deployment of Fire Staff:**

उपरोक्त के संबंध में और आपके द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ पूर्ण सहमति में, मैं/हम निम्नानुसार बताते हैं:

In connection with the above and in full agreement with the terms and conditions as stipulated by you, I/we state as under:

क्र. सं. S. No	वर्णन Description	मासिक दर (रुपये में) 'ए' Monthly rate (in Rupees) 'a'	अग्निशमन कर्मचारियों की संख्या 'बी' No of Fire Staff 'b'	कुल राशि (‘ए’ x ‘बी’) Total Amount (‘a’ x ‘b’)
1	अग्निशमन पर्यवेक्षक Fire Supervisor	कृपया केवल ई-निविदा पोर्टल पर सेवा शुल्क सहित आवश्यक दरों को उद्धृत करें	01	कुल राशि की गणना सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से की जाएगी THE TOTAL AMOUNT WILL BE CALCULATED AUTOMATICALLY BY THE SYSTEM
2	अग्निशामक Fireman	संदर्भ अनुलग्नक XII PLEASE QUOTE THE REQUIRED RATES INCLUDING SERVICE CHARGES AT THE E-TENDERING PORTAL ONLY Reference Annexure XII	06	
कुल योग/ Grand Total				

कृपया ध्यान दें कि उद्धृत दरें जीएसटी से अलग होनी चाहिए और 18% जीएसटी या जीएसटी परिषद द्वारा निर्दिष्ट स्वचालित रूप से उद्धृत करते समय अंतिम दरों पर पहुंचने के लिए प्रत्येक उद्धृत दर में जोड़ दिया जाएगा।

Please note that rates quoted should be exclusive of GST and GST @ 18% or as specified by GST council will be added automatically to each quoted rate while quoting to arrive at final rates.

नोट: वित्तीय बोली केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरी जाएगी
NOTE: FINANCIAL BID TO BE FILLED THROUGH ONLINE PORTAL ONLY

a. अग्निशमन पर्यवेक्षक और अग्निशामक के लिए वॉच एंड वार्ड (बिना हथियारों के) के तहत न्यूनतम मजदूरी पर भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना फाइल संख्या 1/6(6)/2025-एलएस-II दिनांक 30/03/2026 के अनुसार दरों को उद्धृत किया जाना है। ये दरें नवीनतम अधिसूचनाओं के अनुसार अन्य अनिवार्य शुल्कों यानी ईपीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई, बोनस आदि के अनुरूप भी होनी चाहिए।

The rates to be quoted in accordance with latest GOI notification on minimum wages **File No. 1/6(6)/2025-LS-II** dated 30/03/2026 under **WATCH & WARD (without arms) for Fire Supervisor and Firemen. These rates should also be in conformity with other mandatory charges i.e., EPF, ESI, EDLI, Bonus etc. as per latest notifications.**

b. अग्निशमन पर्यवेक्षक की प्रति दिन की मजदूरी अग्निशामक को दिए जाने वाले प्रति दिन के मूल वेतन और वीडिए से ₹ 60.00 अधिक होनी चाहिए। The wages per day of Fire Supervisor should be ₹ 60.00 more than the Basic Wages plus VDA per day paid to a Fireman.

c. अग्निशमन पर्यवेक्षक /अग्निशामक के लिए उद्धृत दरों में रिलीवर शुल्क शामिल हैं। रिलीवर पोस्ट करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। The rates quoted for Fire supervisor/Fireman are inclusive of reliever charges. No extra amount will be paid for posting a reliever.

d. मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि ऊपर उद्धृत मूल मजदूरी और वीडिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के नवीनतम अधिसूचना द्वारा निर्धारित वर्तमान न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं है और अन्य अनिवार्य शुल्क अर्थात् ईपीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई, बोनस आदि संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।

I/We hereby confirm that the Basic Wages plus VDA quoted above are not less than the current minimum wages stipulated by the latest notification of Ministry of Labour and Employment, Government of India and that other mandatory charges i.e., EPF, ESI, EDLI, Bonus etc. are in conformity with the corresponding statutory provisions.

e. मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि यदि उपरोक्त दरों और प्रतिशतों में से कोई भी संबंधित सांविधिक कानूनों के अनुपालन में नहीं पाया जाता है तो वित्तीय बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
I/We agree that the Financial Bid is liable to be rejected if any of the above rates and percentage are found not to be in compliance with the respective statutory laws.

मजदूरी विश्लेषण: केवल संदर्भ के लिए
WAGES ANALYSIS: FOR REFERENCE ONLY

क्रम. Sr.	वर्णन / Description	अगरतला क्षेत्र – सी में है कार्यकर्ता की श्रेणी AGARTALA is in AREA – C Category of Worker	
		अग्निशमन पर्यवेक्षक Fire Supervisor (कुशल)/ (Skilled) (वॉच एंड वार्ड – हथियारों के बिना) (Watch and Ward – Without Arms) (रुपये और पैसे में) (in Rupees and Paisa)	अग्निशामक Fireman (कुशल) / (Skilled) (वॉच एंड वार्ड – हथियारों के बिना) (Watch and Ward – Without Arms) (रुपये और पैसे में) (in Rupees and Paisa)
1.	मूल मजदूरी और सीजी (परिवर्तनशील महंगाई भत्ता) के अनुसार प्रति दिन वीडिए Basic Wages Plus VDA as per CG (Variable Dearness Allowance) per day	$(781 + 60) = 841$	781.00
2.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी)। 3.25% (मूल + वीडिए) Employee State Insurance Scheme (ESIC). 3.25% of (Basic + VDA)	$841 \times 3.25\% = 27.33$	$781 \times 3.25\% = 25.38$
3.	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) (मूल + वीडिए) का 12% (ईपीएफ गणना के लिए मूल + वीडिए प्रति माह रु. 15,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन है) Employee Provident Fund (EPF) 12% of (Basic + VDA) (Basic + VDA is subject to maximum limit of Rs. 15,000/- per month for EPF calculation)	$841 \times 12\% = 100.92$	$781 \times 12\% = 93.72$
4.	कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) (मूल + वीडिए) का 0.5% (ईडीएलआई गणना के लिए मूल + वीडिए प्रति माह रु. 15,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन है) Employee Deposit Linked Insurance (EDLI) 0.5% of (Basic + VDA) (Basic + VDA is subject to maximum limit of Rs. 15,000/- per month for EDLI Calculation)	$841 \times 0.5\% = 4.21$	$781 \times 0.5\% = 3.91$
5.	प्रशासनिक शुल्क (ईपीएफ और ईडीएलआई) (मूल + वीडिए) का 0.5% (प्रशासनिक शुल्क गणना के लिए मूल + वीडिए प्रति माह रु. 15,000 की अधिकतम सीमा के अधीन है) Administrative Charges (EPF & EDLI)	$841 \times 0.5\% = 4.21$	$781 \times 0.5\% = 3.91$

	0.5% of (Basic + VDA) (Basic + VDA is subject to maximum limit of Rs. 15,000/- per month for Administrative Charges Calculation)		
6.	प्रतिव्यक्ति / प्रतिदिन कुल लागत का योग (मद संख्या 1 से 5 कायोग) Sum Total Cost Per Head/ Per Day (Sum Total of item No. 1 to 5)	977.67	907.92
7.	सेवा शुल्क# (मूल मजदूरी और वीडिए का न्यूनतम 3%) Service Charges# (minimum 3% of Basic Wages Plus VDA)		
8.	कुल योग (एक दिन के लिए) जीएसटी के बिना** Grand Total (For One Day) WITHOUT GST**		

सेवा शुल्क कुल प्रति व्यक्ति/ प्रतिदिन की राशि के रूप में होगा।

Service charge will be in terms of amount on total per head/per day amount.

बोलीदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि ऊपर क्रमांक "7" पर सेवा शुल्क (एजेंसी शुल्क) उनके द्वारा प्रतिधारित किया जा सकता है और अन्य सभी तत्वों को संबंधित अधिकारियों/अग्निशमन कर्मचारियों को पारित किया जाना है। एजेंसी को सेवा शुल्क के रूप में उपरोक्त तालिका के क्रमांक "6" पर मद का न्यूनतम 3.00% उद्धृत करने की आवश्यकता है। इस प्रतिशत (3.00%) से नीचे की कोई भी बोली ₹29.33 (अग्निशमन पर्यवेक्षक के मामले में) और ₹ 27.24 (अग्निशामक के मामले में) अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह अनुबंध की अवधि के दौरान समान रहेगा। (यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीपीपी पोर्टल 3.00% से नीचे की बोलियों को स्वीकार कर सकता है, लेकिन पात्र बनने के लिए प्रतिभागियों को 3.00% से ऊपर का उद्धरण देना होगा)।

Bidders should note that Service Charges (Agency Charges) at Serial "7" above can be retained by them and all other elements are to be passed on to respective authorities'/firefighting staff. The Agency is required to quote minimum of 3.00% of item at Serial No. "6" of the above Table as service charge. Any bid below this percentage (3.00%) i.e. below ₹ 29.33 (in case of Fire Supervisor) and ₹ 27.24 (in case of Fireman) will be rejected. It will remain same throughout the currency of the contract. (It is to be noted that CPP portal may accept bids below 3.00%, but participants must quote above 3.00% to become eligible).

** कृपया ध्यान दें कि उद्धृत दरों को जीएसटी से अलग होना चाहिए और जीएसटी की प्रतिपूर्ति दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने पर वास्तविक रूप से की जाएगी।

**Please note that rates quoted should be exclusive of GST and GST shall be reimbursed on actual on production of documentary evidence.

सेवा शुल्क प्रतिदिन प्रति व्यक्ति/प्रति दिन की कुल राशि पर राशि (प्रतिशत में गणना की गई) के संदर्भ में होगा। एजेंसियों के बीच प्रतिस्पर्धा को समायोजित करने और बढ़ावा देने के लिए, आरबीआई अगरतला एजेंसियों को तैनाती/प्रशिक्षण लागत, प्रशासनिक और ओवरहेड शुल्क, वर्दी/बुनाई लागत, बीमा संबंधी लागत और लाभ का पैमाना जैसे मापदंडों पर सेवा शुल्क निर्धारित करने की सलाह देता है। बोलीदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि ऊपर क्रमांक "7" पर सेवा शुल्क (एजेंसी शुल्क) उनके द्वारा

प्रतिधारित किया जा सकता है और अन्य सभी तत्वों को संबंधित अधिकारियों/तैनात कर्मचारियों को पारित किया जाना है।

Service charge will be in terms of amount (calculated in percentage) per day on total per head/per day amount. To accommodate and to promote competitiveness among the agencies, RBI Agartala advises the agencies to determine the service charge on parameters such as Deployment / Training Cost, Administrative & Overhead Charges, Uniform/ knitting Cost, insurance related cost & Profit Margin. Bidders should note that Service Charges (Agency Charges) at Serial "7" above can be retained by them and all other elements are to be passed on to respective authorities'/staff deployed.

वित्तीय बोली में ऊपर उद्धृत मूल्य में विभिन्न श्रम कानूनों के तहत विक्रेता द्वारा सभी वैधानिक दायित्व शामिल होने चाहिए - अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 [(वर्तमान और लागू न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित) जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई है); कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948; मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936; कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923; कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (विविध प्रावधान) 1952; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; कर्मचारी देयता अधिनियम 1938 और कोई अन्य नियम/विनियम और/या कानून/श्रम संहिता जो समय-समय पर उन पर लागू हो सकते हैं। इसके अलावा उपरोक्त सभी घटकों को अग्निशामककी दरों में सख्ती से शामिल किया जाना चाहिए।

Price quoted above in the financial bid should include all the statutory obligation by the vendor under various labour laws -Contract Labour (Regulation and Abolition) act 1970; the Minimum Wages Act 1948 [higher of the current and applicable minimum wages (including variable dearness allowance) announced by central Govt]; Employees State Insurance Act 1948; Payment of Wages act 1936; Workmen Compensation Act 1923; the Employees Provident Fund Act (Miscellaneous Provision) 1952; Payment of Bonus Act 1965; Employees Liability Act 1938 and any other rule/regulation and/or statutes / Labour Codes that may be applicable to them from time to time. Further all the above-mentioned components should strictly be included in the rates of the fireman.

नोट / NOTE

1. दरें केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुरूप होनी चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों को उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए।** The rates should be in conformity to Minimum Wages Act 1948 as published by Central Government. **Kindly note that the State Government prescribed rates are not to be quoted.**
2. मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दरों (वीडीए सहित) को समय-समय पर यानी हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से संशोधित किया जाएगा। Minimum rates of wages (plus VDA) will be revised as per the Notification issued by the Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour & Employment from time to time i.e. 1st April and 1st October every year.
3. इन दरों में तैनात अग्निशमन कर्मचारियों के माध्यम से कार्य पूरा करने के लिए हर तरह से प्रबंधकीय पर्यवेक्षी/प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने पर होने वाले सभी व्यय को शामिल किया जाना चाहिए। The rates should be quoted inclusive of all expenditure on providing managerial

supervisory/administrative services by all means to get the work done through deployed Fire-fighting staff.

4. सेवा शुल्क केवल राशि के संदर्भ में उद्धृत किया जाना है। Service Charge is to be quoted in terms of amount only.
5. सेवा शुल्क कुल प्रति व्यक्ति/प्रति माह राशि पर % प्रति माह के रूप में होगा। Service charge will be in terms of % per month on total per head/per month amount.
6. ई-निविदाओं की वित्तीय बोली में 3.00% और उससे अधिक के सेवा शुल्क के साथ उद्धरण पर ही विचार किया जाएगा। Quotations with service charge of 3.00% and above in Financial Bid of E-tenders will only be considered.
7. एजेंसी को तैनात कर्मचारियों को भुगतान से संबंधित वेतन पर्ची प्रदान करने की आवश्यकता है। Agency needs to provide Wage Slip pertaining to payment to the staff deployed.
8. अगरतला क्षेत्र-सी के अंतर्गत है। ईएसआईसी, बोनस, ईपीएफ, ईडीएलआई, ईएसआई और एडमिन शुल्क के लिए नवीनतम लागू दरों/मजदूरी सीमा का भी संदर्भ लें। Agartala is under Area-C. Also refer to the latest applicable rates/wage ceilings for ESIC, BONUS, EPF, EDLI, ESI and Admin charges.
9. यदि वेतन (मूल + वीडिए) प्रति माह ₹21,000/- या समय-समय पर बोनस अधिनियम द्वारा अपडेट की गई कोई अन्य राशि से अधिक है, तो मूल न्यूनतम वेतन और वीडिए का 8.33% बोनस लागू नहीं है। लागू बोनस की राशि, वास्तविक के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी और इसे उद्धरण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। Bonus @ 8.33% of Basic Minimum Wages plus VDA is **Not applicable** if salary (Basic + VDA) exceeds ₹21,000/- per month or any other amount updated by Bonus Act from time to time. The amount of the bonus, as applicable, shall be reimbursed as per actuals and should not be included in the quote.

प्रस्तावपत्र Letter of Offer

स्थान/Place: _____

तारीख/Date: _____

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)/General Manager (Officer-in Charge)

भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India

अगरतला/Agartala- 799001

महोदय / Dear Sir,

ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विशिष्टताओं और मात्राओं के कार्यक्रम की जांच करने के बाद और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल की जांच करने के बाद और निविदा को प्रभावित करने के संबंध में अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर संलग्न मूल्य बोली में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में समझौते के अनुच्छेदों, निविदा की सामान्य शर्तों और अनुबंध की नियमों और शर्तों में संदर्भित लिखित विशिष्टताओं और निर्देशों के अनुसार प्रदान की जाने वाली सेवाओं के साथ तथा अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

Having examined the specifications and schedule of quantities relating to the works specified in the memorandum hereinafter set out and having examined the site of the works specified in the said memorandum and having acquired the requisite information relating thereto as affecting the Tender, I/We hereby offer to execute the works specified in the said memorandum within the time specified in the said memorandum at the rates mentioned in the attached price bid and in accordance in all respects with the specifications and instructions in writing referred to in the Articles of Agreement, General Conditions of the Tender and Terms and Conditions of Contract with such services as are provided for, by and in all other respects in accordance with such conditions so far as they may be applicable.

ज्ञापन/ Memorandum

(a)	कार्य का विवरण Description of work	भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला कार्यालय परिसर में अग्निसुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारियों की तैनाती हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध Annual Service Contract for deployment of Trained Firefighting staff for providing Fire safety services at Reserve Bank of India (RBI) Office Premises located in Agartala
(b)	अनुमानित लागत Estimated cost	लगभग ₹29,00,000/- (रुपये उनतीस लाख मात्र) (जीएसटी सहित) Approximately ₹29,00,000/- (Rupees Twenty-nine Lakh only)(Including GST)
(c)	बयाना जमा राशि Earnest Money Deposit (EMD)	₹58,000/- (रुपये अठावन हजार मात्र) (कोई ब्याज नहीं है) ₹58,000/- (Rupees Fifty-eight Thousand only) (bears no interest)

(d)	अनुबंध की वैधता Validity of Contract	शुरू में 1 नवंबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2027 तक एक वर्ष के लिए और नियम और शर्तों के अनुसार और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम दो साल (एक बार में एक वर्ष) की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। For one year from Nov 01, 2026 to Oct 31, 2027 initially and may be renewed for a maximum period of two years (one year at a time), as per the terms and conditions and based on satisfactory performance.
(e)	निष्पादन बैंक गारंटी Performance Bank Guarantee	अनुबंध मूल्य का 5 प्रतिशत 5% of the contract value.

2. हम कार्य के प्रदान किए जाने के समय भारतीय रिज़र्व बैंक के पास **₹ 58,000/- (रूपये अठावन हजार मात्र) (कोई ब्याज नहीं)** की राशि बयाना राशि के रूप में जमा करने का वचन देते हैं, जो राशि कोई ब्याज नहीं देगी। यदि हम अनुबंध को निष्पादित करने के लिए कहे जाने पर उसे निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इसके द्वारा सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी। हम बयाना राशि के प्रति बैंक गारंटी को निविदा की पूरी अवधि के दौरान वैध रखने के लिए भी सहमत हैं। We undertake to deposit a sum of **₹58,000/- (Rupees Fifty-eight Thousand only) (bears no interest)** as Earnest Money with the Reserve Bank of India at the time of award of work, which amount is not to bear any interest. Should we fail to execute the contract when called upon to do so, we do hereby agree that this sum shall be forfeited by the Reserve Bank of India. We also agree to keep the Bank Guarantee towards Earnest Money valid during the entire period of Tender.

3. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारा निविदा, निविदा के भाग-1 के खुलने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए वैध रहेगा और वैधता की इस अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में आपसी सहमति से तय की गई अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। We also agree that our Tender will remain valid for acceptance by the Bank for 90 days from the date of opening of Part I of the Tender and this period of validity can be extended for such period as may be mutually agreed between the Bank and us in writing.

4. अगर यह निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम इसके तहत लागू होने वाली सभी शर्तों और नियमों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और ऐसा न करने पर, हम भारतीय रिज़र्व बैंक को उतनी रकम ज़ब्त करने और उसका भुगतान करने के लिए सहमत हैं, जितनी टेंडर की शर्तों और अनुबंध की लिखित स्वीकृति में तय की गई है। Should this Tender be accepted, I/We hereby agree to abide by and fulfill all the terms and conditions of the Tender so far as they may be applicable and in default thereof, to forfeit and pay to Reserve Bank of India such sums of money as are stipulated in the conditions contained in the Tender together with the written acceptance of the Contract.

5. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी कारण को बताए बिना पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या संपूर्ण निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। I/We understand that Reserve Bank of India reserves the right to accept or reject any or the entire Tender either in whole or in part without assigning any reason thereof.

6. निविदा दो हिस्सों में जमा किया गया है। भाग-I में सभी वाणिज्यिक नियम व शर्तें, तकनीकी विवरण, ईएमडी शामिल हैं और भाग-II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल वित्तीय बोली शामिल है। The Tender is submitted in two parts. Part I contains all commercial terms & conditions, technical particulars, EMD and Part II contains only the Financial Bid in the Bank's proforma.

7. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इसके साथ संलग्न अनुबंध की शर्तों के नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या उनका उल्लंघन करने पर, उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को जब्त करने और भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत हैं।
Should this Tender be accepted, I/We hereby agree to abide by and fulfill the terms and provisions of the said Conditions of Contract annexed hereto so far as they may be applicable or in default thereof to forfeit and pay to the Reserve Bank of India the amount mentioned in the said conditions.

8. हमारे बैंकर हैं (पूरा पता): Our bankers are (full address):

i)	
ii)	

9. हमारी फर्म के भागीदारों के नाम हैं: The names of partners of our firm are:

i)	
ii)	

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत फर्म के भागीदार का
नाम Name of the partner of the firm
authorized to sign

OR

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए
मुख्तारनामा/प्राधिकरण रखने वाले व्यक्ति का नाम
(प्राधिकार पत्र/मुख्तारनामा की प्रमाणित सत्य प्रति
संलग्न की जानी चाहिए) Name of person having
Power of Attorney/ authorization to sign the
Contract (authorization letter / certified true
copy of the Power of Attorney should be
attached)

आपका विश्वासी/ Yours faithfully,

ठेकेदार के हस्ताक्षर/Signature of Contractor

गवाहों के हस्ताक्षर और पते/Signatures and addresses of witnesses:

क्र. सं. Sl. No.	हस्ताक्षर/Signature	पता / Address
(i)		
(ii)		

प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा
Proforma for Performance Bank Guarantee

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)
(On Non-Judicial Stamp Paper of appropriate value purchased in the name of the Issuing Bank)

स्थान / Place: _____
दिनांक / Date: _____

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) / The General Manager (Officer-in-Charge)
भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
अगरतला / Agartala

महोदय / Dear Sir,

अगरतला में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के कार्यालय परिसर हेतु अग्निसुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी के तैनाती हेतु अनुबंध

Contract for deployment of trained Firefighting staff for providing Fire safety services at Reserve Bank of India (RBI) Office Premises located in Agartala.

जबकि / WHEREAS

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई में है, अपने कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, जैक्सन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरनी, अगरतला-799 001 (जिसे इसके बाद "आरबीआई" कहा जाएगा) के माध्यम से उपर्युक्त कार्य के लिए मेसर्स _____ (ठेकेदार का नाम) (जिसे इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) को अनुबंध (जिसे इसके बाद "अनुबंध" कहा जाएगा) प्रदान किया है।

Reserve Bank of India, having its Central Office at Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai, through its office at Reserve Bank of India, 2nd floor, Jackson Gate Building, Lenin Sarani, Agartala-799 001 (hereinafter called "the RBI") has awarded the Contract for the captioned work (hereinafter called the "Contract") to M/s _____ (Name of the Contractor) (hereinafter called "the said Contractor", which expression shall include its successors and assigns).

और AND

जबकि ठेकेदार उसके द्वारा अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों के नियत पालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को ₹ /- (**रूपये मात्र**) की कुल राशि के लिए निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। हम,(बैंक का नाम), (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), मेसर्स _____ ठेकेदार, के अनुरोध पर, अनुबंध के नियमों और शर्तों के नियत पालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को, ₹ /- (**रूपये मात्र**) से अधिक नहीं, की राशि निष्पादन गारंटी के रूप में भुगतान करने का वचन देते हैं।

Whereas the Contractor is bound by the said Contract to submit to Reserve Bank of India, Agartala a Performance Bank Guarantee for a total amount of ₹ /- (**Rupees only**) for the due fulfilment by the said Contractor of the terms and conditions contained in the contract.

We,(Name of the Bank), (hereinafter called "the Bank"), at the request of M/s, the Contractor, do hereby undertake to pay to the Reserve Bank of India, an amount not exceeding ₹ /- (**Rupees only**) as Performance Guarantee for due fulfilment of terms and conditions of the contract.

अब यह गारंटी गवाह है / NOW THIS GUARANTEE WITNESSETH

1. हम,(बैंक का नाम) आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों के साथ सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में है कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हम पर और उक्त ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा; तो आरबीआई की मांग पर, हम बिना किसी बाधा के आरबीआई को ₹ /- (**रुपये मात्र**) या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए निष्पादन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹ /- (**रुपये मात्र**) से अधिक नहीं होगी।

We,(Name of the Bank), do hereby agree with and undertake to RBI, their Successors, Assigns that in the event of the RBI coming to the conclusion that the Contractor has not performed his obligations under the said conditions of the Contract or have committed a breach thereof, which conclusion shall be binding on us as well as the said Contractor; we shall on demand by the RBI, pay without demur to the RBI, a sum of ₹/- (**Rupees only**) or any lower amount that may be demanded by the RBI. Our guarantee shall be treated as equivalent to the Performance Guarantee Amount for the due performance of the obligations of the Contractor under the said Contract, provided, however, that our liability against such sum shall not exceed the sum of ₹/- (**Rupees only**).

2. हम यह भी स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त रूप से ₹ /- (**रुपये मात्र**) से अधिक नहीं की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल सिर्फ आरबीआई की मांग पर और लिखित नोटिस मिलने पर, जिसमें यह बताया गया हो कि यह रकम उन्हें देय है और हम किसी भी तरह से कोई और सबूत या प्रमाण नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस निर्णायक और हमारे लिए बाध्यकारी होगा और हमसे किसी भी तरह से या किसी भी तरीके से सवाल नहीं किया जाएगा। बैंक आरबीआई को इस तरह की मांग की गई किसी भी राशि का भुगतान करेगा, इसके बावजूद कि ठेकेदार द्वारा किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में विवाद/विवाद उत्पन्न हो सकता है जो इससे संबंधित किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ/मध्यस्थ के समक्ष लंबित है और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम उपर्युक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

We also agree to undertake and confirm that the sum not exceeding ₹/- (**Rupees only**) as aforesaid shall be paid by us without any demur or protest, merely on demand from the RBI on receipt of a notice in writing stating that the amount is due to them and we shall not ask for any further proof or evidence and the notice from the RBI shall be conclusive and binding on us and shall not be questioned by us in any respect or manner whatsoever. The Bank shall pay to RBI any money so demanded notwithstanding any dispute/disputes raised by the Contractor in any suit or proceedings pending before any Court, Tribunal or Arbitrator/s relating thereto and the liability under this guarantee shall be absolute and unequivocal. We undertake to pay the amount claimed by the RBI within a period of one week from the date of receipt of the notice as aforesaid.

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी बाध्यता आरबीआई और ठेकेदार के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगी। We confirm that our obligation to the RBI under this guarantee shall be independent of the agreement or agreements or other understandings between the RBI and the Contractor.

4. यह गारंटी आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हमारे द्वारा रद्द नहीं की जाएगी। This guarantee shall not be revoked by us without prior consent in writing of the RBI.

हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि: We hereby further agree that:

a) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त अनुबंध में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में या इसके तहत आरबीआई की ओर से किसी भी समय की छूट या अनुग्रह देने या उसके संबंध में किसी अन्य मामले में आरबीआई द्वारा ठेकेदार या किसी अन्य के प्रति किसी भी तरह की छूट देने से हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारी बाध्यता से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस गारंटी को ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन द्वारा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹ /- (**रूपये मात्र**) से अधिक नहीं की राशि के भुगतान द्वारा ही निर्वहन किया जाएगा। Any forbearance or commission on the part of the RBI in enforcing the conditions of the said agreement or in compliance with any of the terms and conditions stipulated in the said Contract and/or hereunder or granting of any time or showing of any indulgence by the RBI to the Contractor or any other matters in connection therewith shall not discharge us in any way and our obligation under this guarantee. This guarantee shall be discharged only by the performance by the Contractor of their obligations and in the event of their failure to do so, by payment by us of the sum not exceeding ₹/- (**Rupees only**).

b) इस समझौते के तहत हमारी देनदारी ₹ /- (**रूपये मात्र**) से ज्यादा नहीं होगी। Our liability under these presents shall not exceed the sum of ₹ /- (**Rupees only**).

c) इस समझौते के तहत हमारी देयता हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के संगठन में विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी। Our liability under this agreement shall not be affected by any infirmity or irregularity on the part of our said constituents/clients or their obligations thereunder or by dissolution or change in the constitution of our said constituents.

d) यह गारंटी दोष देयता अवधि से साठ (60) दिनों तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई द्वारा ऐसा वांछित हो, तो इस गारंटी को उनके द्वारा इंगित किए जाने पर उन्हीं नियमों और शर्तों के अनुसार आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। This guarantee shall remain in force up to Sixty (60) days beyond the Defect liability period provided that if so desired by the RBI, this guarantee shall be renewed for a further period as may be indicated by them on the same terms and conditions as contained herein.

e) इस गारंटी के तहत हमारी देयता समाप्त हो जाएगी जब तक कि इसे ऊपर दिए गए प्रावधानों के अनुसार नवीनीकृत नहीं किया जाता है, या उस तारीख तक जब हमारे संबंधित पक्ष अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर लें, इन दोनों में से जो भी तारीख बाद में हो —और इस संबंध में आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाण पत्र निर्णायक प्रमाण होगा। अगर तय समय या बढ़ाई गई समय-सीमा के अंदर हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इस गारंटी के तहत अपनी सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। Our liability under these presents will terminate unless these presents are renewed as provided hereinabove on the or on the day when our said constituents comply with their obligations, as to which a certificate in writing by the RBI alone is the conclusive proof whichever date is later. Unless a claim or suit or action is filed against us within or any extended period, all the rights of the RBI against us under this guarantee shall be forfeited and we shall be released and discharged from all our obligations and liabilities hereunder.

जिसके साक्ष्य स्वरूप, बैंक की ओर से विधिवत अधिकृत होने के नाते, मैंने/हमने _____ (महीना) _____ (वर्ष) के _____ दिन इस गारंटी पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई है।
In witness whereof, I/We of the Bank have signed and sealed this guarantee on the _____ day of _____ (Month) (Year) being herewith duly authorized.

(बैंक का नाम) के लिए एवं की ओर से / For and on behalf of (Name of the Bank)

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर / Signature and Seal of authorized Bank official

नाम / Name:

पदनाम / Designation:

बैंक की मुहर/सील / Stamp/ Seal of the Bank

बैंक की ओर से और बैंक के लिए, ऊपर बताए गए व्यक्ति द्वारा इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, सील लगाई गई और सुपुर्द किया गया:

Signed, sealed, and delivered for and on behalf of the Bank by the above named in the presence of:

साक्षी / Witness 1

हस्ताक्षर / Signature

नाम / Name

पता / Address

(नोट: इस निष्पादन बैंक गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जा रहा है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिनके हस्ताक्षर और अधिकार की पुष्टि की जाएगी।)

(NB: This Performance Bank Guarantee will require stamp duty as applicable in the state, where it is executed and shall be signed by the official whose signature and authority shall be verified).